बीज संगठन

राष्ट्रीय रेशमकीट बीज संगठन

राष्ट्रीय रेशमकीट बीज संगठन (रारेबीसं) ने अपने बुनियादी बीज फार्मों (बुबीफा) तथा अं मा सं प्रमाणित रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्रों (रेबीउके) के माध्यम से न केवल गुणवत्ता बुनियादी बीज उत्पादन, बल्कि गुणवत्ता वाणिज्यिक द्विप्रज तथा संकर नस्ल रेशमकीट संकर के उत्पादन एवं आपूर्ति कर देश में रेशम उद्योग में एक से अधिक तरीके से स्वयं के लिए अपनी ज़गह बनायी है । यह संगठन बुनियादी तथा वाणिज्यिक बीजों की सबसे उच्चतम मात्रा में रिकार्ड उत्पादन कर अब तक की सबसे नयी ऊँचाइयों और सर्वोत्तम सोपान को प्राप्त कर लिया है ।

इसके अतिरिक्त, हालाँकि द्विप्रज संकर के उत्पादन के अपने इतिहास में उच्चतम उत्पादन को प्राप्त कर लिया है, रारेबीसं ने अपने महत्त्वपूर्ण हिस्से के साथ संकर नस्ल के रेशमकीट बीज के ग्राहकों को बनाए रखा है। इस प्रकार, रारेबीसं गुणवत्ता शहतूती बीज उत्पादन में अग्रगण्य है और इसने देश के शहतूती कच्चे रेशम उत्पादन में निर्णायक भूमिका निभायी है । अधिदेश के अनुकूल और परिश्रमी एवं प्रतिबद्ध दल द्वारा की गई सेवा से, रारेबीसं ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान बुनियादी एवं वाणिज्यिक रेशमकीट बीज सहित विभिन्न पणधारियों के संपूर्ण बीज अपेक्षाओं को पूरा किया है । रारेबीसं ने अपने अंमासं 9001:2008 प्रमाणित सभी बीज उत्पादन केन्द्रों से उच्चत्तम गुणवत्ता का बीज उत्पादन सुनिश्चित किया। देश में शहतूत बीज क्षेत्र में संगठन के सामर्थ्य एवं उच्च क्षमता का मुख्य श्रेय इसके विस्तार के क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ-साथ प्रधान कार्यालय के कर्मचारियों की पूर्ण प्रतिबद्धता और निरंतर समर्थन को जाता है ।

बुनियादी बीज फार्मों में बीज कोसा उत्पादन एवं बुनियादी रेशमकीट बीज उत्पादन

बुनियादी बीज फार्म (बुबीफा) गुणवत्ता बीज कोसों एवं बुनियादी बीजों के रिकार्ड उत्पादन के माध्यम से रारेबीसं के क्रियाओं की रीढ़ बन गई है । अपने 19 बुनियादी बीज फार्मों (9 द्विप्रज तथा 10 बहुप्रज) और एक रेशम उत्पादन विकास केन्द्र (रेविके) में बीज के रखरखाव तथा प्रगुणन (पी3, पी2 तथा पी1) की गतिविधियों की कुशल योजना, वैज्ञानिक तथा अतिसावधानी पूर्वक क्रमबद्ध निष्पादन से रारेबीसं के समर्पित दलों ने अनुमोदित नस्लों के प्रगुणन की एक ही प्रणाली के माध्यम को पालन कर अतिसावधानी पूर्वक गुणवत्ता बीज कोसों एवं बुनियादी बीजों कोसा का उत्पादन सुनिश्चित किया । इन फार्मों ने गुणवत्ता द्विप्रज तथा बहुप्रज बीज कोसों का उत्पादन कर अच्छा निष्पादन किया । 78.16 तथा 47.46 लाख लक्ष्य के मुकाबले क्रमश: 70.94 लाख द्विप्रज तथा 33.29 लाख बहुप्रज बीज कोसों का उत्पादन किया गया ।

वर्ष 2015-16 के दौरान, कुल 14.61 लाख बुनियादी बीज (12.13 लाख द्विप्रज और 2.48 लाख बहुप्रज) उत्पादित किया गया । पिछले 5 वर्ष के दौरान बुबीफा का तुलनात्मक द्विप्रज और बहुप्रज बुनियादी बीज का उत्पादन क्रमश: चित्र-1 व 2 में दिया गया है । वर्ष के दौरान, 11.87 लाख द्विप्रज और 2.26 लाख बहुप्रज बुनियादी बीजों का वितरण नीचे दिए गए ब्योरे के अनुसार किया गया :

बुनियादी बीज उत्पादन एवं आपूर्ति				
नस्ल		पी3	पी2	पी1
उत्पादन	द्विप्रज	11200	28911	1173122
	बहुप्रज	2100	17708	228318
	योग	**13300**	**46619**	**1401440**
आपूर्ति	द्विप्रज	6298	15754	1165213
	बहुप्रज	2000	17208	207222
	योग	**8298**	**32962**	**1372435**

गुणवत्ता बीज कोसों का उत्पादन : द्विप्रज संकर एवं संकर नस्ल रोमुबीच के उत्पादन के लिए विभिन्न रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्रों द्वारा अभिग्रहित अधिकतम सफल हुए अंगीकृत बीज कीटपालक (अंबीकी) प्रणाली और स्वस्थ एवं सक्षम बीज कीटपालकों की सहायता से वर्ष के दौरान 1017.95 लाख द्विप्रज बीज कोसों का उत्पादन किया गया । रेबीउके के अलावा, अंगीकृत बीज कीटपालकों ने भी रेशम उत्पादन विभागों, पंजीकृत बीज उत्पादकों (पं बी उ) को मदद किया और पश्चिम बंगाल में स्थित रेबीउके और रेशम निदेशालय, उत्तर प्रदेश तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों ने दक्षिण भारत में 39.27 लाख (26.17 लाख-पश्चिम बंगाल एवं 13.10 लाख-उत्तर प्रदेश) द्विप्रज बीज कोसों का उत्पादन कर उन्हें 39.00 लाख बीज कोसों (26.00 लाख-पश्चिम बंगाल व 13.00 लाख-उत्तर प्रदेश) की माँग के प्रति आपूर्ति की।

बीज कोसा क्रय केन्द्र (बीकोक्रके), कुणिगल, कर्नाटक ने संकर नस्ल बीज चकत्तों को तैयार करने के लिए 69.46 लाख बहुप्रज बीज कोसों का क्रय कर रेबीउके को सहायता किया । उसी तरह बीकोक्रके, डेंकनिकोट्टाई, कुणिगल तथा पुंगनुर ने रेबीउके में संकर नस्ल रोमुबीच के उत्पादन के लिए उनके संबंधित क्षेत्रों के अंबीकी के माध्यम से क्रमश: 47.56 लाख, 27.37 लाख तथा 19.47 लाख बहुप्रज बीज कोसों का उत्पादन किया।

रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्रों में बीज कोसा उत्पादन और गुणवत्ता बीज उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए अंगीकृत बीज कीटपालकों द्वारा समर्थित निर्दिष्ट एवं सफल उत्पादन आर्दश को रिकार्ड गुणवत्ता बीज उत्पादन के रूप में पहले ही माना जाता है ।

रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्रों में वाणिज्यिक बीज उत्पादन

रारेबीसं का मुख्य कार्य विश्वसनीय क़िस्म एवं उच्च गुणवत्ता की वाणिज्यिक रेशमकीट संकर नस्ल रोमुबीच (द्विप्रज x द्विप्रज और बहुप्रज x द्विप्रज) का उत्पादन करना और किसानों में इसका वितरण करना है । तदनुसार, वर्ष 201516 में, इसके बीस अं मा सं प्रमाणित रे बी उ केन्द्रों के माध्यम से 375.00 लाख रोमुबीच लक्ष्य के मुकाबले 410.50 लाख रोमुबीच की रिकार्ड मात्रा में रारेबीसं के इतिहास में अब तक सबसे अधिक उत्पादन किया गया और 109.47% की उपलब्धि प्राप्त की । कुल 410.50 लाख रोमुबीच के उत्पादन में से, 309.79 लाख रोमुबीच द्विप्रज संकर नस्ल के रहे (75.46%) (चित्र-3 व 4), जबकि संकर नस्ल के बीज चकत्ते 100.71 लाख रोमुबीच (24.53%) रहे । 275.00 लाख (112.65% उपलब्धि) लक्ष्य के मुकाबले 309.79 लाख द्विप्रज संकर चकत्तों का उत्पादन किया गया । इसमें 10.05 लाख सीएसआर संकर नस्ल 276.16 लाख द्विसंकर नस्ल, 4.25 लाख पारंपरिक संकर नस्ल और 19.33 लाख नयी संकर नस्ल शामिल है । बहुप्रजxद्विप्रज संकर नस्लों का उत्पादन का प्रमुख हिस्सा पीएमxसीएसआर**2** (28.74 लाख) रहा; इसके बाद निस्तरीxद्विप्रज (39.72 लाख) का हिस्सा रहा । पिछले पाँच वर्ष का द्विप्रज संकर नस्ल के रोमूबीच का उत्पादन वितरण चित्र-3 व 4 में दिया गया है ।

रोमुबीच का संयोजनवार लक्ष्य व उत्पादन (लाख में)				
संयोजन		लक्ष्य	उपलब्धि	% उपलब्धि
द्विप्रज संकर नस्ल	सीएसआर2xसीएसआर4	25	10.05	40.2
	एफसी1xएफसी2	236.5	276.16	116.77
	एसएच6xएनबी4डी2	13.5	4.25	31.48
	अन्य		19.33	
योग		**275**	**309.79**	**112.65**
बहु x द्विप्रज संकर नस्ल	पीएम×सीएसआर2	39	28.74	73.69
	पीएम×एफसी2		10.43	
	एन×बीआई	41	39.72	96.88
	एन×एम12 (डब्ल्यू)	20	20.65	103.25
	अन्य		1.17	
योग		**100**	**100.71**	**100.7**
कुल योग		**375**	**410.50**	**109.47**

गुणवत्ता एफ1 रोमुबीच का उत्पादन : बीज उत्पादन प्रक्रियाओं के प्रत्येक स्तर में अं मा सं की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को अपनाते हुए इसके सभी रेबीउके में बीज गुणवत्ता बनाए रखी गयी है । दक्षिण क्षेत्र में उत्पादित बहुxद्विप्रज संकर नस्ल के अंडे की प्रतिप्राप्ति 28.00% के मानक के मुकाबले 28.86% रही । द्विप्रज संकर नस्लों में, सीएसआर संकर नस्ल में औसत अंडे की उत्पादकता 60 ग्रा/किग्रा के मानक के मुकाबले 55.37 ग्रा/किग्रा कोसा रही और द्विसंकर नस्ल में 65 ग्रा/किग्रा कोसा के मानक के मुकाबले 66.44 ग्रा/किग्रा कोसा रही ।

रारेबीसं ने वर्ष के दौरान, विभिन्न राज्य विभागों और केन्द्रीय रेशम बोर्ड के एककों को 264.27 लाख द्विप्रज तथा 107.68 लाख बहुप्रज संकर नस्लों के रोमुबीच की आपूर्ति की । द्विप्रज संकर नस्ल के रोमुबीच का राज्व-वार वितरण चित्र-5 में दिया गया है ।

विस्तार गतिविधियाँ

राष्ट्रीय रेशमकीट बीज संगठन (रारेबीसं) के समूहों के लिए समूह विकास मददकर्त्ता के रूप में पहचाने गए रेबीउके के वैज्ञानिकों के साथ रेशम उत्पादन सेवा केन्द्रों (रेसेके) तथा रेशम उत्पादन सेवा इकाइयों (रेसेइ) सहित विस्तार इकाइयों ने रेबीउके में उत्पादित वाणिज्यिक बीज के वितरण और क्षेत्र में फ़सल अनुश्रवण तथा प्रमाणित प्रौद्योगिकियों के स्थानांतरण के माध्यम से विस्तार समर्थन देकर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है । वर्ष के दौरान, 32 रेशम उत्पादन सेवा केन्द्रों एवं 29 रेशम उत्पादन सेवा इकाइयों ने 181.52 लाख रोमुबीच वितरित किए, जिसमें 103.65 लाख द्विप्रज संकर नस्ल रोमुबीच शामिल हैं । रारेबीसं द्वारा पिछले 5 सालों में वितरित किए गए द्विप्रज वाणिजियक बीजों का तुलनात्मक विवरण चित्र-4 में प्रस्तुत है । चॉकी कीटपालन केन्द्र को छूट योजना के द्वारा द्विप्रज संकर

नस्ल के रोमुबीच के वितरण से असीम लोकप्रियता प्राप्त हुई, क्योंकि वर्ष के दौरान 118.26 लाख रोमुबीच का वितरण किया गया ।

नयी रेशमकीट संकर नस्लों के परीक्षण

द्विप्रजxद्विप्रज संयोजनों के 19.33 लाख तथा बहुप्रजxद्विप्रज संयोजनों के 1.17 लाख रोमुबीच को शामिल कर 20.50 लाख रोमुबीच का उत्पादनकर मूल्यांकन हेतु आपूर्ति की गई ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

रारेबीसं ने बीज फ़सल कीटपालन और बीज उत्पादन पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया । वर्ष के दौरान क्षमता निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत रेशम निदेशालयों के कुल 488 कर्मचारियों एव कृषकों प्रशिक्षित किया गया ।

बीज अधिनियम का कार्यान्वयन

रारेबीसं ने वर्ष 2015-16 के दौरान, केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का कार्यान्वयन करने का अपना प्रयास जारी रखा । वर्ष के दौरान प्राप्त नए आवेदन-पत्रों की जाँच कर कार्रवाई की गई । इस प्रयोजन हेतु विकसित विशेष सॉफ्टवेयर प्रणाली का उपयोग कर 1420 बहु-रंगी द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी) पंजीकरण प्रमाण-पत्र तैयार किए गए । 85 पंजीकृत बीज उत्पादक, 52 पंजीकृत चॉकी कीटपालक और 1283 पंजीकृत बीज कोसा उत्पादक से संबंधित प्रमाण-पत्र को मुद्रित कर औसत 45 दिनों के अंदर प्रेषित किया गया । पूरे भारत के विभिन्न राज्यों के सभी पंजीकृत बीज उत्पादकों एवं चॉकी कीटपालकों को संबंधित बीज अधिकारियों और बीज विश्लेषकों (बी वि) के साथ जोड़ा गया और बीज विश्लेषकों एवं बीज अधिकारियों को नियमित रूप से अधिसूचित किया गया । पंजीकृत पणधारियों के आँकड़ा आधार को समय-समय पर अद्यतन कर सभी राज्यों के रेशम उत्पादन विभागों को भेजा गया और केरेबो के वेबसाइट में भी डाला गया । बीज कीट विश्लेषकों एवं बीज अधिकारियों द्वारा पंजीकृत बीज उत्पादकों एवं पंजीकृत चॉकी कीटपालकों के कार्यालय परिसरों का क्रमशः सुव्यवस्था एवं उत्पादन के प्रमाणीकरण के लिए निरीक्षण किया गया । केरेअवप्रसं, मैसूरु में चॉकी कीटपालन एवं रेबीप्रौप्र, कोड़ती में बीज उत्पादन के लिए तीन महीने की अवधि के प्रमाण-पत्र प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए । चॉकी कीटपालन में 3 दलों में 63 व्यक्तियों ने प्रशिक्षण पूरा किया और बीज उत्पादन तकनीकों में 2 दलों में 31 व्यक्तियों ने प्रशिक्षण पूरा किया । प्रवेशिका (मैट्रिक) उत्तीर्ण व्यक्तियों के प्रमाण-पत्र प्रशिक्षण प्राप्त करने पर वे बीज अधिनियम के अधीन पंजीकरण के योग्य बनेंगे । 131 चाँकी कीटपालकों, 240 पंजीकृत बीज उत्पादकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण तथा 36 वैज्ञानिकों को संगरोध प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा, 20 जागरूकता कार्यक्रम भी संचालित किए गए ।

प्रकाशन

वर्ष 2015-16 के दौरान, रारेबीसं के वैज्ञानिकों द्वारा वैज्ञानिक संगोष्ठियों/ कार्यशालाओं के लिए प्रस्तुत /स्वीकृत शोध पत्रों/लोकप्रिय लेखों को शामिल कर कुल 6 लेखों का प्रकाशन किया गया।

द्विप्रज कच्चे रेशम उत्पादन पर रारेबीसं का प्रभाव

रारेबीसं 264.27 लाख द्विप्रज संकर नस्ल के रोमुबीच का प्रत्यक्ष रूप से वितरण कर और अन्य 40% द्विप्रज मूल बीज की आपूर्ति उसका उपयोग वाणिज्यिक द्विप्रज रेशमकीट बीज उत्पादन के हेतु विभिन्न राज्यों के रेशम उत्पादन विभागों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से कर देश के लगभग 60% द्विप्रज कच्चे रेशम के उत्पादन का योगदान कर देश के द्विप्रज कच्चे रेशम उत्पादन कार्यक्रम की अगुआई करता है ।

वन्य बीज (बुतरेबीसं, मूरेबीसं एवं एरेबीसं)

उष्णकटिबंधीय तसर : बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में कार्यरत बुनियादी तसर रेशमकीट बीज संगठन (बुतरेबीसं) उष्णकटिबंधीय तसर के व्यवस्थापित बीज उत्पादन एवं आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी है । इसके विभिन्न राज्यों में उष्णकटिबंधीय तसर के लिए 21 बुनियादी बीज प्रगुणन व प्रशिक्षण केन्द्र (बुबीप्रवप्रके) कार्यरत हैं और छत्तीसगढ़ के कोटा में एक केन्द्रीय तसर रेशमकीट बीज केन्द्र (केतरेबीके) कार्यरत है । केन्द्रीय तसर रेशमकीट बीज केन्द्र (केतरेबीके) विभिन्न रेशमकीट प्रजातियों के जननद्रव्य के रखरखाव करने के अलावा, आगे प्रगुणन हेतु तसर नाभिकीय बीज के उत्पादन एवं इनके वितरण बुनियादी बीज प्रगुणन एवं प्रशिक्षण केन्द्र को करने के लिए जिम्मेदार है । इस केन्द्र ने बुबीप्रवप्रके के विद्यमान स्टॉक के आपूरण के लिए वर्ष के दौरान 0.81 लाख तसर नाभिकीय रोमुकीच का उत्पादन किया और इसकी आपूर्ति की । 9 राज्यों में स्थित इन 21 बुबीप्रवपक्रे के कार्य निष्पादन में लगातार सुधार हो रहा है, जिन्होंने वर्ष 2015-16 के दौरान 41.80 लाख रोमुबीच उत्पादित किए । इसके अलावा, बुतरेबीसं ने निजी बीज उत्पादकों को शामिल कर 8.58 लाख रोमुबीच उत्पादित किया है ।

ओक तसर : 6 राज्यों में स्थित दो क्षेत्रीय तसर अनुसंधान केन्द्रों, एक ओक तसर बीजागार, तीन अनुसंधान विस्तार केन्द्रों और दो अनुसंधान विस्तार केन्द्र-सह-बुनियादी बीज प्रगुणन व प्रशिक्षण केन्द्रों के द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान ओक तसर बीज उत्पादन का संचयी उत्पादन 0.44 लाख रोमुबीच रहा ।

मूगा बीज : मूगा बीज विकास परियोजना के अधीन केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा स्थापित मूगा रेशमकीट बीज संगठन (मूरेबीसं), में दो पी4, पाँच पी3 मूगा बीज केन्द्र (केन्द्रीय क्षेत्र), 17 पी2 बीज केन्द्र तथा छः धागाकरण इकाइयाँ (राज्य क्षेत्र) हैं । केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन सृजित इकाइयों के साथ वर्तमान पुन:गठित मूगा रेशमकीट बीज संगठन की दो पी4 इकाइयाँ, छः पी3 इकाइयाँ बुनियादी बीज के उत्पादन हेतु और एक मूगा रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्र वाणिज्यिक बीजों के उत्पादन के लिए है । वर्ष 2015-16 के दौरान, मूगा बुनियादी बीज केन्द्रों का संचयी निष्पादन 5.42 लाख मूगा रोमुबीच रहा । इसके अलावा, कलियाबारी (बोको), असम में स्थित एक मूगा रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्र ने 2.03 लाख मूगा रोमुबीच उत्पादित किया है । उत्तर-पूर्व क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (उ-पूक्षेवसंयो) के अधीन, वर्ष 2015-16 के दौरान तीन मूगा पी3 बुनियादी बीज केन्द्र तथा एक रेबीउके स्थापित किया गया है ।

एरी बीज : गुवाहाटी, असम स्थित एरी रेशमकीट बीज संगठन (एरेबीसं) ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र के अपने एकल एरी रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्र और गैर-परम्परागत राज्यों के चार एरी रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्रों सहित विभिन्न राज्य विभागों को वितरण के लिए 2015-16 के दौरान 5.75 लाख एरी रोमुबीच का उत्पादन कर अच्छा निष्पादन किया । उत्तर-पूर्व क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना के अंतर्गत, वर्ष 2015-16 के दौरान एक पी2 बुनियादी बीज फार्म स्थापित किया गया ।

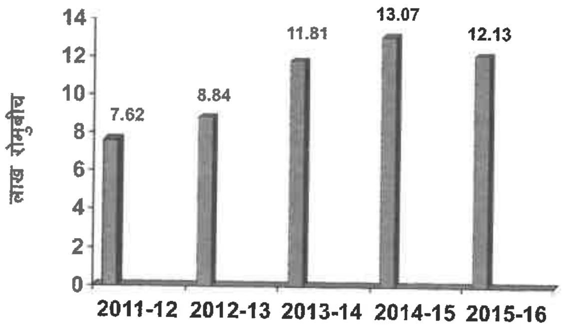

चित्र. 1 : बुबीफा में वर्ष-वार द्विप्रज बुनियादी बीज उत्पादन

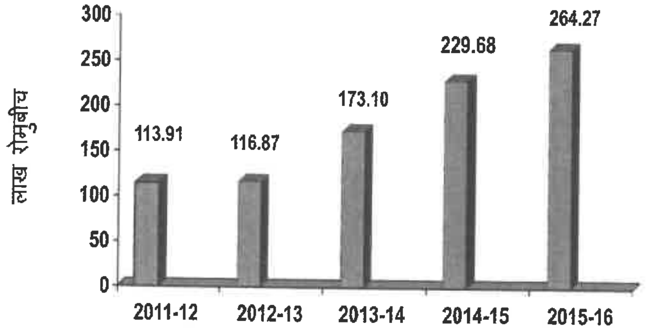

चित्र. 4 : रारेबीसं के रेबीउके में वर्ष-वार द्विप्रज संकर नस्ल का रोमुबीच का उत्पादन

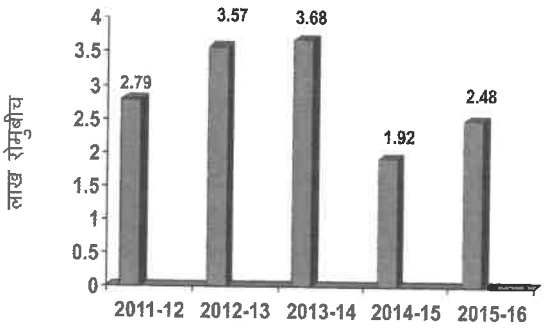

चित्र. 2 :बुबीफा में वर्ष-वार बहुप्रज बुनियादी बीज का उत्पादन

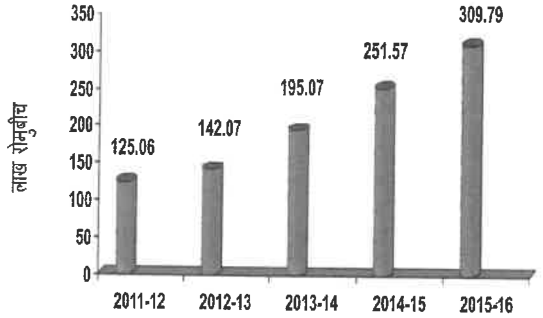

चित्र. 3 : रारेबीसं के रेबीउके में वर्ष-वार द्विप्रज संकर नस्ल के रोमुबीच का वितरण

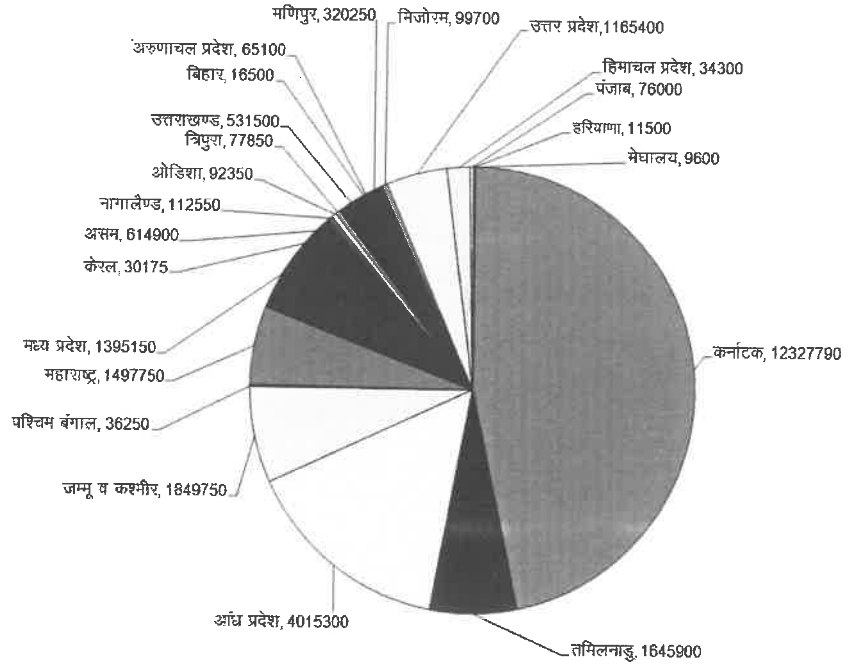

चित्र. 5 : रारेबीसं. द्वारा राज्य-वार द्विप्रज संकर नस्ल के रोमुबीच का वितरण

समन्वय तथा विपणन विकास

समन्वय - बोर्ड सचिवालय

केन्द्रीय रेशम बोर्ड को देश में रेशम उद्योग के समग्र विकास करने के अलावा, रेशम उद्योग से संबंधित मामलों में भारत सरकार को आवश्यक सलाह देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है । केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा विभिन्न विकासात्मक और परस्पर-संबद्ध समर्थन कार्यक्रम के साथ-साथ अनुसंधान व विकास योजनाओं के कार्यान्वयन किए जाते हैं।

बेंगलूर स्थित केन्द्रीय रेशम बोर्ड अपने मुख्यालय से अनुसंधान व विकास संगठनों, अग्रणी प्रदर्शनी, चार स्तरीय रेशमकीट बीज उत्पादन तंत्र का रखरखाव, वाणिज्यिक रेशमकीट बीज उत्पादन में नेतृत्व की भूमिका, विभिन्न उत्पादन प्रक्रिया में मानकीकरण एवं गुणवत्ता प्राचलों के संबंध में शिक्षा देना, देशी एवं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भारतीय रेशम के संवर्धन संबंधी कार्यकलापों का अनुश्रवण करता है । इन सभी गतिविधियों को देश के विभिन्न भागों में स्थित अनुसंधान व विकास संस्थानों, बीज संगठनों, क्षेत्रीय कार्यालयों, कच्चा माल बैंकों के द्वारा किया जा रहा है।

प्रचार एवं माध्यम कार्यक्रम

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, केन्द्रीय रेशम बोर्ड मुख्यालय के प्रचार अनुभाग ने रेशम उत्पादन और रेशम उद्योग पर विभिन्न प्रचार और माध्यम (मीडिया) कार्यक्रमों का आयोजन किया और उसका ब्योरा निम्नानुसार है :-

पत्रिकाएँ

क) इंडियन सिल्क : केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने भारत वर्ष के रेशम उत्पादन एवं रेशम उद्योग को समर्पित द्विभाषी औद्योगिक पत्रिका प्रकाशित किया । वर्तमान में, इस पत्रिका का प्रकाशन 54 वें वर्ष में है ।

ख) वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2014-15 : केरेबो का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन द्विभाषी अर्थात् अंग्रेजी और हिन्दी में करेबो और इसकी अधीनस्थ इकाइयों की गतिविधियों की संपूर्ण सूचना देने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है । यह प्रकाशन केरेबो और विभिन्न राज्यों के रेशम विभागों द्वारा कार्यान्वित अनुसंधान व विकास गतिविधियों और विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी प्रदान करता है । केन्द्रीय रेशम बोर्ड के वर्ष, 2014-15 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन का प्रकाशन माह नवंबर, 2015 के दौरान किया गया ।

ग) रेशम भारती : प्रचार अनुभाग ने हिन्दी अनुभाग, केन्द्रीय कार्यालय के सहयोग से केरेबो के राजभाषा संवर्धन को समर्पित अर्धवार्षिक गृह पत्रिका का भी प्रकाशन किया है ।

अन्य प्रकाशन

1. **उत्कृष्ट रेशम उत्पादन 2015 पुरस्कार विजेता :** केरेअवप्रसं, मैसूरु में नवम्बर 17-18, 2015 के दौरान, हुई "रेशम उत्पादन में नवीन प्रौद्योगिकियाँ तथा सर्वोत्तम प्रणाली पर राष्ट्रीय कार्यशाला" के अवसर पर एक विशेष पुस्तिका का प्रकाशन किया गया । यह पुस्तिका 27 राज्यों के रेशम उत्पादकों की सफलता की गाथा की सूचना देती है, जो रेशम उत्पादन उद्यमों के रुप में उनके निष्पादन में उत्कृष्ट हुए और वे दूसरों के लिए आदर्श बने । संघ वस्त्र राज्य मंत्री ने इस पुस्तिका का विमोचन कार्यशाला के उदघाटन सत्र के दौरान किया । इसके अलावा, प्रचार अनुभाग, केरेबो ने मंच की पृष्ठभूमि, निमंत्रण-पत्र, प्रमाण-पत्र और कार्यशाला के बैजों के सृजनात्मक विन्यास में भी योगदान दिया ।
2. **विशेष पुस्तिका " उपलब्धियाँ 2014-15 की झलक "**: केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने वर्ष 2014-15 के दौरान

भारतीय रेशम उत्पादन की प्रमुख उपलब्धियों की झलक और इस दिशा में केरेबो के योगदान पर एक विशेष पुस्तिका प्रकाशित की है । इस पुस्तिका में भारतीय रेशम उत्पादन तथा रेशम उद्योग के महत्त्व एवं उद्योग के चौमुखी विकास तथा सामाजिक कारणों के लिए इसकी सहायता और समावेशी विकास हेतु एक प्रभावी साधन के रूप में रेशम उद्योग का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने हेतु केरेबो की पहल पर प्रकाश डाला गया । संघ वस्त्र राज्य मंत्री ने केरेअवप्रसं, मैसूरु में नवम्बर 17-18, 2015 के दौरान आयोजित " रेशम उत्पादन में अभिनव प्रौद्योगिकी एवं सर्वोत्तम प्रणाली पर राष्ट्रीय कार्यशाल" का उदघाटन सत्र के दौरान इस पुस्तिका का विमोचन किया ।

3. **उत्तर-पूर्व क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना विवरणिका :** यह विवरणिका वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के रेशम उत्पादन क्षेत्र को सुदृढ़ करने तथा रेशम की मजबूत स्पष्टता अर्थात् गुणवत्ता मानकों के उन्नयन एवं उत्पादन के द्वारा वन्य रेशम के विश्वव्यापी पर विशेष जोर देने के लिए उत्तर-पूर्वी राज्यों में वस्त्र क्षेत्र की विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रारंभ की गई छत्र योजना की सूचना देती है ।

4 . **तेलुगु भाषा में हैण्डबुक ऑफ सेरिकल्चर टेकनोलॉजी:** बोर्ड का प्रकाशन का "हैण्डबुक ऑफ सेरिकल्चर टकनोलॉजी" का तेलुगु के चौथे संस्करण का प्रकाशन प्रगति पर है और इसका प्रकाशन शीघ्र ही किया जाएगा ।

5. **बहु-रंगी पत्रा 2016** : प्रचार अनुभाग ने रेशम उत्पादन के कोसा पूर्व और कोसोत्तर गतिविधियों का चित्रण कर बहु-रंगी पत्रा 2016 का कार्यालय में रचनात्मक विन्यास की व्यवस्था की, इस पत्रा का मुद्रण किया गया और इसे केरेबो की इकाइयों तथा संबद्ध संगठनों को वितरित किया गया।

प्रेस व माध्यम संबंध

प्रचार अनुभाग ने केरेबो के विभिन्न गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए छपाई एवं इलक्ट्रॉनिक माध्यम को कई प्रेस टिप्पणी जारी की और रेशम उत्पादन तथा रेशम संबंधी गतिविधियों का व्यापक विवरण देना सुनिश्चित किया । प्रमुख प्रेस सम्मेलन केरेअवप्रसं, मैसूरु में नवम्बर, 17-18,2015 के दौरान आयोजित दो दिवसीय "रेशम उत्पादन में अभिनव प्रौद्योगिकियाँ व सर्वोत्कृष्ट प्रणाली पर राष्ट्रीय कार्यशाला " के दो दिवसीय घटनाक्रम में अनावरण के रूप में 16 नवंबर, 2015 को आयोजित किया गया । डॉ. एच. नागेश प्रभु, भा व से, सदस्य-सचिव, केरेबो, बेंगलूरु ने इस प्रेस सम्मेलन का संबोधन किया । इस कार्यशाला के उद्घाटन घटनाक्रम का विवरण विभिन्न राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्रों और मैसूरु के स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में दिया गया । अनावरण समाचार प्रसार भारती के क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन में प्रसारित किया गया । इसका प्रसारण संपूर्ण कर्नाटक राज्य में किया गया। इस घटनाक्रम का प्रसारण 17 नवम्बर, 2015 को दूरदर्शन सहित विभिन्न कन्नड़ टी. वी. समाचार चैनलों में भी किया गया। इसके अलावा, इस कार्यक्रम संबंधी जानकारी प्रसार भारती, मैसूरु पर उद्घाटन दिवस को सीधी दी गई । कर्नाटक राज्य के कुछ दैनिक समाचार-पत्र अर्थात् टाइम्स ऑफ इंडिया, अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्र, कर्नाटक राज्य के कन्नड़ दैनिक समाचार-पत्र विजय कर्नाटक तथा विजय वाणी और स्टार ऑफ मैसूरु, अंग्रेजी तथा मैसूरु से प्रकाशित स्थानीय कन्नड़ दैनिक समाचार-पत्र के लिए मैसूर मित्र तथा आंदोलन तथा बेंगलूरु से प्रकाशित राजस्थान पत्रिका में बहु-रंगी विज्ञापन प्रकाशित किया गया।

श्रव्य-दृश्य माध्यम से प्रचार

रेशम उत्पादन को लोकप्रिय बनाने के साथ-साथ रेशम के उपयोग को बढावा देने के लिए, केरेबो ने देश भर में आकाशवाणी तथा दूरर्शन तंत्र में ताज़ा रेडियो

तथा वीडियो समाचार प्रकाशित किया गया। "बेहतर आजीविका के लिए रेशम उत्पादन" पर ताज़ा श्रव्य-दृश्य समाचार, दूरदर्शन तंत्र के 22 चैनलों में (दिन में एक बार) तथा डीडी किसान में (दिन में दो बार) प्रसारित किया गया, जो 31 दिनों तक प्रसारित किया गया। इसके अलावा, दूरदर्शन केन्द्र, गुवाहाटी तथा कार्यक्रम निर्माण केन्द्र (कानिके), उत्तर-पूर्व द्वारा 22 दिनों तक प्रसारित किया गया।

इसके अतिरिक्त, इसे देश भर में आकाशवाणी के दायरे में आने वाले सभी प्राथमिक चैनलों स्थानीय रेडियो केन्द्रों तथा एफएम रेडियो में छः रेडियो संवर्धनात्मक ताज़ा समाचार का प्रसारण 31 दिनों तक प्रसारित किया गया।

"बेहतर आजीविका के लिए रेशम उत्पादन" पर केरेबो का रेडियो विज्ञापन भारतवर्ष के प्रधान मंत्री के ध्वजपोत कार्यक्रम "मन की बात" में राष्ट्र को जोड़ने संबंधी प्रसारण किया गया, जिसे पूरे भारत वर्ष में प्रसारित किया गया। इसके अलावा, केरेबो ने 5 नवंबर,2015 को भूपेन हज़ारिका को श्रद्धंजलि देने के अवसर पर दूरदर्शन केन्द्र, गुवाहाटी तथा कार्यक्रम निर्माण केन्द्र, उत्तर-पूर्व द्वारा प्रसारित एक विशेष कार्यक्रम में 20 सेकेंड की अवधि का 7 वाणिज्यिक टी.वी. ताज़ा समाचार प्रसारित किया गया।

प्रदर्शनी एवं व्यापार मेलाओं में सहभागिता

क. केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने एक छोटी दुकान डालकर कगिनेले गाँव, ब्यदगी तालूक, हावेरी जिला, कर्नाटक में 11 मार्च, 2016 को आयोजित "वार्षिक रेशम उत्पादन किसान कार्यशाला व रेशम मालों की प्रदर्शनी" में भाग लिया। यह प्रदर्शनी केरेअवपसं, मैसूरु द्वारा रेशम उत्पादन विभाग, कर्नाटक सरकार के सहायोग से आयोजित की गई।

ख. केन्द्रीय कार्यालय, केरेबो ने सितंबर, 2015 के दौरान बारानगर, कोलकाता में आयोजित 19वीं राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता को सहयोग किया।

अन्य

प्रचार अनुभाग ने केरेबो के सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए एक स्मृति चिह्न का विन्यास तैयार किया। इस स्मृति चिह्न को मार्च, 2016 से सेवा निवृत्त होने वाले केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रदान किया गया।

राजभाषा नीति

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास जारी रहे। सरकारी कार्यों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की गति बढ़ाने के फलस्वरूप, विभिन्न मंचों द्वारा केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्यालयों को पुरस्कृत किया गया। राष्ट्रीय रेशमकीट बीज संगठन, बेंगलूरु ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराभाकास), बेंगलूरु से वर्ष 2014-15 के लिए राजभाषा शील्ड एवं प्रमाण-पत्र दिनांक 27.07.2015 को और क्षेत्रीय राजभाषा से तृतीय पुरस्कार भी वर्ष 2014-15 के लिए दिनांक 19.02.2016 को प्राप्त किया। केरेअवप्रसं, केरेबो, बहरमपुर ने वर्ष 2014-15 के लिए क्षेत्रीय राजभाष से तृतीय पुरस्कार 21.012016 को प्राप्त किया। केमूएअवप्रसं, केरेबो, लाहदोईगढ़ ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जोरहाट से वर्ष 2014-15 के लिए शील्ड एवं प्रमाण-पत्र दिनांक 30.09.2015 को प्राप्त किया। मूरेबीसं, गुवाहाटी ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), गुवाहाटी से वर्ष 2014-15 के लिए प्रशस्ति-पत्र दिनांक 16.12.2015 को प्राप्त हुआ। क्षेत्रीय कार्यलय, गुवाहाटी ने भी वर्ष 2014-15 के लिए नगर

राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), गुवाहाटी से प्रशस्ति-पत्र दिनांक 16.12.2015 को प्राप्त किया। क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई को 2014-15 का सांत्वना शील्ड दिनांक 21.12.2015 को प्राप्त हुआ । सहायक निदेशक (रा.भा.), केरेप्रौअसं, बेंगलूरु ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बेंगलूरु से वर्ष 2014-15 के लिए प्रशस्ति-पत्र दिनांक 27.07.2015 को प्राप्त किया।

राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं नियम, 1976 का अनुपालन

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के अलावा, राजभाषा नियम, 1976 के नियम-5 के अधीन हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी और द्विभाषी में ही दिए गए। वार्षिक कार्यक्रम, 2015-16 में मूल पत्राचार, फैक्स, आदि के लिए निर्धारित लक्ष्य भी प्राप्त किए गए । राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत बोर्ड सचिवालय सहित 106 कार्यालयों को अब तक अधिसूचित किए गए हैं और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अधीन हिन्दी में कार्य करने हेतु आदेश/ज्ञापन जारी किए गए।

प्रशिक्षण

बोर्ड मुख्यालय एवं इसकी अधीनस्थ इकाइयों में चरणबद्ध रूप से हिन्दी प्रशिक्षण दिया गया । केरेबो सचिवालय, बेंगलूरु में पुनर्गिठत (स्तर-3) अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम में तीन कर्मचारियों सदस्यों को पशिक्षित किया गया। केरेबो मुख्यालय, बेंगलूरु के 19 कर्मचारी, केरेअवपसं, बहरमपुर के 36 अधिकारियों एवं 78 कर्मचारियों एवं केरेबो इकाइयों के 44 अधिकारियों/कर्मचारियों को कंप्यूटर में हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया।

अन्य उपलब्धियाँ

केरेअवप्रसं, बहरमपुर, पश्चिम बंगाल में हिन्दी के कार्यान्वयन पर एक सेमिनार "राजभाषा हिन्दी में मौलिक लेखन-एक अंतर-संवाद" दिनांक 22.05.2015 को आयोजित किया गया । डॉ. एस. निर्मल कुमार संस्थान के निदेशक ने इस सेमिनार की अध्यक्षता की । संस्थान एवं अधीनस्थ इकाइयों के वैज्ञानिक तथा अन्य संगठन से तकनीकी कर्मचारियों ने इस सेमिनार में भाग लिया।

बैठक

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें, जो बोर्ड सचिवालय, अनुसंधान संस्थानों और अन्य मुख्य अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन कार्यक्रम का अनुश्रवण करती है, दिनांक 30.06.2015, 29.09.2015, 29.12.2015 और 04.03.2016 को संपन्न हुई । केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूरु ने मैसूरु में वस्त्र मंत्रालय के हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक 17.11.2015 को आयोजित की और इस समिति की मुंबई में दिनांक 10.06.2015 को संपन्न बैठक में भी उपस्थित हुआ । अधिकांश अधीनस्थ कार्यालयों में भी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से हुईं।

हिन्दी सप्ताह/पखवाड़ा

केन्द्रीय कार्यालय, राष्ट्रीय रेशमकीट बीज संगठन एवं केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान, बेंगलूरु ने बेंगलूरु स्थित केरेबो परिसर में दिनांक 01.09.2015 से 14.09.2015 तक संयुक्त रूप से हिन्दी पखवाड़ा मनाया और हिन्दी वाचन, सुलेख, टिप्पण-आलेखन, तस्वीर क्या बोलती है, वर्ग पहेली, शब्दावली, स्मृति परीक्षण, मौखिक प्रश्नोत्तरी, हिन्दी आशुभाषण तथा हिन्दी गीत जैसी प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं । हिन्दी पखवाड़ा का समापन– सह-पुरस्कार वितरण समारोह दिनांक 15.09.2015 को मनाया गया । केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अधिकांश संबद्ध/अधीनस्थ इकाइयों में भी हिन्दी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा मनाया गया।

हिन्दी कार्यशाला/सेमिनार

बोर्ड मुख्यालय ने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए दिनांक 26.06.2015, 27.08.2015, 28.10.2015 एवं 25-26.02.2016 को पाँच एक दिवसीय पूर्णकालिक हिन्दी कार्यशाला आयोजित की । दिनांक 26.06.2015को आयोजित हिन्दी कार्यशाला में हिन्दी में कम्प्यूटर पर प्रशिक्षण पर ध्यान केन्द्रित किया गया, जिसमें 1 9 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। केतअवप्रसं, राँची ने हिन्दी भाषा के माध्यम से दिनांक 08.04.2015 को राजभाषा तकनीकी सेमिनार, दिनांक 06.10.2015 को समय प्रबंधन संगोष्ठी तथा दिनांक 07.01.2016 को ऊर्जा संरक्षण संगोष्ठी आयोजित की । केरेअवप्रसं, बहरमपुर ने राजभाषा हिन्दी में मौलिक लेखन-एक अंतर संवाद दिनांक 22.05.2015 को आयोजित किया । बोर्ड की अधीनस्थ इकाइयों में भी हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गईं ।

सॉफ्टवेयर एवं उसका उपयोग

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अनुदेश के अनुपालन में केरेबो और इसके मुख्य संस्थानों, क्षेत्रीय कार्यालयों और अन्य कार्यालयों में यूनिकोड सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है । केन्द्रीय रेशम बोर्ड और इसकी इकाइयों में "लीप ऑफिस 2000" सॉफ्टवेयर का भी उपयोग किया जा रहा है । केरेप्रौअसं, बेंगलूरु ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड और इसकी इकाइयों में द्विभाषी वेतन पर्ची तैयार करने के लिए बैंक स्क्रिप्ट सॉफ्टवेयर का निगमित अनुज्ञप्ति ली है ।

निरीक्षण

संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप-समिति ने क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली का निरीक्षण दिनांक 20.08.2015 को किया । संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति ने क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र, केरेबो, कालिम्पोंग, प्रमाणन केन्द्र, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, वारणसी तथा क्षेत्रीय कार्यालय, केरेबो, नई दिल्ली का राजभाषा निरीक्षण क्रमशः 09.04.2015, 18.09.2015 और 12.02.2016 को किया । बोर्ड सचिवालय एवं इसके मुख्य संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय ने बोर्ड के 65 संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित निरीक्षण किया ।

प्रकाशन

केन्द्रीय कार्यालय ने वार्षिक प्रतिवेदन, 2014-15, वर्ष 2014-15 के लेखा-परीक्षा प्रमाण-पत्र और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन सहित प्रमाणित लेखा प्रकाशित किया। केन्द्रीय कार्यालय गृह ने गृह पत्रिका "रेशम भारती" का भी प्रकाशन किया । केतअवप्रसं, राँची ने रेशम वाणी तथा समाचार-पत्र तथा तसर खाद्य पौधों की पत्तियों में पोषक तत्त्वों के स्तर का वर्गीकरण एवं पोषण प्रबंधन के उपाय पुस्तिका प्रकाशित की । बुतरेबीसं ने हिन्दी में उष्णकटिबंधीय तसर रेशम संवर्धन में बीज कोसा उत्पादन की क्रियाएँ, तसर रेशमकीट बीज पत्रिका, तसर बीज उत्पादन, तसर बीज उत्पादन प्रबंधन एवं वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15 द्विभाषी में प्रकाशित किया । मूरेबीसं, गुवाहाटी ने हिन्दी में एरी खाद्य पौध उगाना एवं रखरखाव, रेशम कीटपालन और बीज प्रौद्योगिकी की समेकित प्रणाली, वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15 द्विभाषी में प्रकाशित किया । रारेबीसं, बेंगलूरु ने हिन्दी में द्विप्रज संकर नस्ल रेशमकीट बीज उत्पादन तकनीक प्रकाशित किया। केरेअवप्रसं, मैसूरु ने हिन्दी में 15 पत्रक प्रकाशित किया । आँरेबीसं, केरेबो, माजरा ने हिन्दी में सफल द्विप्रज कीटपालन के लिए विशुद्धीकरण की तकनीक एवं उत्तर भारत में कृषकों के लिए द्विप्रज रेशमकीट पालन की तकनीकी प्रकाशित किया।

अनुवाद

केन्द्रीय रेशम बोर्ड सचिवालय ने वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15, वर्ष 2014-15 के लेखा-परीक्षा प्रमाण-पत्र और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन सहित प्रमाणित लेखा,

केन्दीय रेशम बोर्ड के रेशम उत्पादन क्षेत्र का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पत्रा 2014-15, रेशम व रेशम उत्पादन पर पृष्ठभूमि टिप्पणी, उत्कृष्ट रेशम उत्पादन पुरस्कार विजेता 2015 का अनुवाद हिन्दी में किया। संसदीय श्रम स्थायी समिति द्वारा उठाए गए बिन्दुओं की सूची पर वस्त्र मंत्रालय/केरेबो के बिन्दुवार उत्तर, केन्द्रीय रेशम बोर्ड (प्रशासनिक, लेखा व सामान्य संवर्ग पद) भर्ती नियम, 2015, स्थायी समिति की बैठक व बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त का अनुवाद किया। केतअरवप्रसं, राँची ने मोटर चालित तसर धागाकरण व कताई धागाकरण मशीन, वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15, तसर परपोषी पौधों के प्रमुख पीड़क, तसर रेशमकीट का प्रमुख पीड़क का अनुवाद किया। केरेअवप्रसं, मैसूरु ने प्रशिक्षण कैलेण्डर 2015-16 तथा 15 पत्रक का अनुवाद हिन्दी में किया।

चलशील्ड पुरस्कार

बोर्ड सचिवालय एवं इसकी संबद्ध इकाइयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की गति बढ़ाने के लिए, केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने राजभाषा चलशील्ड योजना प्रारंभ की है, जिसमें वर्ष के दौरान उनके कार्य निष्पादन के लिए पुरस्कार दिया जाता है। बोर्ड मुख्यालय, बेंगलूरु ने केरेबो राजभाषा चलशील्ड 2013-14 का समारोह 04.03.2015 को आयोजित किया। वर्ष के पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 1. राष्ट्रीय रेशमकीट बीज संगठन, करेबो, बेंगलूरु 2. केतअवप्रसं, केरेबो, राँची 3. क्षेत्रीय कार्यालय, केरेबो, नई दिल्ली 4. केरेजसंके, केरेबो, होसूर 5. ऑचलिक कार्यालय, केरेप्रौअसं,केरेबो, बिलासपुर 6. बुबीप्रवप्रके, केरेबो, पाली 7. क्षेतअके, केरेबो, बारिपदा तथा 8. क्षेत्रीय कार्यालय, केरेबो, गुवाहाटी रहे। बोर्ड सचिवालय के अनुभागों के लिए अलग चलशील्ड का भी प्रावधान किया गया है। बोर्ड सचिवालय के अनुभागों में वर्ष 2013-14 का चलशील्ड क्रमश: स्थापना अनुभाग तथा योजना व अनुश्रवण अनुभाग ने प्राप्त किया। केतअवप्रसं, राँची और केरेअवप्रसं, बरहमपुर ने चलशील्ड वितरण समारोह का आयोजन किया और केरेप्रौअसं, बेंगलूरु ने भी संस्थान के अनुभागों और अधीनस्थ इकाइयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा चलशील्ड योजना आरंभ की है।

प्रतियोगिता

बोर्ड मुख्यालय, बेंगलूरु ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बेंगलूरु के तत्वावधान में अंतर कार्यालयीन प्रतियोगिता के अवसर पर "सही शब्द क्या है" प्रतियोगिता का आयोजन 26.10.2015 को किया।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय (क्षे का) राज्यों एवं उनके रेशम उत्पादन विभागों और उनके कार्यक्षेत्र की अधीनस्थ इकाइयों से सम्पर्क बनाए रखते हैं। वे संबंधित राज्यों में कार्यान्वित विभिन्न रेशम उत्पादन विकास कार्यक्रमों से संबंधित इन अभिकरणों से समन्वय करते हैं। वे विभिन्न स्थानों अर्थात् नई दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, जम्मू, हैदराबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, लखनऊ, चेन्नई और पटना में कार्य कर रहे हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों की अन्य गतिविधियाँ निम्नानुसार हैं:

- केरेबो द्वारा गठित राज्य स्तरीय रेशम उत्पादन समन्वय समिति (रा स्त रे स स) बैठक का आयोजन कर करना।
- प्रदर्शनी, कृषक सम्मिलन एवं उद्यमी विकास कार्यक्रम आयोजित करना।
- रेशम उत्पादन तथा रेशम उद्योग से संबंधित आँकड़े इकट्ठा करना, विश्लेषण करना तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली आँकड़ा आधार में अनुरक्षित करने हेतु केन्द्रीय कार्यालय को अग्रेषित करना।
- रेशम उत्पादकों की उत्पादकता और अर्थव्यवस्था का ब्योरा तैयार करने के लिए चयनित क्षेत्रों में आधार-भूत सर्वेक्षण करना।
- राज्य में प्रयोगशाला से क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर को

पहचानने के लिए केन्द्रीय कार्यालय को योजना/सुझाव देना ।

- क्षेत्र परीक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सर्वेक्षण तथा मूल्यांकन अध्ययन के विषय में अपने कार्यक्षेत्र के अनुसंधान संस्थानों के निदेशकों के साथ समन्वय करना ।
- विभिन्न राज्यों में गैर-सरकारी संगठनों (गै स सं) तथा अन्य स्वैच्छिक अभिकरणों द्वारा चलाए जा रहे रेशम उत्पादन कार्यक्रमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना ।
- राज्य में विकासात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन करने की व्यवस्था करना ।
- केन्द्रीय कार्यालय के निदेशों के अनुसार प्रशिक्षण/कार्यशालाओं और अन्य प्रचार कार्यक्रमों का समन्वय करना ।
- निर्यात के निमित्त रेशम मालों की गुणवत्ता का स्वैच्छिक निरीक्षण करना ।
- केन्द्रीय प्रायोजित उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के निर्माण, कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन में राज्यों की सहायता करना ।
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार आम जनता को सूचना प्रदान करने के लिए केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों/सहायक लोक सूचना अधिकारियों के रूप में कार्य करना ।
- भारतीय रेशम मार्क संगठन (भा रे मा सं) द्वारा 'रेशम मार्क' प्रभाग का कार्यान्वयन/ निष्पादन का समन्वय करना ।

उचित समन्वय के साथ प्रभावी संचालन करने के लिए कार्य व्यवस्था का ध्यान से अनुश्रवण करने के लिए नई दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता एवं चेन्नई स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों को विकेंद्रित कर उनके संबंधित अंचलों में क्षेत्रीय कार्यालयों का अतिरिक्त उत्तरदायित्व सँभालने के लिए क्षेत्रीय व आँचलिक कार्यालयों के रूप में पदनामित किया गया है ।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के क्षेत्रीय व आँचलिक कार्यालयों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों का अंग-वर्णन नीचे प्रस्तुत है :

क्षेत्रीय-व-आँचलिक कार्यालय	अंचल	क्षेत्रीय कार्यालय	शामिल राज्य
क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली	उत्तरी अंचल	सीधा	पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखण्ड
		क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू	ज व क
		क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ	उत्तर प्रदेश
क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता	पूर्वी अंचल	सीधा	पश्चिम बंगाल
		क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर	ओडिशा, मध्य प्रदेश,
			छत्तीसगढ़
क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	उत्तर-पूर्वी अंचल	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	बिहार, झारखण्ड
		सीधा	8 उ-पू राज्य
		मूकमाबैं	सभी मूगा उत्पादक राज्य
क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	दक्षिणी अंचल	सीधा	तमिलनाडु
		क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई	महाराष्ट्र, गुजरात
		के का बेंगलूरु, (केन्द्रक अधिकारी)	कर्नाटक, केरल
		क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना

निर्यात संवर्धन योजना

लदान-पूर्व निरीक्षण

क) वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार केन्द्रीय रेशम बोर्ड (केरेबो) द्वारा प्राकृतिक रेशम मालों के निर्यात हेतु अनिवार्य रूप से लदान-पूर्व निरीक्षण को 01 अप्रैल, 2000 से हटा दिया। फिर भी, केरेबो प्राकृतिक रेशम मालों का निरीक्षण प्राधिकारी होना जारी रखा है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा निर्धारित सेवा प्रभार के भुगतान पर स्वैच्छिक गुणवत्ता निरीक्षण कर रहा है। रेशम मालों के निरीक्षण तथा निर्यातकों की स्व:घोषणा पर केरेबो द्वारा जी एस पी सहित विभिन्न शुल्क प्रमाण-पत्र, हथकरघा प्रमाण-पत्र, हस्तशिल्प प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण-पत्र और हस्तशिल्प प्रमाण-पत्र भी जारी किए जाते हैं।

ख) निर्यात के निमित्त रेशम अपशिष्ट निरीक्षण एवं प्रमाणन भी बोर्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा का एक भाग है।

ग) वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशानुसार 07.10.1999 से 100% रेशम पाइल क़ालीन निरीक्षण को निलंबित किया गया है। फिर भी, निर्यातकों या आयातकों द्वारा केरेबो से अनुरोध किए जाने पर निर्यात संवर्धन उपाय के रूप में केरेबो इस योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक रूप से क़ालीन का निरीक्षण कर रहा है। 100% प्राकृतिक रेशम पाइल क़ालीनों पर 100% प्राकृतिक पाइल क़ालीन लेबुल लगाया जाता है। विदेशी उपभोक्ताओं में यह मार्का (ब्रांड) अच्छी तरह स्थान बना चुका है।

घ) वर्ष, 2015-16 के दौरान, स्वैच्छिक गुणवत्ता निरीक्षण योजना के अंतर्गत केरेबो के प्रमाणन केन्द्रों द्वारा निर्यात हेतु प्रमाणित प्राकृतिक रेशम/सम्मिश्रित रेशम माल 249.947 करोड़ रुपये मूल्य के 23.589 लाख वर्ग मीटर रहे। निरीक्षण प्रभार, खाली प्रपत्र की बिक्री, नमूनों के परीक्षण प्रभार तथा जीएसपी, मूल प्रमाण-पत्र, हथकरघा प्रमाण-पत्र, हस्तशिल्प प्रमाण-पत्र, आदि जैसे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रति स्वैच्छिक गुणवत्ता निरीक्षण योजना के अंतर्गत सृजित आय ` 17,63,250/- रही।

विविध शुल्क प्रमाण-पत्र जारी करना

क) इग्जिम नीति एवं द्विपक्षीय समझौतों के अंतर्गत उनके देश में प्राकृतिक रेशम/सम्मिश्रित रेशम उत्पादों के आयात के लिए शुल्क मुक्त या रियायती शुल्क पर विदेशी आयातकों को उपलब्ध करने के लिए, बोर्ड द्वारा निर्धारित आवश्यक शुल्क के भुगतान पर रेशम मालों के निरीक्षण तथा निर्यात हेतु प्रमाणित एवं निर्यातकों की स्व:घोषणा पर विभिन्न शुल्क प्रमाण-पत्र यथा; यूरोपीय आर्थिक समुदाय को हथकरघा प्रमाण-पत्र, यूरोपीय आर्थिक समुदाय को हस्तशिल्प प्रमाण-पत्र, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया को हस्तशिल्प प्रमाण-पत्र और स्विट्जरलैण्ड को शुल्क प्रमाण-पत्र, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, युगोस्लाविया, आदि को मूल प्रमाण-पत्र तथा अन्य मूल विशेष प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

ख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय देशों द्वारा प्रदत्त आयात गंतव्य स्थान पर सीमा-शुल्क रियायत के लिए हथकरघा वस्त्र भी विशेषाधिकार प्राप्त है।

परीक्षण सुविधा

बोर्ड के प्रमाणन केन्द्रों से संबद्ध प्रयोगशालाओं के माध्यम से रेशम गुणवत्ता, भौतिक/रसायनिक लक्षणों और अन्य प्राचलों की जाँच करने और संघटक सूत की पहचान करने के लिए रेशम के नमूना प्रतिदर्श का विश्लेषण और उसकी प्रतिशतता, आदि के विश्लेषण के लिए परीक्षण की सेवा प्रदान की जाती है।

सीमा-शुल्क विभाग, विदेश व्यापार महानिदेशालय, रेशम निदेशालय एवं अन्य वस्त्र संस्थानों के साथ-साथ निजी फार्मों और व्यक्तियों जैसे विभिन्न संगठनों द्वारा जब और जैसे उत्पादों में संघटक सूत एवं रेशम अंश की प्रतिशतता को पहचानने में तकनीकी सहायता भी प्रदान की । वर्ष 2015-16 के दौरान, स्वैच्छिक गुणवत्ता निरीक्षण योजना के अंतर्गत प्रमाणित केन्द्रवार रेशम/सम्मिश्रित रेशम मालों का ब्योरा तालिका में दिया गया है । वर्ष 2015-16 में विभिन्न संस्थाओं एवं निर्यात समुदायों को प्रदत्त सेवा से अर्जित राजस्व का ब्योरा नीचे तालिका में दिया गया है :

2015-16 के दौरान स्वैच्छिक गुणवत्ता निरीक्षण योजना के अधीन प्रमाणित केन्द्र-वार प्राकृतिक रेशम माल

प्रमाणन केन्द्र	2015-16	
	मात्रा (लाख वर्ग मी)	मूल्य (रु करोड़ में)
मुम्बई	1.719	20.738
बेंगलूरु	17.217	109.724
नई दिल्ली	2.147	74.584
कोलकता	1.486	9.186
चेन्नई	0.857	7.371
वाराणसी	0.045	3.397
श्रीनगर	0.118	23.512
हैदराबाद*	0	1.435
भागलपुर	0	0
कुल योग	**23.589**	**249.947**

वर्ष 2015-16 के दौरान, विभिन्न संस्थाओं एवं निर्यात समुदाय को प्रदत्त सेवा से अर्जित राजस्व

(इकाई रु. में)

प्रमाणन केन्द्र	खाली प्रपत्रों का विक्रय	शुल्क प्रमाण-पत्र जारी करना	निरीक्षण प्रभार	नमूना परीक्षण प्रभार	अन्य
मुम्बई	600	101500	13500	-	9100
बेंगलूरु	35300	651000	165150	188975	15200
नई दिल्ली	23500	168000	88850	6875	-
कोलकता	4150	89950	32500	67550	-
चेन्नई	-	22050	30500	325	1400
वाराणसी	-	1050	4900	3000	-
श्रीनगर	900	16450	16100	1375	-
हैदराबाद	-	-	3500	-	-
भागलपुर	-	-	-	-	-
कुल योग	64450	1050000	355000	268100	25700

विपणन विकास

तसर और मूगाके लिए कच्चा माल बैंक (क मा बैं)

केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने भारत सरकार की मूल्य स्थिरीकरण योजना के अधीन 'न लाभ न हानि' के आधार पर प्राथमिक उत्पादकों को सहायता करने एवं एक-समान मूल्य पर कोसे की आपूर्ति करने तथा मध्यस्थों के शोषण से कीटपालकों के हित की रक्षा करने के लिए भी कोसों और उपोत्पादन हेतु कच्चे रेशम बैंकों (क मा बैं) की स्थापना की है। वे उत्पादन के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन सुनिश्चित करते, कोसों और कच्चे रेशम के बाज़ार मूल्यों में व्यापक उतार-चढ़ाव से लाभार्थियों को राहत देते और एक-समान मूल्यों पर रेशम के वास्तविक उपयोगकर्त्ताओं एवं निर्माता निर्यातकों को वास्तविक कच्चे रेशम मालों की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं।

4 उप-डिपो सहित चाईबासा (झारखंड) स्थित तसर कच्चा माल बैंक और 3 उप-डिपो सहित शिवसागर (असम) स्थित मूगा कच्चा माल बैंक प्राथमिक तसर एवं मूगा कोसा उत्पादकों को किफ़ायती तथा उचित मूल्य सुनिश्चित करते हैं। कच्चा माल बैंकों द्वारा किए गए तसर एवं मूगा कोसों के क्रय एवं विक्रय के ब्योरे नीचे दिए गए हैं :

(मात्रक : मात्रा सं. लाख में एवं मूल्य ₹ लाख में)

क्षेत्र	कोसा क्रय		कोसा विक्रय	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
तसर	183.63	210.02	169.08	201.21
मूगा	1.02	1.38	1.02	1.41

गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली

कोसा/कच्चा रेशम परीक्षण केन्द्र की स्थापना

कोसों की गुणवत्ता एक महत्त्वपूर्ण घटक है, जिसका प्रभाव धागाकरण के निष्पादन के साथ-साथ कच्चे रेशम की गुणवत्ता पर पड़ता है । नीलामी से पहले कोसों की गुणवत्ता का मूल्यांकन कृषक एवं धागाकारों/क्रेताओं के बीच उचित व्यापार की सुविधा प्रदान करता है और गुणवत्ता आधारित मूल्य को बढ़ावा देता है । कोसा परीक्षण की सुविधा प्रदान करने के लिए, विभिन्न कोसा बाज़ारों में कोसा परीक्षण केन्द्र प्रदान किया गया है ।

उसी तरह, औसत डेनियर, डेनियर विभिन्नता तथा लपेटन टूट-फूट जैसी कच्चे रेशम की गुणवत्ता महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसका प्रभाव बुनाई के दौरान और कपड़े की गुणवत्ता के निष्पादन पर पड़ता है । गुणवत्ता के लिए कच्चे रेशम परीक्षण का मूलभूत उद्देश्य कच्चे रेशम की गुणवत्ता के बारे में जागरुकता पैदा करना है, जिससे कच्चे रेशम की गुणवत्ता उन्नयन के प्रति प्रोत्साहन पैदा हो ।

वर्ष 2015-16 के दौरान, इस योजना के अन्तर्गत दो कोसा परीक्षण केन्द्र जनगाँव तथा हैदराबाद (तेलंगाना) में एक-एक और तीन करेपके, धारवाड़, कोलार (कर्नाटक) तथा जनगाँव (तेलंगाना) में एक-एक स्थापित किया जा रहा है ।

भारतीय रेशम मार्क संगठन

गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली के मुख्य उद्देश्यों में एक उद्देश्य है - गुणवत्ता आश्वासन, गुणवत्ता मूल्यांकन एवं गुणवत्ता प्रमाणन को सुदृढ़ करने के प्रति उपयुक्त उपाय प्रारंभ करना । इस योजना के अन्तर्गत, दो घटक यथा, "कोसा परीक्षण इकाइयाँ एवं कच्चा रेशम परीक्षण इकाइयाँ" एवं "रेशम मार्क का संवर्धन" कार्यान्वित किए जा रहे हैं ।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड भारतीय रेशम मार्क संगठन (भारेमासं) के माध्यम से "रेशम मार्क" को लोकप्रिय बना रहा है । "रेशम मार्क" रेशम की शुद्धता के लिए एक आवश्वासन लेबुल, रेशम के नाम पर नकली उत्पादों की बिक्री करने वाले व्यापारियों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है । केरेबो के प्रमाणन-केन्द्रों के तंत्र, स्वतंत्र एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से सम्बद्ध दोनों रूप में कार्यरत हैं, द्वारा भारत से निर्यातित प्राकृतिक रेशम मालों की गुणवत्ता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण सुविधा प्राप्त करने के लिए निर्यातकों के स्वैच्छिक अनुरोध पर निर्यातकों के निर्यात के निमित्त प्राकृतिक रेशम मालों का लदान-पूर्व निरीक्षण किया जा रहा है । ये कार्यालय रेशम मार्क योजना के उन्नयन के साथ-साथ बहुमुखी कार्य भी करते हैं, उनके द्वारा शुद्ध रेशम उत्पादों के उपभोक्ताओं को उनके रुपये-पैसे के मूल्य प्राप्त करने तथा रेशम मूल्य श्रृंखला के पणधारियों को बड़े पैमाने पर व्यापार करने के लिए मदद देते हैं ।

2015-16 के दौरान गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली (गु प्र प्र) के अन्तर्गत हुई प्रगति नीचे दी गई है :

विवरण	2015-16 के दौरान उपलब्धि
नामित अधिकृत प्रयोक्ताओं की कुल संख्या	272
बेचे गए रेशम मार्क लेबुलों की कुल संख्या (संख्या लाख में)	27
जागरुकता कार्यक्रम प्रदर्शनी/मेला/कार्यशाला/सड़क प्रदर्शनी (संख्या)	410

इसके अतिरिक्त, 2897 विक्रेताओं को अधिकृत प्रयोक्ता परिसर में प्रशिक्षित किया गया । भारतीय रेशम मार्क संगठन ने 2464 निगरानी निरीक्षण किया ।

निर्यात/मार्का संवर्धन तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन

बारहवीं योजना के दौरान, भारेमासं तथा अंतरराष्ट्रीय रेशम संवर्धन परिषद् द्वारा वर्ष में कार्यान्वित किए जाने के लिए नया एक घटक "निर्यात/मार्का संवर्धन व प्रौद्योगिकी उन्नयन" लिया गया है । फिर भी, सभी पणधारियों, निर्यातकों, आयातकों, फ़ैशन विन्यासकारों, आदि के साथ परस्पर चर्चा कर भारतीय रेशम मार्का संवर्धन योजना को केवल दो वर्ष (2013-14 व 2014-15) के लिए कार्यान्वित किया गया है ।

एक युक्तिकरण प्रयास के रूप में, इस योजना को वर्ष 2015-16 से बंद कर दिया गया है और इस योजना के कुछ घटकों को मंत्रालय से प्राप्त निर्देशानुसार योजनावधि के शेष भाग को केरेबो के विद्यमान गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली में मिला दिया गया है । इस अवधि के दौरान किए गए कतिपय संवर्धन कार्यकलापों को नीचे दिया गया है :

क. सुआलकुची, उप्पड़ा तथा चंदेरी में भारतीय रेशम संवर्धन कार्यक्रम को पूरा किया गया है ।

ख. एक विशेष भारतीय रेशम पोर्टल विकसित किया गया है ।

ग. रेशम समूहों के उत्पादों का संवर्धन करने के लिए एक विशेष ई-वाणिज्य पोर्टल www.silkmark.gocoop.com स्थापित किया गया है । इसके प्रथम चरण में, पाँच समूह अर्थात् वाराणसी, भागलपुर, उप्पड़ा, पोचमपल्ली तथा सुआलकुची को शामिल किया गया है । उपभोक्ताओं से पोर्टल के लिए काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है ।

घ. भारतीय रेशम के सवंर्धन के लिए www.wordofindiansilk.com नामक एक विशेष वेबसाइट विकसित किया गया है । यह वेबसाइट विभिन्न समूहों के भारत में उपलब्ध उत्पाद स्तर के व्यापक क़िस्मों को प्रदर्शित करता है ।

ङ. उपभोक्ताओं एवं व्यापारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोलकता, गुवाहाटी तथा सुआलकुची में तीन रेशम परीक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं ।

च. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सहयोग से प्रगति मैदान, नई दिल्ली में सम्पन्न डेस्टिनेशन नार्थ ईस्ट प्रदर्शनी में सक्रिय रूप से भाग लिया । उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के रेशम मार्क के बारह अधिकृत प्रयोक्ताओं ने उनके प्राकृतिक रेशम उत्पादन का प्रदर्शन किया ।

छ. भारतीय रेशम मार्क संगठन पिछले 10 वर्ष की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए केरेअवप्रसं, मैसूरु में 17 नवम्बर, 2015 को आयोजित "रेशम उत्पादन में अभिनव प्रौद्योगिकी एवं सर्वोत्कृष्ट प्रणाली" पर संम्पन्न राष्ट्रीय कार्यशाला में पर्याप्त सूचनाप्रद विषय-मंडप की व्यवस्था की । मैसूरु के रेशम मार्क के एक अधिकृत प्रयोक्ता ने उनके विभिन्न प्रकार के रेशम उत्पादों का प्रदर्शन किया । श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय संघ वस्त्र राज्य मंत्री तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों ने इस विषय-मंडप को देख कर प्रयास की सराहना की ।

ज. लेपाक्षी के सहयोग से नई दिल्ली में स्थापित एक विशेष प्रदर्शन-कक्ष "रेशम घर" विभिन्न रेशम समूहों के बुनकरों, विन्यासकारों, सहकारी समितियों, आदि के लिए बहुत अच्छा व्यापार-कारोबार तथा बाज़ार पहुँच उपलब्ध कर रहा है ।

रेशम मार्क प्रदर्शनी

रेशम मार्क की विश्वसनीयता एवं लोकप्रियता को और आगे बढ़ाना सुनिश्चित करने के लिए, देश भर के केवल रेशम मार्क अधिकृत उपयोगकर्त्ताओं के लिए रेशम मार्क प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है । यह प्रदर्शनी न केवल रेशम मार्क को लोकप्रिय बनाने का आदर्श-मंच है, बल्कि शुद्ध रेशम उत्पादों के क्रय एवं विक्रय करने हेतु निर्माताओं तथा उपभोक्ताओं को एक ही मंच पर लाने का भी कार्य करती है । इस घटनाक्रम के दौरान भागीदारों का पर्याप्त व्यापार होता है । भारतीय रेशम मार्क संगठन द्वारा इसमें प्रभावशाली जागरुकता तथा प्रचार अभियान चलाए जाते हैं ।

वर्ष 2015-16 के दौरान, गुवाहाटी (2), कोच्चि, पुदुचेरी, तिरुवनन्तपुरम्, भुवनेश्वर, कोलकता, राँची, हैदराबाद, गुवाहाटी, भोपाल, जयपुर, पुणे, बेंगलूरु, जम्मू तथा डिब्रूगढ़ में 16 प्रदर्शनियाँ आयोजित की गईं ।

विभिन्न समूहों के बुनकरों, निर्माताओं, सहकारी समितियों तथा खुदरे व्यापारियों जैसे रेशम मार्क के अधिकृत उपयोगकर्त्ताओं ने सभी प्रदर्शनियों में भाग लिया । इस प्रदर्शनी में 1.10 लाख से भी अधिक उपभोक्ता आए और उपरोक्त प्रदर्शनी में लगभग 17.50 करोड़ रुपये का व्यापार-कारोबार हुआ ।

वन्य रेशम बाज़ार संवर्धन कक्ष

वन्य रेशम बाज़ार संवर्धन कक्ष के अधीन वर्ष 2015-16 के दौरान, वन्य रेशम प्रदर्शनी, कार्यशाला, परस्पर चर्चा सम्मिलन की व्यवस्था द्वारा एवं वाणिज्यीकरण कार्यक्रम, प्रदर्शन/प्रदर्शनियों में भागीदारी, सहयोगात्मक परियोजनाओं के माध्यम से उत्पाद विकास जैव वन्य रेशम का संवर्धन करते हुए वंशीय (मार्का) तथा बाज़ार संवर्धन पर विशेष ध्यान देते हुए कार्य कलापों को जारी रखा गया ।

वन्य रेशम प्रदर्शनी का आयोजन : भारतीय रेशम मार्क संगठन के सहयोग से वन्य रेशम बाज़ार संवर्धन कक्ष ने वन्य रेशम के मार्का (ब्राण्ड) तथा बाज़ार संवर्धन पर विशेष ध्यान रखकर कोलकता, भोपाल तथा बेंगलूरु में रेशम मार्क-वन्य रेशम प्रदर्शनी आयोजित की ।

प्रदर्शनियों में भागीदारी : वन्य रेशम बाज़ार संवर्धन कक्ष ने कोच्चिन, पुदुचेरी, तिरुवनन्तपुरम्, कोलकता, जयपुर, भोपाल तथा बेंगलूरु में हुई 7 रेशम मार्क प्रदर्शनियों में भाग लिया । वन्य रेशम बाज़ार संवर्धन कक्ष ने केरेप्रौअसं, बेंगलूरु, एरेबीसं, गुवाहाटी, केरेअवप्रसं, मैसूरु तथा केतअवप्रसं, राँची एवं उसकी अधीनस्थ इकाइयों के सहयोग से सभी 7 प्रदर्शनियों में विशेष रूप से वन्य रेशम विषय-मंडप आयोजित किया । इन प्रदर्शनियों के माध्यम से वन्य रेशम के वंशीय तथा मार्का संवर्धन किया जा रहा है । इन विषय-मंडपों में विकसित वन्य रेशम उत्पादों का विशेष रूप से प्रदर्शन किया गया ।

"डेस्टिनेशन नार्थ-ईस्ट" में भागीदारी : नई दिल्ली में 12-14 फरवरी, 2016 को उत्तर-पूर्व विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित "डेस्टिनेशन नार्थ-ईस्ट" प्रदर्शनी में वन्य रेशम बाज़ार संवर्धन कक्ष, उ3वि तथा भारतीय रेशम मार्क संगठन ने संयुक्त रूप से भाग लिया । आगन्तुकों तथा गणमान्य व्यक्तियों ने वन्य रेशम उत्पादों की सराहना की ।

वंशीय तथा मार्का संवर्धन : वन्य रेशम का एक पंजीकृत प्रतीक (लोगो) है, जिसका उपयोग सभी प्रचार सामग्री, विज्ञापन पट्ट, इस्तहार पर्चा तथा वेबसाइट, आदि में किया जा रहा है । प्रदर्शनी के दौरान समाचार-पत्र, विज्ञापन, विज्ञापन पट्ट तथा कैरी बैग के माध्यम से वन्य रेशम लोगो का व्यापक प्रचार किया जा रहा है । भारतीय रेशम मार्क संगठन के सहयोग से रेशम मार्क प्रदर्शनियों के दौरान वन्य रेशम के वंशीय तथा मार्का संवर्धन से संबंधित विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं । वन्य रेशम बाज़ार संवर्धन कक्ष ने "इण्डियन

सिल्क" पत्रिका तथा सिल्क मार्क "वोग" पत्रिका में विज्ञापन प्रकाशित किया । प्रचार अनुभाग द्वारा लोकप्रिय पत्रिकाओं में भी वन्य रेशम के वंशीय संवर्धन से संबंधित विज्ञापन प्रकाशित किए जाते है ।

"रेशम बिने वस्त्रों की रँगाई व परिष्करण" कार्यशाला : निफ्ट-टी निटवेयर फ़ैशन संस्थान, तिरुपुर के सहयोग से रेशम विगोंदन, रँगाई व परिष्करण के प्रक्रिया प्रचालों तथा तकनीकी पहलुओं और रेशम बिने वस्त्रों की कम मात्रा का प्रबंधन करने का संसाधन करने के संबंध में तिरुपुर के रँगाई तथा संसाधन उद्योग को प्रशिक्षित करने के लिए "रेशम बिने वस्त्र की रँगाई व परिष्करण" पर कार्यशाला आयोजित की गई । यह कार्यशाला तिरुपुर में 10 दिसम्बर, 2015 को आयाजित की गई और संसाधन उद्योग के 75 निट-वेयर निर्माता, निर्यातक, तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक, पर्यवेक्षक और निफ्ट-टी निटवेयर फ़ैशन संस्थान के 25 विद्यार्थियों ने भाग लिया ।

उद्योग पारस्परिक चर्चा : उद्योगों को रेशम निट-वेयर उत्पादन की प्राविधकता के साथ-साथ इसकी वाणिज्यिक व्यावहारिकता प्रदान करने हेतु तिरुपुर में 16 अप्रैल, 2015 को "रेशम निट-वेयर उत्पादन उत्पाद विविधता व प्राविधिकता" पर उद्योग पारस्परिक चर्चा सत्र आयोजित किया गया । इस कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा निम्नलिखित तकनीकी प्रस्तुतीकरण किए गए :

1) उत्पाद विकास एवं वाणिज्यीकरण
2) रेशम निट-वेयर उत्पादों का संसाधन एवं मूल्य वर्धित परिष्करण
3) तकनीकी उपयोग के लिए बिने वस्त्र का विकास
4) उद्योग के साथ विशेषज्ञ पारस्परिक चर्चा

वन्य रेशम उत्पादों का वाणिज्यीकरण : वन्य रेशम बाज़ार संवर्धन कक्ष ने बेंगलूरु, तिरुपुर, इरोड तथा भागलपुर के निर्माताओं तथा निर्यातकों के साथ एवं प्रदर्शनी स्थलों/स्थानों में पारस्परिक चर्चा की और उन्हें नए उत्पादों के वाणिज्यीकरण से अवगत किया ।

उत्पादों का ई-सूचीकरण : वन्य रेशम बाज़ार संवर्धन कक्ष तथा उ3वि के अधीन विकसित वन्य रेशम उत्पादों की ई-सूची रेशम मार्क वेब पोर्टल के लिए भारतीय रेशम मार्क संगठन के सहयोग से तैयार करने की पहल की गई ।

बाह्य अभिकरणों के साथ सहयोगात्मक परियोजना

(i) **"एरी रेशम/कॉयर मिश्रित उत्पादों का विकास"** – केन्द्रीय कॉयर अनुसंधान संस्थान, कॉयर बोर्ड, कलवूर एवं केरेप्रौअसं, बेंगलूरु द्वारा 3.00 लाख रुपये के अनुमोदित बजट पर संयुक्त परियोजना समाप्त की गई है ।
(ii) **"अनौपचारिक व अंतरंग वस्त्रों के लिए हल्के एरी के बिने वस्त्र का विकास"** – निफ्ट-टी, बिने फ़ैशन संस्थान, तिरुपुर द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान 2.80 लाख रुपये के कुल बजट पर पहल की गई परियोजना सफलतापूर्वक समाप्त की गई है ।
(iii) निफ्ट टी, बिने फ़ैशन संस्थान, तिरुपुर द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान 3.40 लाख रुपये के बजट पर "सीवनहीन प्रौद्योगिकी पर रेशम बिने का विकास" नामक एक और परियोजना कार्यान्वित की गई । इस परियोजना का कार्य प्रगति पर है और सीवनहीन प्रौद्योगिकी के साथ उत्पाद विकसित किए गए हैं ।

वन्य रेशम छोटी दुकान (शॉपी) : तीन वन्य रेशम छोटी दुकान एक बेंगलूरु में और दो नई दिल्ली में कार्य करनी जारी रखी । इनका व्यापक प्रचार छपाई मीडिया, वेबसाइट, आदि के माध्यम से वन्य रेशम की बिक्री के संवर्धन हेतु किया गया है । केरेबो ने भी उपयुक्त विज्ञापन तैयार करने, विन्यासकारों, दुकानों

(बुटीक) तथा थोक उपभोक्ताओं, आदि के साथ संबंध जोड़ने के लिए सहायता दिया है ।

जैव-रेशम का संवर्धन : वन्य रेशम निर्माताओं को वन्य रेशम का संवर्धन जैव-रेशम के रूप में करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है । वन्य रेशम बाज़ार संवर्धन कक्ष जैव-/पारि- रेशम का प्रत्यायन प्राप्त करने हेतु अभिकरणों को संगत सूचना प्रदान करता रहा है । इसकी सूचना निदेशक, रेशम उत्पादन तथा वन्य रेशम लोगो के अधिकृत प्रयोक्ताओं को भी संदर्भ एवं आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित की गई है ।

वन्य रेशम लोगो के अधिकृत प्रयोक्ता : वन्य रेशम उद्योग के पणधारियों को वन्य रेशम के वंशीय तथा मार्का (ब्राण्ड) संवर्धन में शामिल करने हेतु वन्य रेशम बाज़ार संवर्धन कक्ष ने वंशीय व मार्का संवर्धन हेतु वन्य रेशम प्रतीक (लोगो) का उपयोग करने के लिए अधिकृत निजी निर्माताओं, खुदरा व्यापारियों, निर्यातकों, अधिकृत उपयोगकर्त्ता की संकल्पना प्रारंभ की है । अब तक कुल 50 अधिकृत प्रयोक्ताओं को पंजीकृत किया गया है ।

निर्माताओं, व्यापारियों, निर्यातकों, विन्यासकारों एवं उपभोक्ताओं की पारस्परिक चर्चा : वन्य रेशम बाज़ार संवर्धन कक्ष निरंतर प्रदर्शनियों, घटनाक्रमों, आदि के दौरान निर्माताओं, व्यापारियों, निर्यातकों, विन्यासकारों तथा उपभोक्ताओं के साथ पारस्परिक चर्चा तथा वन्य रेशम उत्पादों, उनके सुख-साधन की लक्षणों उपलब्धता तथा उत्पादन प्रक्रिया के संबंध में जागरुकता ला रहा है और सुझाव नियमित रूप से प्राप्त करता रहा है । वन्य रेशम बाज़ार संवर्धन कक्ष उद्यमियों, निर्माताओं, व्यापारियों एवं निर्यातकों को अग्र व पश्च संबंध प्रदान करता रहा है ।

उ3वि के साथ उत्पाद विकास-समन्वय : वन्य रेशम बाज़ार संवर्धन कक्ष उत्पाद विन्यास व विकास, प्रदर्शनी में सहभागिता, उ3वि कक्ष में उत्पादों को प्रदर्शित करने की व्यवस्था, उ3वि कक्ष में आने वाले आगन्तुकों, गणमान्य व्यक्तियों के साथ पारस्परिक चर्चा का समन्वय निरंतर रूप से करता रहा है ।

उत्पाद विन्यास, विकास एवं विविधता (उ3वि)

वर्ष 2015-16 के दौरान भी वस्त्र अभियांत्रिकी, रेशम सम्मिश्रण, नए वस्त्र की संरचना, रेशम तथा रेशम सम्मिश्रण में नए उत्पादों का विन्यास व विकास, समूहों में उत्पाद विकास, विकसित नए उत्पादों का वाणिज्यीकरण, पश्च संबंध प्रदान करने में वाणिज्यीकरण भागीदार को सहायता, तकनीकी जानकारी तथा नमूना विकास में सहायता/समन्वय पर विशेष ध्यान के साथ उत्पाद विन्यास, विकास एवं विविधता (उ3वि) के अन्तर्गत कार्यकलाप जारी रखे गए ।

उत्पाद विकास

प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान, उत्पाद विन्यास, विकास एवं विविधता कक्ष ने निम्नलिखित वस्त्र का निर्माण किया :

- तसर वस्त्र :
- ताना : 2 सूतिया ऐंठित तसर सूत
- बाना : 2 सूतिया ऐंठित तसर सूत तथा 3 सूतिया ऐंठित तसर सूत
- रीड : 100 तथा बाना 90
- मिश्रित रंग क्रेप वस्त्र :
- ताना व बाना :अन्तर्राष्ट्रीय मानक भारतीय द्विप्रज रेशम
- ताना :रंगे गए सूत
- वस्त्र:विगोंदित तथा रंगे हुए

चंदेरी समूह में शुद्ध रेशम साड़ियों तथा सिले-सिलाए वस्त्रों का विकास

उत्पाद विन्यास, विकास व विविधता (उ3वि) ने केरेप्रौअसं तथा राष्ट्रीय फ़ैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के सहयोग से कोरा रेशम ताना तथा स्पन रेशम बाना (सभी चारों प्रजाति के रेशम) से चन्देरी समूह की साड़ियाँ विकसित की है । इससे चन्देरी उत्पादों को शुद्ध रेशम साड़ियों के रूप में विपणन करने में सहायता मिली है ।

अन्य संस्थानों के साथ उत्पाद विकास सहयोगात्मक परियोजना

क) सेना फ़ैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, बेंगलूरु

1) वर्ष 2014-15 के दौरान रेशम के विभिन्न क़िस्मों का उपयोग कर फ़ैशन वस्त्रों का विन्यास तथा विकास का कार्यान्वयन किया गया है और सेना फ़ैशन प्रौद्यागिकी ने परियोजना को पूरा कर लिया है और विकसित उत्पाद तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की है ।

2) रेशम मिश्रित वस्त्र काविकास तथा उनकी विशेषताओं का अध्ययन प्रगति पर है ।

ख) राष्ट्रीय फ़ैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल –

ताने के रुप में अन्तर्राष्ट्रीय श्रेणी के भारतीय द्विप्रज रेशम तथा बाने के रुप में स्पन सूत का उपयोग कर राष्ट्रीय फ़ैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल एवं केरेप्रौअसं, बेंगलूरु के साथ संयुक्त रूप से "चन्देरी रेशम बुनाई समूह में उत्पाद विकास तथा विविधता" का अनुमोदन किया गया है और सूत क्रय बुनाई तथा विवरणिका प्रकाशन, आदि के प्रति 10,38,411 रुपये के कुल बजट से कार्य प्रारम्भ किया गया है (5.88,412.00 रुपये राफ़ैप्रौसं, भोपाल का हिस्सा तथा शेष 4.5 लाख रुपये केरेबो द्वारा सीधे खर्च किया जाएगा) । इस परियोजना में, 10 परम्परागत साड़ियाँ, 10 आधुनिक विन्यास की साड़ियाँ, 20 परिधान सिले-सिलाए वस्त्र तथा उपोत्पाद विकसित किए जाएँगे ।

ग) केरेप्रौअसं, बेंगलूरु

अन्तरर्राष्ट्रीय श्रेणी के भारतीय रेशम का उपयोग कर रेशम बिने वस्त्र उत्पाद/सिले सिलाए वस्त्र का विकास प्रगति पर है । उ3वि इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए केरेप्रौअसं तथा राष्ट्रीय फ़ैशन प्रौद्योगिकी संस्थान-टी के साथ कार्य कर रहा है ।

उत्पादों का वाणिज्यीकरण

उ3वि ने निम्नलिखित वाणिज्यीकरण कार्यक्रम को लिया है

क) मृगनयनी, भोपाल ने नवविकसित चंदेरी शुद्ध रेशम साड़ियों का उत्पादन प्रारम्भ किया है । उ3वि ने निर्माण ब्यौरा, सूत स्रोत, विन्यास, विन्यासकार का चयन तथा बुनाई संबंधी कार्य प्रशिक्षण जैसी सभी तकनीकी सहायता प्रदान की है । मृगनयनी ने 200 साड़ियों का उत्पादन प्रारम्भ किया है और दो महानगरों में नए उत्पादों को उतारने की योजना बनाई गई है । मेसर्स हैंगर 53, बेंगलूरु की एक दुकान ने चन्देरी रेशम की साड़ियों के विकास के लिए उ3वि से तकनीकी विवरण लेकर समूह में साड़ियाँ विकसित की ।

ख) उ3वि कक्ष ने भास्कर डेनिम, भोपाल का निरीक्षण किया और रेशम डेनिम वस्त्र के विकास के संबंध में पारस्परिक चर्चा की । भास्कर डेनिम ने नए रेशम डेनिम वस्त्र क़िस्म के विकास में रुचि दिखायी है ।

ग) भारतीय रेशम मार्क संगठन, हैदराबाद द्वारा विशाखापतनम् में आयोजित फ़ैशन प्रदर्शनी को प्रायोजित किया और सेना फ़ैशन विन्यास संस्थान द्वारा विकसित चन्देरी साड़ी, बने बनाए वस्त्र जैसे नए वस्त्रों को प्रदर्शित किया ।

प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता

उ3वि ने मैसूरु में 17/18 नवम्बर, 2015 के दौरान आयोजित "रेशम उत्पादन में नवप्रौद्योगिकी तथा सर्वोत्कृष्ट प्रणाली पर राष्ट्रीय कार्यशाला" में भाग लिया तथा विषय-मंडप की व्यवस्था की । उ3वि ने कोच्चिन, तिरुवनन्तपुरम्, कोलकता, जयपुर, भोपाल, बेंगलूरु जैसे विभिन्न स्थानों में रेशम मार्क–वन्य रेशम प्रदर्शनियों में भाग लिया और विषय-मंडप की व्यवस्था की और उसमें नवविकसित रेशम उत्पादों को प्रदर्शित किया । भोपाल में रेशम मार्क प्रदर्शनी में भाग लेने के दौरान, उ3वि ने निर्माताओं/आपूर्तिकर्त्ताओं/खुदरा व्यापारियों के साथ पारस्परिक चर्चा की और उत्पादों के संबंध में जानकारी देने और उसके वाणिज्यीकरण के लिए चन्देरी रेशम साड़ियों के नवविकसित उत्पादों को प्रदर्शित किया । कई प्रतिभागियों ने सम्मिलन के दौरान उन उत्पादों के निर्माण तथा विपणन में अति रुचि व्यक्त की । प्रतिभागियों को तकनीकी जानकारी, सूत के स्रोत तथा विन्यासकारों से संबंधित जानकारी दी गई ।

उ3वि ने नई दिल्ली में 12-14 फरवरी, 2016 के दौरान आयोजित "डेस्टिनेशन नार्थ-ईस्ट" प्रदर्शनी में विषय-मंडप की व्यवस्था की और मूगा धागाकरण तथा कताई कार्यकलापों तथा उत्तर-पूर्वी उत्पादों को प्रदर्शित किया ।

अन्य कार्यकलाप

प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान, जम्मू व कश्मीर के कृषि मंत्री, श्री गिरिराज सिंह, माननीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, श्रीमती रश्मि वर्मा, भाप्रसे, सचिव (वस्त्र), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, श्री आलोक कुमार, भाप्रसे, विकास आयुक्त (हथकरघा), वस्त्र मंत्रालय ने उ3वि का निरीक्षण किया और नए रेशम उत्पादों के विकास तथा इन उत्पादों के वाणिज्यीकरण में किए गए प्रयासों की सराहना की । विभिन्न महाविद्यालयों/फ़ैशन संस्थानों के 752 विद्यार्थियों तथा 356 उद्यमियों/कृषकों ने उ3वि कक्ष का निरीक्षण किया और उन्हें केरेबो द्वारा विकसित उत्पादों की जानकारी एवं तकनीकी जानकारी दी गई ।

जनजातीय उप-योजना [ज उ-यो] के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में रेशम उत्पादन विकास परियोजना

वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की जनजातीय उप-योजना [ज उ-यो] के अंतर्गत झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में तसर संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ रु. के परिव्यय पर परियोजनाओं को व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किया गया । इन परियोजनाओं में परियोजना निधि को बढ़ाने तथा शामिल क्षेत्र की वृद्धि करने के अलावा पौधारोपण, अभिसरण, विस्तार समर्थन, अवसंरचना तथा जनशक्ति समर्थन, अग्र व पश्च संबद्ध में सुविधा देना, विपणन, आदि के लिए सहायता प्रदान कर प्रखंड स्तर तथा राज्यों में बीज संवर्धन तथा कीटपालन लेने का प्रस्ताव किया गया है । केरेबो की क्षेत्र इकाइयों अर्थात् क्षेत्रीय तसर अनुसंधान केन्द्रों [क्षेतअके] या अनुसंधान विस्तार केन्द्रों [अविके] या बुनियादी बीज प्रगुणन व प्रशिक्षण केन्द्रों [बुबीप्रवप्रके] को तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण, गुणवत्ता तसर रेशमकीट बीज की आपूर्ति करने की सुविधा प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है ।

राजस्व [6.0 करोड़ रु.] तथा पूँजी [14.0 करोड़ रु.] घटकों के अधीन आबंटन के अनुसार, वर्ष 2015-16 के दौरान 20.0 करोड़ रु. की संपूर्ण निधि को निर्मोचित किया गया है । मूल आबंटन के अनुसार, राज्यों से प्रस्ताव के अभाव में जनजातीय उप-योजना [ज उ- यो] के अधीन आबंटन का उपयोग कुछ राज्यों में शहतूत तथा तसर के महत्त्वपूर्ण अंतराल को हल करने तथा चालू महिला किसान सशक्तिकरण परियोजनाओं के अधीन केरेबो हिस्से के प्रति भी किया गया, जिसका विवरण नीचे प्रस्तुत है :

(रु. लाख में)

विवरण	राजस्व	पूँजी	योग
समूह प्रकार की तसर परियोजना	513.97	436.72	950.69
महत्त्वपूर्ण अंतराल हल करने हेतु शहतूत व तसर जनजातीय उप-योजना परियोजना	0	789.41	789.41
जनजातीय उप-योजना परियोजना उप-योग	*513.97*	*826.13*	*1640.1*
म कि स प के अधीन चालू तसर परियोजना	86.02	173.88	259.9
योग	**600**	**1400**	**2000**

चूँकि फ़सल के मौसम की समाप्ति के बाद निधि का निर्मोचन आखिरी तिमाही में किया गया, अत: राज्यों ने मूल सर्वेक्षण, प्रारंभिक कार्यशालाएँ तथा आगामी वर्ष के लिए विभिन्न कार्यकलापों हेतु योजना बनाने का कार्य प्रारंभ किया है ।

अनुसूचित जाति उप-योजना का कार्यान्वयन [अजाउ-यो]

वर्ष 2015-16 के दौरान रेशम उत्पादन अनुसूचित जाति उप-योजना [अजाउ-यो] का कार्यान्वयन 7.00 करोड़ रु. के कुल केन्द्रीय हिस्से से किया गया है । इस कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जातियों में ग़रीबी तथा बेरोज़गारी को काफ़ी हद तक कम करना, उत्पादकनकारी संपत्ति सृजित करना, मानव संसाधन विकास तथा भौतिक एवं वित्तीय सुरक्षा के माध्यम से शोषण को ख़तम करना है । अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए उत्पादकता उन्नयन, लाभार्थी सशक्तिकरण, तसर समूह संवर्धन कार्यक्रम एवं गुणवत्ता बीज कोसा उत्पादन के प्रति निवेश आपूर्ति हेतु सहायता दी गई है । वर्ष 2015-16 के दौरान, अनुसूचित जाति उप-योजना के अधीन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिया तथा झारखंड राज्यों के कुल 2144 लाभार्थियों को शामिल किया गया है ।

रेशम उत्पादन उत्तर-पूर्वी क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना [उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए समर्थन]

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने "उत्तर-पूर्वी क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना" नामक एक छत्र योजना के अधीन एक परियोजना आधारित कुशनीति का अनुमोदन दिया है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य कच्चा माल, बीज बैंक, मशीनरी, सामान्य सुविधा केन्द्र, कौशल विकास, विन्यास व बाज़ार सहायता, आदि के विषय में आवश्यक सरकारी सहायता देकर उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के वस्त्र क्षेत्र को विकसित एवं आधुनिकीकरण करना है । उ-पू क्षे व सं यो के अधीन, दो व्यापक संवर्ग अर्थात् ए रे वि प तथा सद्‌वि रे वि प के अंतर्गत विभिन्न रेशम उत्पादन परियोजनाएँ अनुमोदित की गई हैं ।

I. एकीकृत रेशम उत्पादन विकास परियोजना [ए रे वि प]

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र-वस्त्र संवर्धन योजना [उ-पू क्षे-व सं यो] के अधीन, भारत सरकार ने वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक 3 साल की अवधि के लिए त्रिपुरा में

रेशम छपाई व संसाधन इकाई सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों अर्थत् असम, बोड़ोलैण्ड राज्य क्षेत्रीय परिषद्, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा में कार्यान्वयन हेतु कुल 523.33 करोड़ रु. [भारत सरकार का हिस्सा 423.33 करोड़ रु] से 14 रेशम उत्पादन परियोजनाओं को अनुमोदित किया है, जबकि 39.60 करोड़ रु. की लागत [शहतूत, एरी व मूगा क्षेत्र] से चयनित क्षेत्रों में कृषकों/बीज कोसा उत्पादकों/धागाकारों/बुनकरों के स्तर पर अवसंचरना सृजन की सहायता सहित विद्यमान सुविधाओं को सुद्दढ़ करने हेतु राज्यों के प्रयासों को समेकित करने के लिए राज्यों द्वारा 13 परियोजनाओं को कार्यान्वयन किया जाना है, 1 [एक] परियोजना राज्यों तथा पणधारियों को सहायता देने हेतु उत्तर-पूर्व में गुणवत्ता बीज उत्पादित करने के लिए केरेबो को बीज अवसंरचना के सृजन के लिए है । भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य व उपलब्धि [मार्च 2016 तक] के ब्योरे नीचे दिए गए हैं :

राज्य	**कुल लागत (करोड़)**	**भारत सरकार का हिस्सा (करोड़)**	**भारत सरकार का निर्मोचन मार्च 2016 तक (करोड़)**	**शामिल लाभार्थी (सं.)**	**परियोजना परिणाम (मी ट)**
असम	66.67	47.42	14.67	3,265	196
बोराप	34.92	24.68	8.22	1,576	171
अरुणाचल प्रदेश	18.42	18.42	12.28	1,362	79
मणिपुर (घाटी)	149.76	126.6	38.08	2,896	450
मणिपुर (पहाड़ी जिलों हेतु	30.39	24.67	7.75	1,514	68
मेघालय	30.16	21.91	7.3	1,466	162
मिज़ोरम	32.49	24.49	8.16	1,811	117
नागालैंड	31.47	22.66	7.55	1,898	166
त्रिपुरा	47.95	33.2	11.06	3,510	275

जारी....

त्रिपुरा (छपाई हेतु)	3.41	3.41	1.2		1.50 लाख मी/वर्ष
केरेबो हेतु बीज अवसंरचना का सृजन	39.6	39.6	12.57	--	30 लाख शहतूत एवं 21.50 लाख मूगा/एरी रोमुबीच/वर्ष
बोराप (आईईडीपीबी)	11.41	10.61	-	500	60
मिज़ोरम (आईएमएसडीपी)	13.52	12.83	-	600	15.86
नागालैंड (डब्ल्यूई हेतु आईईएसडीपी)	13.66	12.83	-	1000	72
योग	**523.83**	**423.33**	**128.86**	**21,398**	**1,831**

II. गहन द्‌विप्रज रेशम उत्पादन विकास परियोजना (गद्‌विरेविप)

अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता द्‌विप्रज रेशम के उत्पादन के लिए 236.78 करोड़ रु. [भारत सरकार का हिस्सा 210.41 करोड़ रु.] की कुल लागत से सभी उत्तर-पूर्वी राज्यों [मणिपुर को छोड़कर] के लिए गहन द्‌विप्रज रेशम उत्पादन विकास पर आठ परियोजनाएँ भी ली गई हैं । इस परियोजना में बुनकर सहित लगभग 1,100 महिला लाभार्थी प्रति राज्य को शामिल कर प्रत्येक समूह में 2 प्रखंडों में शहतूत पौधारोपण के अधीन 500 एकड़ को शामिल करने की परिकल्पना की गई है । समग्र रूप में, इसका उद्देश्य उत्तर-पूर्वी राज्यों में 8 समूहों को मिलाकर 4,000 एकड़ शहतूत पौधारोपण तथा लगभग 9000 महिला लाभार्थियों को शामिल करना है । इस परियोजना का प्रमुख हिस्सा पौधोरोपण विकास तथा अवसंरचना सृजन के लिए सहायता की मध्यस्थ्ता सहित सामाजिक संगठन तथा महिला समूह का सृजन करना है । ये परियोजनाएँ वर्तमान में संबंधित राज्यों में कार्यान्वयनाधीन हैं । भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धि [मार्च 2016 तक] का ब्योरा नीचे दिया गया है :

राज्य	**कुल लागत (करोड़)**	**भारत सरकार का हिस्सा (करोड़)**	**भारत सरकार का निर्मोचन मार्च 2016 तक (करोड़)**	**शामिल लाभार्थी (सं.)**	**परियोजना के दौरान कच्चा रेशम का उत्पादन (मी ट)**
असम	29.55	26.28	5.5	1,100	29
बो रा प	30.06	26.75	5.5	1,200	26

अरुणाचल प्रदेश	29.47	26.2	5.5	1,100	20
मेघालय	29.01	25.77	5.5	1,000	27
मिज़ोरम	30.15	26.87	5.5	1,100	26
नागालैंड	29.43	26.16	9.9	1,100	27
सिक्किम	29.68	26.43	5.5	1,050	27
त्रिपुरा	29.43	25.95	5.5	1,100	27
योग	**236.78**	**210.41**	**48.4**	**8,750**	**209**

अन्य संगठनों से निधि प्राप्त परियोजना

उत्तराखंड में शहतूती रेशम उत्पादन के विकास के लिए विशेष स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोज़गार योजना परियोजना

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने रेशम निदेशालय, उत्तराखंड सरकार द्वारा 917.840 लाख रु. की कुल लागत पर 2007-08 से 2011-12 तक 5 वर्षों की अवधि तक कार्यान्वयन की जाने के लिए "उत्तराखंड में शहतूती रेशम उत्पादन के विकास के लिए विशेष स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोज़गार योजना परियोजना" नामक परियोजना मंजूर की है । इस परियोजना को मार्च 2016 तक बढ़ायी गई है । इन निधियों में ग्रामीण विकास मंत्रालय के हिस्से [417.009 लाख रु.] तथा केरेबो/राज्य के हिस्से-379.636 [केरेबो-299.383 लाख रु. एवं राज्य-80.253 लाख रु.] लाख रु. हैं, बैंक ऋण 76.205 लाख रु. तथा लाभार्थी का अंशदान 44.991 लाख रु. है । केन्द्रीय रेशम बोर्ड कार्यान्वयन करने वाला तथा समन्वय करने वाला अभिकरण है । इस परियोजना का कार्यान्वयन रेशम निदेशालय, उत्तराखंड सरकार द्वारा नैनीताल जिले में तथा ग्रामीण कृषि विकास समिति [ग्रा कृ वि स]-एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा उधम सिंह नगर जिले में किया जा रहा है । इन परियोजनाओं का संक्षिप्त ब्योरा निम्नानुसार है :

रु. लाख में

राज्य	क्षेत्र	परियोजना अवधि	कुल परियोजना लागत	ग्रामीण विकास मंत्रालय का हिस्सा	केरेबो का हिस्सा	ग्रामीण विकास मंत्रालय का निर्मोचित हिस्सा	केरेबो का निर्मोचित हिस्सा	लाभार्थियों की सं.
उत्तराखंड	शहतूत	2007-12, वर्ष 2016 तक बढ़ायी गई	917.48	417.01	299.383	399.23	295.79	1090

इस परियोजना के लिए मार्च 2016 तक ग्रामीण विकास मंत्रालय का हिस्सा 399.23 लाख रु. तथा केरेबो का हिस्सा 295.79 लाख रु. निर्मोचित किया गया है । उपर्युक्त के अतिरिक्त, इस परियोजना को कार्यान्वित करने हेतु केरेबो के हिस्से से गैर-सरकारी संगठन को प्रशासनिक लागत 43.865 लाख रु. दी गई है, राज्य ने अनुपूरक हिस्सा 80.253 लाख रु. निर्मोचित किया है और 71.75 लाख रु. की ऋण राशि एवं लाभार्थी का हिस्सा 32.75 लाख रु. एकत्रित किया गया है । चॉकी कीटपालन केन्द्र के प्रति साख तथा लाभार्थी की शेष राशि का वहन राज्य द्वारा किया गया, क्योंकि चॉकी कीटपालन केन्द्रों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की गई । इस परियोजना के अंतर्गत मार्च, 2016 के अंत तक हुई प्रगति निम्नानुसार है :

- परियोजना के अधीन कार्यरत 50 केंचुआ खादशाला द्वारा प्रारंभ से कुल 877 मीटरी टन केंचुआ खाद उत्पादित किया गया है और लक्ष्य पूर्ण रूप से प्राप्त किया गया है ।
- नैनीताल तथा उधम सिंह नगर जिलों में एस-146 प्रजाति के शहतूत का उपयोग कर ½ एकड़ की कुल 974 इकायाँ वृक्ष प्रकार का पौधारोपण तथा 26 इकायाँ झाड़ी प्रकार का पौधारोपण किया गया है । पौध रोपण का लक्ष्य पूर्ण रूप से प्राप्त किया गया है और क्षेत्र में 90% जीवित हैं ।
- परियोजना के लक्ष्य के अनुसार, बिचपुरी, नाथुनगर, चंकपुर, मनकांतपुर, रानीकोटा, राजपुरा क्यारी, विजयपुरा तथा पचावाला में 9 चॉकी कीटपालन केन्द्रों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और उनका उपयोग चॉकी कीटपालन के लिए किया गया ।
- परियोजना की 1000 इकाइयों के लक्ष्य के अनुसार, कीटपालन गृह के निर्माण तथा कीटपालन उपकरणों के लिए साख प्राप्त करने हेतु 1000 स्वरोज़गारियों को ऋण मंजूर की गई है । इस परियोजना के अधीन परिकल्पित लक्ष्य के अनुसार, सभी 1000 स्वरोज़गारियों ने कीटपालन गृहों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है और उन्हें कीटपालन उपकरणों की आपूर्ति की गई है । लाभार्थियों द्वारा इन सुविधाओं का उपयोग कोसा उत्पादन के लिए किया गया ।
- परियोजना के अधीन शामिल किए गए इस सभी 1090 स्वरोज़गारियों को पौधारोपण रखरखाव, चॉकी कीटपालन तथा रेशमकीट पालन तकनीक में प्रशिक्षित किया गया है । इसके अलावा, स्वरोजगारियों के लिए क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया और स्व सहाय समूहों के कुल 85 कार्यालय पदाधिकारियों के लिए तीन दलों में क्षमता निर्माण प्रशिक्षण दिया गया ।
- परियोजना के लक्ष्य के अनुसार, 500 स्वरोज़गारियों को विभिन्न स्थानों अर्थात् देहरादून, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर तथा बेंगलूरु/मैसूरु के रेशम उत्पादन प्रणालियों की जानकारी के लिए भ्रमण हेतु ले जाया गया ।
- उन सभी स्वरोज़गारियों को कीटपालक पासबुक प्रदान किया गया, जिन्होंने पौधारोपण किया है, ताकि वे निवेश सहायता तथा उनके द्वारा परियोजना के अधीन किए गए कार्यकलाप का विवरण अभिलिखित कर सकें । लक्ष्य के अनुसार 10 कृषि मेले भी आयोजित किए गए ।

वर्ष 2015-16 के दौरान दो फ़सलों के दौरान 1,06,000 रोमुबीच का रेशमकीटपालन किया गया और 40.25 कि ग्रा/100 रोमुबीच के औसत उत्पादन के साथ 42-65 मीटरी टन द्विप्रज कोसे उत्पादित किए गए । परियोजना के अधीन, प्रारंभ से 3.67 लाख रोमुबीच तथा 157 मीटरी टन कोसा उत्पादन के लक्ष्य के मुकाबले कुल 4.79 लाख रोमुबीच का कीटपालन तथा 171.4 मीटरी टन

कोसे उत्पादित किए गए ।

इस परियोजना में परिकल्पित लक्ष्य प्राप्त किया गया है और परियोजना समाप्त हुई है ।

तसर विकास के लिए महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना

केरेबो ने प्रदान के सहयोग से झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ राज्यों में, भारतीय कृषि उद्योग संस्थान, पुणे के सहयोग से महाराष्ट्र में, एसईआरपी तथा कोवल के सहयोग से आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में एवं बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति-जीविका तथा प्रदान के समन्वय से बिहार में तसर के विकास के लिए परियोजनाएँ तैयार की है । इन परियोजनाओं में 8 राज्यों के चयनित 28 जिलों में सीमांत घरों, विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं [तसर क्षेत्र में शामिल लगभग 26000 परिवारों के साथ] के लिए 36,000 जारी रखने योग्य आजीविका सृजित करने का प्रस्ताव है, जो अधिकांशत: वाम दल के चरमपंथ [वा द च] से प्रभावित हैं । ये परियोजनाएँ बिहार को छोड़कर, अक्टूबर 2013 से तीन वर्षों की अवधि तक के लिए कार्यान्वित की जा रही हैं, जिसे जनवरी 2015 से प्रारंभ की गई है । ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 7160.90 लाख रु. के परियोजना अनुदान पर इन परियोजनाओं को अनुमोदित किया है, जिसमें 75:25 के अनुपात में ग्रामीण विकास मंत्रालय का हिस्सा [5366.15 लाख रु.] तथा केरेबो का हिस्सा [1794.78 लाख रु.] है । इस परियोजना में 478 सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों के पालन-पोषण के अलावा, तसर भोज्य पोषी पौधों का 3500 हेक्टेयर ब्लॉक पौधारोपण, प्राकृतिक वनस्पति का लगभग 9500 हेक्टैयर का पुन:सृजन सहायता, 6.75 लाख रोमुबीच बुनियादी बीज का उतपादन, 59.35 लाख वाणिज्यिक बीज तथा 16 करोड़ धागाकरण कोसों के उत्पादन की परिकल्पना की गई है ।

केरेबो अपनी क्षेत्रीय इकाइयों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों अर्थात् बीज, कोसा-पूर्व तथा कोसोत्तर क्षेत्रों में तकनीकी निवेश तथा गैर-सरकारी संगठनों के साझेदारों के क्षेत्र कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार है । समन्वय अभिकरण होने के नाते, केरेबो ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से निधि प्राप्त कर उसे परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों से प्राप्त माँग एवं कार्य योजना के अनुसार, परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों को स्थानांतरित करेगा । वित्तीय प्रगति निम्नानुसार है :

[रु. लाख में]

परियोजना राज्य	कुल ग्रामीण विकास मंत्रालय का हिस्सा	प्राप्त ग्रामीण विकास मंत्रालय का हिस्सा (75%)	ग्रामीण विकास मंत्रालय का प का अ को निर्मोचित हिस्सा (वर्ष-1)	प का अ द्वारा प्रस्तुत उपयोग प्रमाण -पत्र	केरेबो कुल का हिस्सा	केरेबो का प का अ को निर्मोचित हिस्सा (2013-14)	प का अ द्वारा प्रस्तुत उपयोग प्रमाण-पत्र	केरेबो का शेष निर्मोचित करने का हिस्सा
झारखंड	1795.46	1346.625	891.333	349.955	598.486	355.062	301.294	243.424
छत्तीसगढ़	598.73	449.025	296.912	130.278	204.286	121.146	121.135	83.14
ओडिशा	358.586	268.95	177.785	61.174	133.599	95.667	80.495	37.932
प.बंगाल	400.4	300.3	198.48	90.613	119.447	112.229	90.919	7.218
महाराष्ट्र	759.8	569.85	367.561	199.681	253.211	154.229	98.14	98.982
अ प्र/ तेलंगाना	784.04				262.668	62.498	154.054	200.17
बिहार	669.43				223.145	76.890	7.522	146.255
योग	**5366.2**	**2934.75**	**1932.072**	**831.700**	**1794.84**	**977.722**	**853.559**	**817.121**

वित्तीय प्रगति :

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बहु-राज्य परियोजना के अधीन, अपने हिस्से [29.34 करोड़ रु.] का 75% केरेबो को निर्मोचित किया है, जिसमें से 19.321 करोड़ रु. परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों [प्रदान एवं भा कृ उ सं] को निर्मोचित किया गया है, जिसमें से 8.317 करोड़ [43.05%] का उपयोग किया गया है । ग्रामीण विकास मंत्रालय का हिस्सा बिहार, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना परियोजनाओं के लिए क्रमश: बीआरएलपीएस तथा एसईआरपी को सीधे निर्मोचित किया गया है । केरेबो ने भी एसईआरपी सहित सभी परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों को कुल 9.777 करोड़ रु. की राशि निर्मोचित की है, जिसमें से 8.536 करोड़ रु. का उपयोग किया गया है ।

भौतिक प्रगति-बहु-राज्य परियोजना

परियोजना क्षेत्र : मार्च 2016 को यथाविद्यमान परियोजना के अधीन, प्रारंभ से, 12056 अनुसूचित जनजाति [83.96%], 407 अनुसूचित जाति [2.83%] तथा 1916 अल्पसंख्यक [13.32%] सहित 20012 के लक्ष्य के मुकाबले कुल 14379 कृषकों को शामिल किया गया । उपर्युक्त में से 12303 स्व सहाय समूहों के विद्यमानों सदस्य और महिला किसानों को 351 अनौपचारिक उत्पादक समूहों में संगठित किया गया । उपर्युक्त महिला किसानों को परियोजना राज्यों के 504 पल्लियों, 368 राजस्व गाँवों, 33 प्रखंडों तथा 18 जिलों में शामिल किया गया ।

तसर भोज्य पौधों का संवर्धन : 1687 महिला किसानों ने निजी बंजर भूमि में उनके द्वारा किसान पौधाशाला में उगाए गए पौधों के माध्यम से 809.68 हेक्टेयर तसर भोज्य पौधों की स्थापना की ।

बीज कीटपालन तथा बीज संवर्धन : बीज कोसा उत्पादन के अंतर्गत 1137 बीज कीटपालकों ने बुतरेबीसं एवं विशेष स्वर्ण जयंती स्वरोज़गार योजना परियोजनाओं के अधीन स्थापित बुनियादी बीज उत्पादन इकाइयों से खरीदे गए 2.298 लाख रोमुबीच बुनियादी बीज का बुरुश किया और 75.69 लाख बीज कोसे उत्पादित किए । 166 नाभिकीय बीज कीटपालकों ने 43800 रोमुबीच नाभिकीय बीज का बुरुश किया और 37.76 बीज कोसे प्रति रोमुबीच की दर पर 22.981 लाख बीज कोसों का उत्पादन किया । 155 निजी बीजागारों ने 50.92 लाख बीज कोसों को संसाधित किया और कोसा:रोमुबीच के 3.5:1 के अनुपात की दर पर 9.9316 लाख वाणिज्यिक रोमुबीच उत्पादित किए तथा 6140 वाणिज्यिक कीटपालकों ने महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना/विशेष स्वर्ण जयंती स्वरोज़गार योजना परियोजनाओं/रेशम निदेशालयों के निजी बीजागारों से खरीदे गए 11.35 लाख रोमुबीच का बुरुश किया और 349.70 लाख धागाकरण योग्य कोसे उत्पादित किए ।

क्षमता निर्माण व संस्था विकास : मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, परियोजना के अधीन विभिन्न क्षमता व संस्था विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए । इनमें प्रमुख कार्यक्रम तकनीकी प्रशिक्षण [11554 सं.] है, क्षेत्र-वार कार्यकलापों का प्रशिक्षण अर्थात् जारी रखने योग्य कृषि, सब्जी की खेती, आदि [8307 सं.], सामुदायिक संसाधन व्यक्ति प्रशिक्षण [601 सं.], सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को क्षेत्र में प्रशिक्षण [16883 सं.], स्व सहाय समूह प्रशिक्षण [2908 सं.] आदि । इसके अतिरिक्त, सदस्यता प्रशिक्षण के अधीन 3507 सं., नेतृत्व प्रशिक्षण के अधीन 119 सं. को शामिल किया गया है, इसके अलावा 43 क्षेत्र भ्रमण [उत्पादक समूह के अंतर्गत] तथा प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन 2 सं. आयोजित किए गए । इस परियोजना के अधीन विभिन्न मानव संसाधन विकास कार्यकलापों तथा तकनीकी नयाचार के लिए छः प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार कर एनआर एलएम को प्रस्तुत किए गए ।

भौतिक प्रगति : आंध्र प्रदेश व तेलंगाना

परियोजना क्षेत्र : परियोजना के अंतर्गत, प्रारंभ से, 2879 अनुसूचित जनजाति [48.56%], 470 अनुसूचित जाति [7.92२%] तथा 530 अल्प संख्यक [8.94%] सहित 5928 के लक्ष्य के मुकाबले 3879 कृषकों को शामिल किया गया । उपर्युक्त में से 3879 स्व सहाय समूह के विद्यमान सदस्य थे और महिला किसानों को 270 अनौपचारिक उत्पादक समूहों में संगठित किया गया । उपर्युक्त महिला किसानों को परियोजना राज्यों के 130 पल्लियों, 67 राजस्व गाँवों, 22 प्रखंडों तथा 5 जिलों में शामिल किया गया ।

तसर भोज्य पौधों का संवर्धन : 86 महिला किसानों ने निजी बंजर भूमि में उनके द्वारा किसान पौधशाला में उगाए गए पौधों के माध्यम से 225 हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले 126.40 हेक्टेयर तसर भोज्य पौधों की स्थापना की ।

बीज कीटपालन तथा बीज संवर्धन : 45 नाभिकीय बीज कीटपालकों ने 37.76 बीज कोसे प्रति रोमुबीच की दर से 3.0 लाख बीज कोसे उत्पादित करने हेतु 9000 रोमुबीच नाभिकीय बीज बुरुश किया । बीज कोसा उत्पादन के अंतर्गत, 259 बीज कीटपालकों ने 7.9684 लाख बीज कोसे उत्पादित करने के लिए 1.256 लाख रोमुबीच बुरुश किया । 8 निजी बीज उत्पादकों ने 4.1904 लाख बीज कोसों को संसाधित किया एवं कोसा:रोमुबीच के 5.1:1 के अनुपात में 2.55175 लाख वाणिज्यिक रोमुबीच उत्पादित किए और 2160 वाणिज्यिक कीटपालकों ने 48.2480 लाख धागाकरण कोसों का उत्पादन करने के लिए महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना/विशेष स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोज़गार योजना परियोजनाओं/रेशम निदेशालयों के निजी बीजागारों से खरीदे गए 4.32 लाख रोमुबीच का बुरुश किया ।

क्षमता निर्माण व संस्था विकास : मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना के अधीन, विभिन्न क्षमता व संस्था विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए । इनमें मुख्य कार्यक्रम हैं - तकनीकी प्रशिक्षण [2453 सं.], समुदायिक संसाधन व्यक्ति प्रशिक्षण [52 सं.], आदि । इसके अतिरिक्त, सदस्यता प्रशिक्षण के अधीन 19 सं., प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन 2 सं. को शामिल किया गया । विभिन्न मानव संसाधन विकास कार्यकलापों तथा तकनीकी नयाचार के लिए छ: प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार कर परियोजना के अधीन एसआरएलएम को प्रस्तुत किए गए ।

वन्य समूह कार्यक्रम

केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने 12वीं योजना के अधीन, बीज उत्पादन तथा आपूर्ति के महत्त्वपूर्ण अंतराल को हल करने, प्रौद्योगिक मध्यस्थता, निवेश सहायता तथा पणधारियों की क्षमता विकास के माध्यम से कोसा उत्पादकता तथा वन्य रेशम की गुणवत्ता के उन्नयन की दृष्टि से वन्य रेशम उत्पादन के सुव्यवस्थित विकास के लिए वन्य समूह संवर्धन कार्यक्रम के कार्यान्वयन करने की परिकल्पना की है । प्रत्येक समूह को अपनी आत्मनिर्भरता के पश्च व अग्र संबद्ध बनाने तथा निकटवर्ती क्षेत्रों के पणधारियों को बीज के समर्थन के लिए समूह की क्षमता तथा स्थलाकृति के आधार पर 180 से 200 लाभार्थियों को शामिल करने का प्रस्ताव है । इन समूहों को वन्य रेशम के विकास के लिए "प्रदर्शनीय आदर्श" के रूप में विकसित किया जाएगा । समूहों के माध्यम से निम्नलिखित प्रमुख मध्यस्थता आयोजित करना प्रस्तावित है :

- समूहों में विभिन्न कार्यकलाप करने हेतु पणधारियों की पहचान करना ।
- कच्चे रेशम के उत्पादन के लक्ष्य में हुई वृद्धि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन को सुव्यवस्थित करना ।
- विद्यमान वन्य भोज्य पौधों के रखरखाव, नए पौधारोपण के संवर्धन, रोग अनुश्रवण तथा निवारक उपाय के माध्यम से उत्पादकता उन्नयन ।
- कृषकों को उन्नत प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण ।
- समूह की आवश्यकता के अनुसार, बीज उत्पादन, कीटपालन व धागाकरण कार्यकलापों, आदि के क्षेत्र में प्रमाणित प्रौद्योगिकियों में पणधारियों का कौशल उन्नयन तथा प्रशिक्षण ।
- रेशमकीट बीज, कोसा संसाधन, आदि में अग्र व पश्च संबंध का सुदृढ़ीकरण ।
- निजी क्षेत्र विशेष रूप से रेशमकीट बीज उत्पादन तथा कोसा संसाधन में अवसंरचना विकास ।
- समूह कार्यकलाप-क्षमता विकास का उन्न्यनकर वन्य रेशम के एकीकृत विकास के लिए सामुदायिक विकास ।
- संयुक्त रोग अनुश्रवण दल के माध्यम से रोग अनुश्रवण ।

तदनुसार, विभिन्न तसर उत्पादक राज्यों में 22 समूहों को पहचाना गया है और केरेबो तथा राज्यों द्वारा इन समूहों के लिए नामांकित समूह विकास सुविधाप्रदाताओं [स वि सु] द्वारा मानक सर्वेक्षण तथा नैदानिक अध्ययन पूरा कर लिया गया है । वन्य समूह संवर्धन कार्यक्रम का कार्यान्वयन केरेबो की इकाइयों द्वारा संबंधित राज्य रेशम निदेशालय के निकट समन्वय से पुन:संरचित केन्द्रीय क्षेत्र योजना [केक्षेयो] के अधीन आबंटित निधि का उपयोग कर संयुक्त रूप से करने का प्रस्ताव है । निदेशक, केतअवप्रसं, राँची तथा बुतरेबीसं, बिलासपुर को संबंधित राज्य रेशम उत्पादन विभागों के साथ निकट समन्वय से उन समूहों के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करने का कार्य सौंपा गया है ।

#	संबद्ध संस्थान	राज्य	तसर समूह का नाम
1	केतअवप्रसं , राँची	झारखंड	मोहनपुर , देवघर
2			झरमुंडी , दुमका
3			रामगढ़ , दुमका
4			बंधगाँव , पश्चिम सिंहभूम
5			मझगाँव , पश्चिम सिंहभूम
6			बोआरीजोर , गोड्डा
7		ओडिशा	ठकुरमुंडा -महुलडीह -कैंदुजुआनी , जिला -मयूरभंज
8			बैंचा -जलघाटी -दंतीयामुहान , जिला -मयूरभंज
9		तेलंगाना	महादेवपुर , करमनगर
10		आंध्र प्रदेश	कुनवरम , खम्मम्
11		महाराष्ट्र	निस्ति , तहसील - पवानी , भंडारा
12		पश्चिम बंगाल	काशीपुर , पुरुलिया
13		उत्तर प्रदेश	बुंदेलखंड , झांसी
14	बुतरेबीसं , बिलासपुर	झारखंड	बरहेट , साहिबगंज
15			झींकपानी , चाईबासा
16			जगदीशपुर , देवगढ़
17			राजनगर , सरायकेला /खरसवाँ
18		ओडिशा	तेलकोइ -बेन्हामुण्डा , जिला -क्योंझर
19			जीनारी -परदापाड़ा , जिला - क्योंझर
20		मध्य प्रदेश	नरसिंहपुर
21		उत्तर प्रदेश	मुंगाडीह , सोनभद्रा
22		छत्तीसगढ़	अंबिकापुर

मानक [बेंचमार्क] सर्वेक्षण, नैदानिक अध्ययन पूरा कर लिया गया है । कार्यान्वयन प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए समूह विकास सुविधाप्रदाताओं और राज्य के पदधारियों के जागरूकता विकास तथा क्षमता विकास के लिए अभिमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई है । सभी राज्यों में वन्य समूह कार्यक्रम का कार्यान्वयन प्रारंभ करने के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता निर्मोचित की गई है । इस कार्यक्रम के

कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और इसके कार्यान्वयन में गति लाने तथा नियमित रूप से इस कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा समय-समय पर करने के लिए समूह स्तर पर, राज्य स्तर पर तथा संस्थान स्तर पर समिति गठित की गई है ।

गुणवत्ता बीज उत्पादन के लिए सहायता देने हेतु चालू वर्ष अर्थात् वर्ष 2015-16 में क्षमता विकास, क्षेत्र रोगाणुनाशन एवं चल परीक्षण इकाइयों के लिए द्वार-से-द्वार सेवा सहित प्रत्येक समूह को 60 अंगीकृत बीज कीटपालकों तथा 15 निजी बीज उतपादकों द्वारा सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है । इस कार्यक्रम के अधीन वन्य समूह संवर्धन कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने के लिए 1472 लाभार्थियों को सहायता देने हेतु 12.6 करोड़ रु. की भारत सरकार की सहायता संबंधित राज्य सरकार को निर्मोचित की गई तथा लाभार्थियों के क्षमता विकास, अध्ययन दौरा तथा जागरूकता कार्यक्रम के प्रति निदेशक, केतअवप्रसं, राँची तथा बुतरेबीसं, बिलासपुर को 74.474 लाख रु. निर्मोचित किया गया । क्योंकि निधि का निर्मोचन वर्ष 2015-16 की अंतिम तिमाही में, फ़सल के मौसम की समाप्ति के बाद किया गया, अत:, क्षेत्र में कार्यान्वयन अप्रैल 2016 से प्रारंभ होगा और इस कार्यक्रम का असर वर्ष 2016-17 के दौरान प्रकट होगा ।

अभिसरण

वस्त्र मंत्रालय केन्द्रीय क्षेत्र योजना तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र-वस्त्र संवर्धन योजना के रूप में रेशम उत्पादन क्षेत्र के लिए सहायता दे रहा है । भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जा रही महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, आदि योजनाओं का लाभ उठाकर अभिसरण द्वारा अतिरिक्त निधि की व्यवस्था कर आगे प्रयास किए जाते हैं । केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने रेशम उत्पादन के विकास हेतु महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना; जनजातीय विकास निधि, आदि योजनाओं को सम्मिलित करने के लिए अभिसरण परियोजनाएँ तैयार करने तथा प्रस्तुत करने हेतु राज्य सरकार को मदद दिया । वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, अभिसरण कार्यक्रम के अधीन, 1013.35 करोड़ रु. के कुल परिव्यय सहित 185 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिनमें 562.38 करोड़ रु. की राशि के लिए 91 प्रस्ताव संस्वीकृत किए गए और विभिन्न राज्यों को 321.41 करोड़ रु. की निधि निर्मोचित की गई ।

मैसूरु महा समूह परियोजना

भारत सरकार ने वर्ष 2014-15 की बजट घोषणा के दौरान 200.00 करोड़ रुपये का आबंटन कर देश में 7 वस्त्र महा समूह स्थापित करना प्रस्तावित किया था, जिसमें से रेशम के लिए 1 ऐसा समूह मैसूरु (कर्नाटक) में होगा । तद्नुसार, भारत सरकार के समग्र विद्युत करघा समूह विकास योजना के दिशानिर्देशों का पालन कर मैसूरु में महा रेशम समूह स्थापित करना प्रस्तावित किया गया । इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य रेशम बुनाई तथा संसाधन कार्यकलापों के लिए आवश्यक अवसंरचना तथा सामान्य सुविधा सृजित करना है ।

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने कर्नाटक राज्य वस्त्र अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, बेंगलूरु को परियोजना के लिए समूह प्रबंधन व तकनीकी अभिकरण (सप्रवतअ) के रूप में नियुक्त किया था । मैसूरु के निकट इसके लिए पता लगायी गई दस एकड़ भूमि को हथकरघा व वस्त्र विभाग, कर्नाटक सरकार को सौंपा गया । समूह प्रबंधन व तकनीकी अभिकरण ने महा समूह में इकाइयाँ स्थापित करने हेतु भावी उद्यमों से उत्सुकता आमंत्रित की है । समूह प्रबंधन व तकनीकी अभिकरण इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विशेष प्रयोजन वाहक के गठन की प्रक्रिया में है ।

केरेबो के वर्ष, 2015-16 की प्राप्तियाँ (सहायता अनुदान) व व्यय तथा वस्त्र मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए अनुमोदित परिव्यय (ब आ)

केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा-9(1) के अनुसार, केन्द्र सरकार के द्वारा वर्ष **2015-16** के दौरान केन्द्रीय रेशम बोर्ड को सहायता अनुदान दिया गया ताकि अधिनियम के अंतर्गत शक्तियों एवं कार्यों का निर्वहन किया जा सके। वित्तीय वर्ष **2015-16** के दौरान भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा विमोचित सहायता अनुदान और केरेबो द्वारा सुरक्षित कराया गया व्यय और मंत्रालय द्वारा ब आ 2016-17 में अनुमोदित प्रावधान का ब्योरा भी निम्नवत् है -

[रुपए लाख में]

	बजट शीर्ष	वस्त्र मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 – 16 के दौरान विमोचित सहायता अनुदान	वर्ष 2015 – 16 के दौरान सुरक्षित कराया गया व्यय	वस्त्र मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 – 17 के लिए अनुमोदित परिव्यय
I.	**गैर-योजना**			
1	प्रशासनिक व्यय - वेतन के प्रति अनुदान	30208.00	30208.00	33,500.00
	योग - गैर-योजना	30208.00	30208.00	33,500.00
II.	**योजना**			
	1. अ व वि, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व सू प्रौ पहल			
	सहायता अनुदान - सामान्य	4734.00	4734.00	--
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन के प्रति अनुदान	2287.00	2287.00	--
	उप-योग	7021.00	7021.00	--
	2- **क. बीज संगठन**			
	सहायता अनुदान - सामान्य	3015.50	3015.50	--
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन के प्रति अनुदान	1777.00	1777.00	--
	उप-योग	4792.50	4792.50	--
	2-ख. बीज क्षेत्र – एसओएससी			
	सहायता अनुदान - सामान्य	200.00	200.00	--

	पूँजी परिसंपत्ति सृजन के प्रति अनुदान	500.00	500.00	--
	उप-योग	700.00	700.00	--
	3. **समन्वयन व विपणन विकास (मा सं वि)**			
	सहायता अनुदान - सामान्य	675.00	675.00	--
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन के प्रति अनुदान	194.00	194.00	--
	उप-योग	869.00	869.00	--
	4. **गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली**			
	सहायता अनुदान - सामान्य	80.00	80.00	--
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन के प्रति अनुदान	20.00	20.00	--
	उप-योग	100.00	100.00	--
	5. **उत्प्रेरकविकास कार्यक्रम – अजजा**			
	सहायता अनुदान - सामान्य	600.00	600.00	--
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन के प्रति अनुदान	1400.00	1400.00	--
	उप-योग	2000.00	2000.00	--
	योग - योजना	**15482.50**	**15482.50**	**--**

बजट शीर्ष		वस्त्र मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 – 16 के दौरान विमोचित सहायता अनुदान	वर्ष 2015 – 16 के दौरान सुरक्षित कराया गया व्यय	वस्त्र मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 – 17 के लिए अनुमोदित परिव्यय (बआ)
III. **उत्तर-पूर्व क्षेत्र/सिक्किम के अधीन परियोजना/योजना**				
	1. अ व वि, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व सू प्रौ पहल			
	सहायता अनुदान – सामान्य	537.00	537.00	--

	पूँजी परिसंपत्ति सृजन के प्रति अनुदान	1272.00	1272.00	--
	उप-योग	1809.00	1809.00	--
	2. **बीज संगठन**			
	सहायता अनुदान – सामान्य	156.50	156.50	--
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन के प्रति अनुदान	329.00	329.00	--
	उप-योग	485.50	485.50	--
	3. **समन्वय व विपणन विकास (मा सं वि)**			
	सहायता अनुदान - सामान्य	20.00	20.00	--
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन के प्रति अनुदान	13.00	13.00	--
	उप-योग	33.00	33.00	--
	योग – उत्तर-पूर्व-योजना	**2327.50**	**2327.50**	**--**
II. **योजना - प्रशासनिक व्यय के प्रति अनुदान**				
01.02.31	सहायता अनुदान - सामान्य	--	--	5,000.00
01.02.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन के प्रति अनुदान	--	--	3,595.00
	उप-योग	--	--	8,595.00
III. **योजना - रेशम उदयोग के विकास के प्रति अनुदान - एसओएससी**				
57.03.31	सहायता अनुदान - सामान्य	--	--	2,450.00
57.03.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन के प्रति अनुदान	--	--	2,500.00
	उप-योग	--	--	4,950.00
IV. **योजना - रेशम उदयोग के विकास - जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के प्रति अनुदान**				
68.00.31	सहायता अनुदान - सामान्य	--	--	100
68.00.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन के प्रति अनुदान	--	--	100
	उप-योग	--	--	200
	योग - योजना	**--**	**--**	**13,745.00**
V. **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र - रेशम उदयोग के विकास के प्रति अनुदान**				
01.00.31	सहायता अनुदान - सामान्य	--	--	1,305.00
01.00.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन के प्रति अनुदान	--	--	1,000.00
	उप-योग	--	--	2,305.00
	कुल - उ-पू- योजना	**--**	**--**	**2,305.00**
योग - योजना [योजना + उ-पू योजना]		17810.00	17810.00	16,050.00
कुल योग - [गैर-योजना+योजना+उ-पू-योजना]		**48018.00**	**48018.00**	**49,550.00**

2015 – 16 के ऋण

वस्त्र मंत्रालय द्वारा वर्ष,2015-16 के दौरान केन्द्रीय रेशम बोर्ड को गृह निर्माण अग्रिम के लिए कोई ऋण राशि नहीं दी गई।

आंतरिक लेखा-परीक्षा

केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूरु अपने 05 आँचलिक लेखा-परीक्षा दल वाले आंतरिक लेखा-परीक्षा स्कंध से प्रत्येक वर्ष नियमित आधार पर केरेबो की सभी इकाइयों की लेखा परीक्षा कर रहा है। आँतरिक लेखा-परीक्षा दल ने वर्ष 2015-16 के दौरान, आंतरिक लेखा-परीक्षा संचालित कर अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार 31.03.2016 को यथाविद्यमान लक्ष्य को प्राप्त किया। इसका ब्योरा निम्नानुसार है -

क्रम सं	लेखा-परीक्षा दल का नाम	शामिल की गईं वास्तविक इकाइयाँ		कुल
		प्रदत्त वित्तीय अधिकार	अप्रदत्त वित्तीय अधिकार	
1	के.का. आंलेप दल	43	14	57
2	आँलेपद – क, केतअवप्रसं,राँची	23	7	30
3	आँलेपद – ख, केरेअवप्रसं,बहरमपुर	18	13	31
4	आँलेपद – ग, केरेअवप्रसं,मैसूरु	13	19	32
5	आँलेपद – घ, क्षेरेअके, जम्मू	16	18	34
6	आँलेपद – ङ, मूरेबीसं, गुवाहाटी	4	18	22
	योग	**117**	**89**	**206**

- इसके अतिरिक्त, आंतरिक लेखा-परीक्षा अनुभाग ने वर्ष 2015-16 के दौरान विभिन्न सेवा मामलों तथा अन्य विषयों पर संदर्भित 20 मामलों के विषय में राय भी दी।

- केन्द्रीय रेशम बोर्ड की विभिन्न इकाइयों से संबंधित 8 महालेखाकार की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं तथा वर्ष 2015-16 के दौरान उनके समुचित उत्तर संबंधित माहलेखाकार/पीडीसी, एम ए बी को दिए गए।

****

कच्चे रेशम का उत्पादन

भारत को सभी पाँचों ज्ञात वाणिज्यिक रेशम अर्थात् शहतूती, उष्णकटिबंधीय तसर, ओक तसर, एरी तथा मूगा का उत्पादन करने वाले एक मात्र देश होने का गौरव प्राप्त है, जिसमें सुनहला पीला एवं चमकदार मूगा, भारत का अनुपम एवं विशिष्ट उत्पाद है। वर्ष 2015-16 के दौरान भारत में कच्चे रेशम का कुल वार्षिक उत्पादन 28,523 मी ट रहा, जिसमें शहतूती कच्चे रेशम का कुल उत्पादन 20,478 मी ट (72%) रहा। शेष 8045 मी ट (28%) का उत्पादन वन्य रेशम का रहा (तालिका-1)।

तालिका 1- भारत में कच्चे रेशम का उत्पादन

#	विवरण	2015-16	2014-15	% वृद्धि
क	शहतूत के अधीन क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	208947	219819	-4.9
ख	**शहतूती कच्चा रेशम (मी ट)**			
	द्विप्रज	4613	3870	19.2
	संकर नस्ल	15865	17520	-9.4
	उप-योग (ख)	**20478**	**21390**	**-4.3**
ग	वन्य रेशम (मी ट)			
	तसर	2819	2434	15.8
	एरी स्पन रेशम	5060	4726	7.1
	मूगा	166	158	5.1
	उप-योग (ग)	**8045**	**7318**	**9.9**
	योग (ख+ग)	**28523**	**28708**	**-0.6**

स्रोत राज्य रेशम उत्पादन विभागों से प्राप्त रिपोर्टों से संकलित

वर्ष 2015-16 में देश में कच्चे रेशम का उत्पादन वर्ष 2014-15 के 28,708 मी ट की तुलना में घटकर 28,523 मी ट तक हो गया। वर्ष 2015-16 में द्विप्रज कच्चे रेशम का उत्पादन पिछले वर्ष 2014-15 के 3,870 से 19.2% बढ़कर 4,613 मी ट तक वर्ष का रिकार्ड उत्पादन हुआ। फिर भी, वर्ष 2015-16 के दौरान देश में शहतूती कच्चे रेशम का उत्पादन वर्ष 2014-15 के 21,390 मी ट से 4.3% घटकर 20,478 मी ट तक हो गया। मई 2015 से अक्टूबर 2015 तक के दौरान कोसा मूल्य में हुई गिरावट के परिणाम स्वरूप शहतूत को उखाड़ा गया और इससे नए शहतूत पौधारोपण में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2015-16 के दौरान रेशम उत्पादन क्षेत्र में सूखे ने कच्चे रेशम उत्पादन को प्रभावित किया। वर्ष 2015-16 के दौरान वन्य रेशम का उत्पादन वर्ष 2014-15 के 7,318 मी ट की तुलना में 8,045 मी ट रहा, जो उत्पादन में 9.9% की वृद्धि दर्शाती है।

वर्ष 2014-15 की तुलना में 2015-16 के दौरान राज्य-वार तथा प्रजाति-वार कच्चे रेशम का उत्पादन अनुबंध-III में दिया गया है। पिछले तीन वर्ष के शहतूत क्षेत्र, कच्चे रेशम का उत्पादन एवं प्रजाति-वार वन्य रेशम

का उत्पादन लेखाचित्र-1क, 1ख, 1ग तथा 2क, 2ख व 2ग में चित्रित किया गया है।

कोसों एवं कच्चे रेशम का मूल्य

शहतूती कोसों का मूल्य – वर्ष 2014-15 तथा वर्ष 2015-16 के दौरान सरकारी कोसा बाज़ार (सकोबा), रामनगरम् में द्विप्रज संकर धागाकरण कोसों तथा सरकारी कोसा बाज़ार रामनगरम् तथा सिद्दलगट्टा में संकर नसल धागाकरण कोसों का औसत मूल्य **तालिका-2** तथा **(लेखाचित्र-3क-ग)** में दिया गया है।

तालिका 2- कर्नाटक के विभिन्न बाज़ारों में द्विप्रज संकर तथा संकर नस्ल धागाकरण कोसों का औसत मूल्य (मूल्य- रु/कि ग्रा)

माह	द्विप्रज		संकर नस्ल			
	रामनगरम्		रामनगरम्		सिद्दलगट्टा	
	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16
अप्रैल	377	299	333	273	368	315
मई	377	265	310	213	350	269
जून	376	258	294	202	340	245
जुलाई	312	211	279	183	297	220
अगस्त	307	255	271	229	296	272
सितम्बर	344	266	309	223	339	253
अक्टूबर	271	218	232	193	285	230
नवम्बर	298	242	277	199	301	203
दिसम्बर	290	305	271	259	277	295
जनवरी	324	372	297	314	304	326
फरवरी	320	374	279	327	304	352
मार्च	296	379	274	332	302	376
औसत	**324**	**287**	**286**	**246**	**314**	**280**

स्रोत - रेशम उत्पादन विभाग, कर्नाटक

शहतूती कच्चे रेशम का मूल्य- वर्ष 2014-15 तथा वर्ष 2015-16 के दौरान कर्नाटक के रेशम विनिमय केन्द्रों में कारोबार किए गए बहुछोरीय, कुटीर थाला, तथा दुपिया रेशम का औसत मूल्य तालिका-3 में दिया गया है।

तालिका 3- कर्नाटक के रेशम विनिमय केन्द्रों में कारोबार किए गए कच्चे रेशम का औसत मूल्य **(मूल्य - रु/कि ग्रा)**

माह	बहुछोरीय		कुटीर थाला		दुपिया	
	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16
अप्रैल	3132	2520	2996	2369	1486	1484
मई	3046	2358	2876	2274	1582	1460
जून	2926	2155	2906	2175	1454	1214

जारी....

जुलाई	2839	2201	2738	2086	1496	1140
अगस्त	2808	2266	2654	2041	1476	1179
सितम्बर	2892	2161	2743	2070	1812	1331
अक्टूबर	2824	2257	2640	2103	1731	1246
नवम्बर	2815	2293	2531	2054	1583	1119
दिसम्बर	2760	2370	2459	2082	1450	1176
जनवरी	2661	2469	2373	2257	1390	1329
फरवरी	2549	2711	2288	2274	1422	1277
मार्च	2424	2775	2371	2362	1358	1277
औसत	**2795**	**2379**	**2539**	**2176**	**1518**	**1264**
स्रोत - रेशम उत्पादन विभाग, कर्नाटक						

कर्नाटक के रेशम विनिमय केन्द्रों में कारोबार किए गए बहुछोरीय, कुटीर थाला एवं दुपिया रेशम का भी मूल्य क्रमश: लेखाचित्र-4क, 4ख तथा 4ग में दर्शाया गया है।

वन्य कोसों तथा रेशम का मूल्य - वर्ष 2014-15 तथा वर्ष 2015-16 में वन्य रेशम उत्पादक राज्यों के प्रमुख बाज़ारों में तसर, एरी तथा मूगा कोसों तथा रेशम का मूल्य तालिका-4 में दिया गया है।

तालिका 4- वन्य कोसों एवं कच्चे रेशम का मूल्य

मात्रक-मूल्य- रु/कि ग्रा

प्रजाति	2014-15	2015-16
क) तसर मूल्य *		
1. धागाकरण कोसा (1000 सं.) (श्रेणी-1)		
क) रैली	4500-6000	4500-6300
ख) डाबा	2675-4500	3000-4500
2. धागाकृत सूत	3500-5000	4500-4800
3. घीचा सूत	1200-3000	1800-2200
ख) एरी मूल्य **		
1. काटे गए कोसे (उत्कृष्ट गुणवत्ता)	400-650	600-800
2. स्पन सूत	1600-2000	1600-3000
ग) मूगा मूल्य **		
1. धागाकरण कोसा (1000 सं.)	1800-3000	1500-2150
2. कच्चा रेशम		
क) ताना सूत	14000-17500	12500-15500
ख) बाना सूत	12000-13000	11000-14000

टिप्पणी - * चाईबासा (झारखण्ड), चाँपा व रायगढ़ (छत्तीसगढ़) तथा भागलपुर (बिहार) के बाज़ारों से
स्रोत - कच्चा माल बैंक, केरेबो, चाईबासा एवं क्षेत्रीय कार्यालय, केरेबो, गुवाहाटी

आयातित शहतूती कच्चे रेशम(चीनी) का मूल्य

वर्ष 2014-15 तथा वर्ष 2015-16 के दौरान, 3ए श्रेणी एवं अधिक की श्रेणी के आयातित चीनी शहतूती कच्चे रेशम के अवतरित मूल्य वाराणसी बाज़ार में इसके विक्रय मूल्य सहित तालिका-5 में दिए गए हैं ।

तालिका 5 -आयातित कच्चे रेशम का मूल्य

(मूल्य - अमेरिकी डालर/कि ग्रा)

माह	अवतरित मूल्य (3ए एवं अधिक की श्रेणी) *				वाराणसी बाज़ार मूल्य **			
	2014-15		2015-16		2014-15		2015-16	
	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
अप्रैल	55.00	56.00	48.00	53.00	60.47	62.96	53.71	54.18
मई	55.00	56.00	48.00	53.00	51.00	61.54	52.04	53.61
जून	54.00	55.00	48.00	52.00	56.92	59.43	51.68	52.46
जुलाई	54.00	55.00	48.00	52.00	49.95	64.77	51.08	55.01
अगस्त	51.00	55.00	48.00	52.00	56.91	57.48	49.33	50.56
सितम्बर	50.00	54.00	46.00	50.00	56.52	73.12	47.27	49.08
अक्टूबर	50.00	53.00	44.00	48.00	54.61	62.76	46.34	47.65
नवम्बर	50.00	53.00	42.00	46.00	54.29	55.27	46.88	48.40
दिसम्बर	50.00	53.00	42.00	46.00	53.39	56.18	47.30	48.80
जनवरी	50.00	53.00	42.00	46.00	54.64	59.78	45.80	47.73
फरवरी	50.00	53.00	42.00	46.00	54.48	54.80	46.16	46.60
मार्च	50.00	53.00	42.00	46.00	54.04	55.64	46.63	47.00

टिप्पणी- * **अवतरित मूल्य**, ** वाराणसी बाज़ार में प्रचलित विक्रय मूल्य जिसमें सीमा शुल्क तथा अन्य शुल्क शामिल है । **स्रोत-*** क्षेत्रीय कार्यालय, केरेबो, मुंबई द्वारा मेसर्स शाह ट्रेडिंग कंपनी, मुंबई के माध्यम से संग्रहित
** प्रमाणन केन्द्र, केरेबो, वाराणसी

रेशम मालों का निर्यात

वस्त्र, बने-बनाए और सिले-सिलाए पोशाक भारत की प्रमुख निर्यात वस्तुएँ हैं, जो देश के कुल रेशम मालों के निर्यात का लगभग 94.5% आता है । वर्ष, 2014-15 में 2,829.94 करोड़ (471मिलियन अमेरीकी डॉलर) की तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान रेशम मालों के अनंतिम निर्यात से प्राप्त आय 2,495.99 करोड़ (389.53 मिलियन अमेरिकी डॉलर) रही, जो रुपए में 11.8% तथा अमेरीकी डॉलर में 17.3 की कमी दर्शाती है (**तालिका-6 तथा रेखाचित्र-5**) ।

तालिका 6 – 2015-16 तथा 2014-15 के दौरान रेशम एवं रेशम माल से प्राप्त निर्यात आय

मद	2015-16		2014-15		% वृद्धि	
	करोड़ `	मिलियन अमेरिकी डॉलर	करोड़ `	मिलियन अमेरिकी डॉलर	करोड़ `	अमेरिकी डॉलर
कच्चा रेशम	1.43	0.22	0.69	0.11	107.25	94.95
रेशम सूत	28.89	4.44	24.71	4.04	16.92	9.98
वस्त्र, बने बनाए परिधान	1280.6	196.67	1465.44	240.21	-12.61	-18.13
सिले-सिलाए पोशाक	1078.39	171.89	1214.01	206.18	-11.17	-16.63
रेशम क़ालीन	16.88	2.58	15.97	2.61	5.7	1.15
रेशम अपशिष्ट	89.9	13.73	109.12	17.85	-17.71	-23.08
योग	**2495.99**	**389.53**	**2829.94**	**471.00**	**-11.80**	**17.30**

1. **स्रोत** –डीजीसीआईएस, कोलकाता से प्राप्त सांख्यिकी से संकलित

संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम तथा नाइजीरिया भारतीय रेशम मालों के प्रमुख आयातक देश हैं । वर्ष 2015-16 के दौरान, सर्वोच्च दस आयातक देशों से प्राप्त निर्यात आय की कुल निर्यात आय का 69.29% है । वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान रेशम मालों से प्राप्त देश-वार निर्यात आय तालिका-7 में दी गई है ।

तालिका 7 - 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान रेशम तथा रेशम मालों से प्राप्त देश-वार निर्यात आय

क्रम सं.	देश +	2015-16		2014-15		% वृद्धि	
		करोड़ `	मिलियन अमेरिकी डॉलर	करोड़ `	मिलियन अमेरिकी डॉलर	करोड़ `	अमेरिकी डॉलर
1	सं अरब अमीरात	606.76	94.69	687.14	114.37	-11.7	-17.21
2	सं राज्य अमेरिका	340.37	53.12	362.03	60.26	-5.98	-11.85
3	यूनाइटेड किंगडम	155.84	24.32	190.37	31.69	-18.14	-23.25
4	नाइजीरिया	122.31	19.09	21.94	3.65	457.47	422.68
5	तंज़ानिया	96.91	15.12	44.19	7.36	119.3	105.61
6	फ्रांस	90.43	14.11	91.36	15.21	-1.02	-7.2
7	चीन	89.48	13.96	102.11	17	-12.37	-17.84
8	इटली	79.58	12.42	97.38	16.21	-18.28	-23.38
9	सुडान	74.82	11.68	94.75	15.77	-21.03	-25.96
10	जर्मनी	73.03	11.40	95.4	15.88	-23.45	-28.23
	अन्य	766.46	119.63	1043.27	173.62	-26.53	-31.10
	योग	**2495.99**	**389.53**	**2829.94**	**471.00**	**-11.80**	**-17.30**

टिप्पणी - + सर्वोच्च 10 देशों से संबंध, **स्रोत**- डीजीसीआईएस, कोलकाता से प्राप्त सांख्यिकी से संकलित

रेशम मालों का आयात

वर्ष 2015-16 तथा 2014-15 के दौरान कच्चे रेशम तथा रेशम मालों का आयात मूल्य **तालिका-8** में दिया गया है । कच्चा रेशम, रेशम सूत, वस्त्र और सिले-सिलाऐ पोशाक प्रमुख आयात की वस्तुएँ हैं, जो कुल आयात का लगभग 96.3% आता है । वर्ष, 2015.16 के दौरान रेशम मालों का आयात मूल्य 2014-15 के 1,358.15 करोड़ ` (222.32 मिलियन अमेरिकी डालर) की तुलना में 1,389.10 करोड़ ` (211.99 मिलियन अमेरिकी डालर) रहा, जो रुपए में 2.28% तथा अमेरिकी डालर में 4.65% की कमी दर्शाता है **(तालिका-8)** । कच्चे रेशम के आयात की कुल मात्रा रेखाचित्र-6 में दिया गया है ।

तालिका 8 - 2015-16 तथा 2014-15 के दौरान रेशम एवं रेशम मालों का आयात मूल्य

मद	2015-16		2014-15		% वृद्धि	
	करोड़ `	मिलियन अमेरिकी डॉलर	करोड़ `	मिलियन अमेरिकी डॉलर	करोड़ `	अमेरिकी डॉलर
कच्चा रेशम	1006.16	153.7	970.82	158.92	3.64	-3.28
	(3529 मी ट)		(3489 मी ट)			
रेशम सूत	81.66	12.46	103.78	16.98	-21.31	-26.62
वस्त्र, बने बनाए वस्त्र	249.46	38.01	239.01	39.19	4.37	-3.01
सिले-सिलाए पोशाक	15	2.28	18.2	2.92	-17.58	-21.92
रेशम क़ालीन	0.05	0.01	0.43	0.07	-88.37	-86.03
रेशम अपशिष्ट	36.77	5.53	25.91	4.24	41.91	30.42
योग	**1389.10**	**211.99**	**1358.15**	**222.32**	**2.28**	**-4.65**

टिप्पणी - कोष्ठक के आँकड़े आयातित कच्चे रेशम की मात्रा दर्शाती है ।

स्रोत - डीजीसीआईएस, कोलकाता से प्राप्त सांख्यिकी से संकलित

****

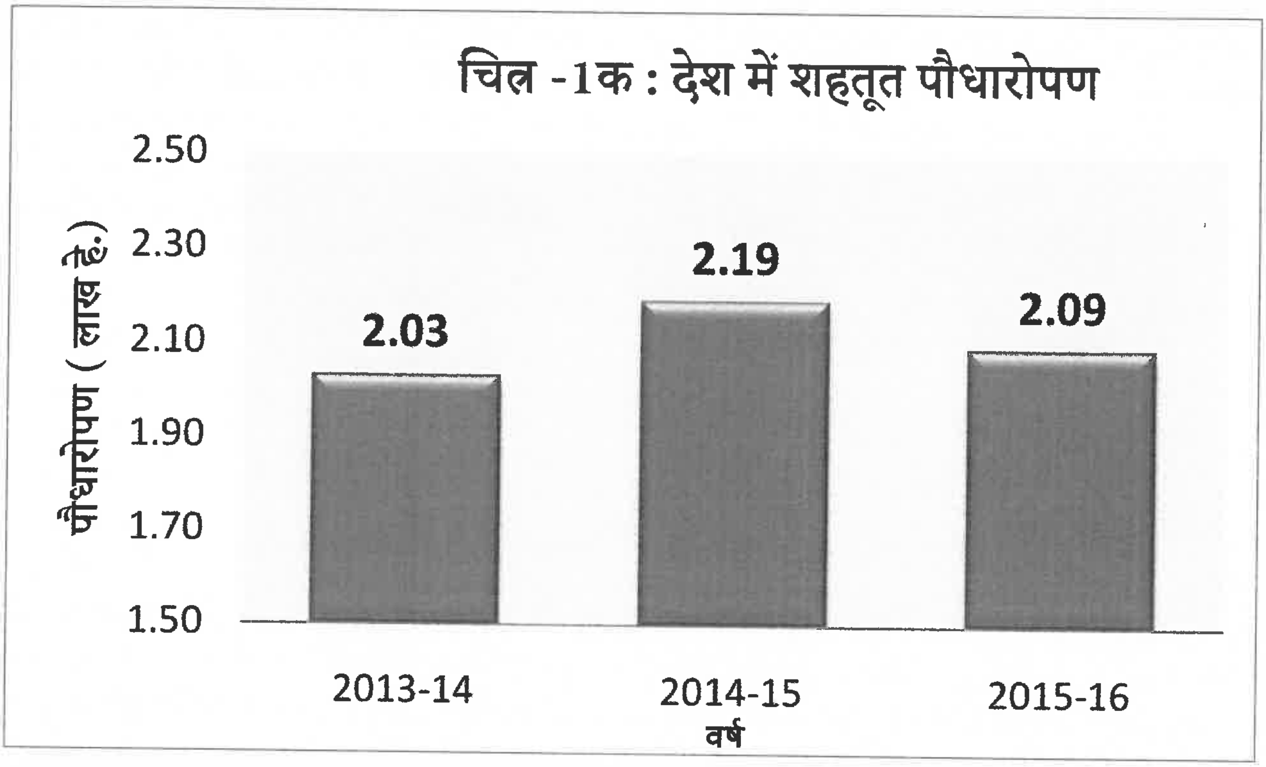
चित्र -1क : देश में शहतूत पौधारोपण
पौधारोपण (लाख हे.)
2.50
2.30
2.10
1.90
1.70
1.50
2.03
2.19
2.09
2013-14
2014-15
2015-16
वर्ष

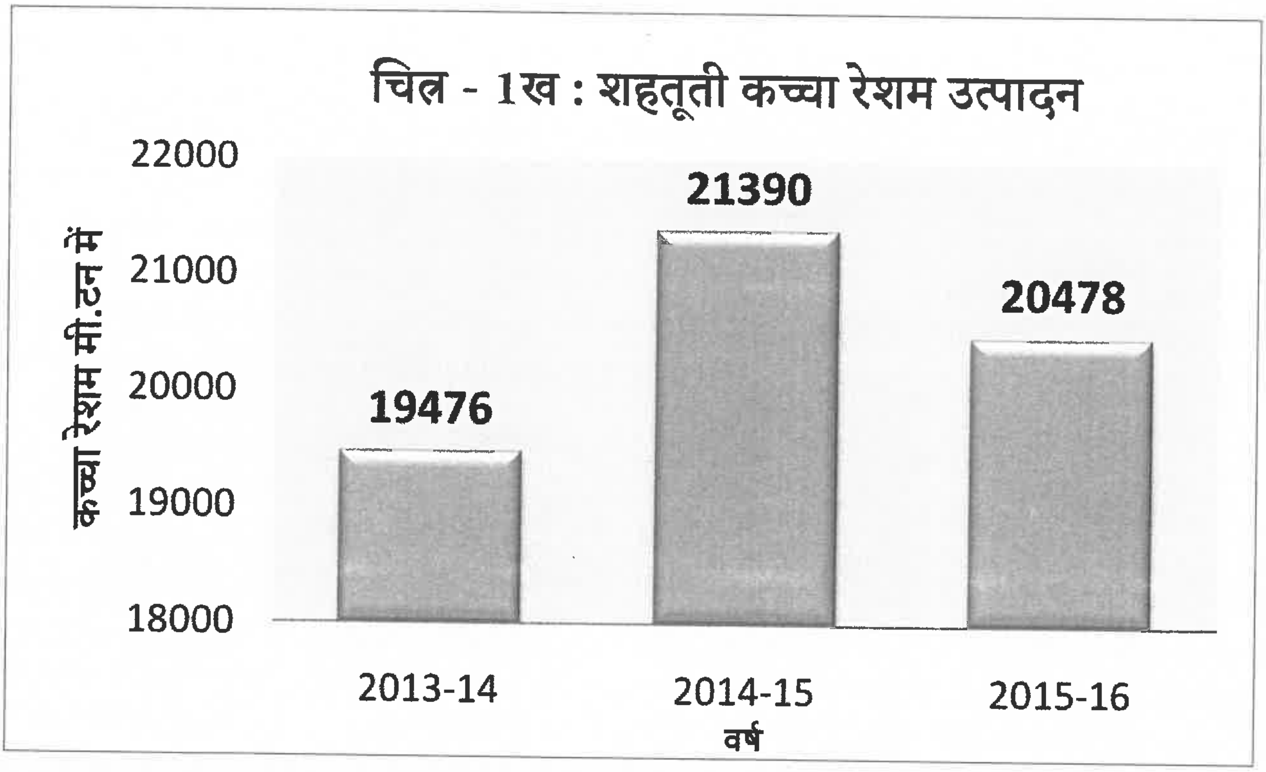
चित्र - 1ख : शहतूती कच्चा रेशम उत्पादन
कच्चा रेशम मी.टन में
22000
21000
20000
19000
18000
19476
21390
20478
2013-14
2014-15
2015-16
वर्ष

चित्र - 1ग : द्विप्रज कच्चा रेशम उत्पादन

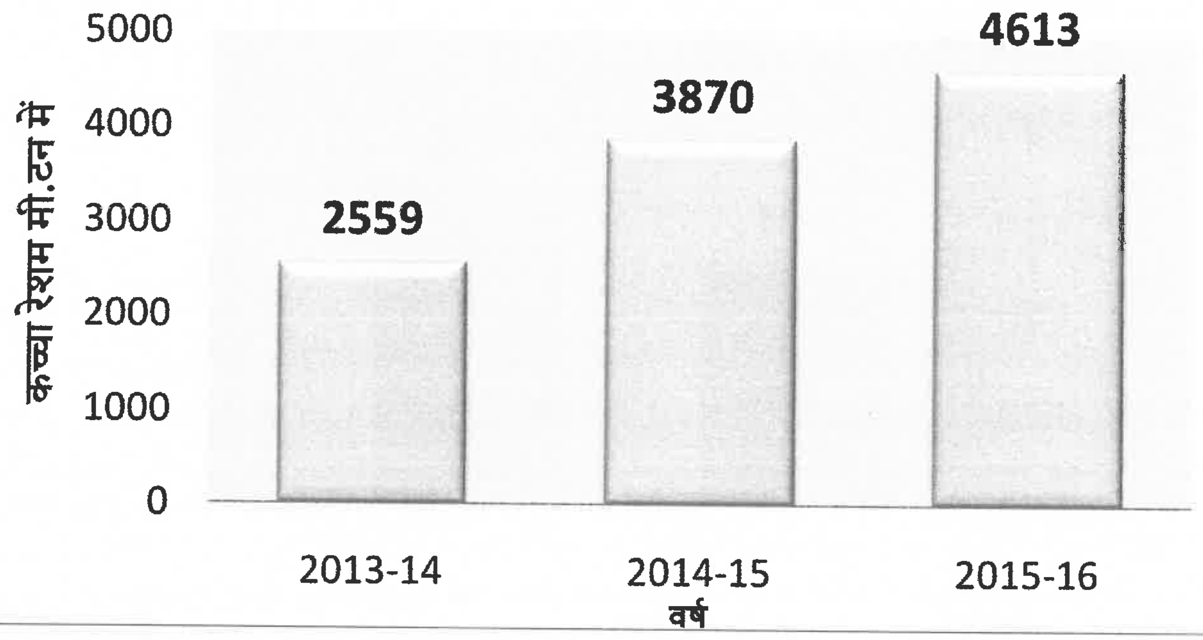

चित्र - 2क : तसर कच्चा रेशम का उत्पादन

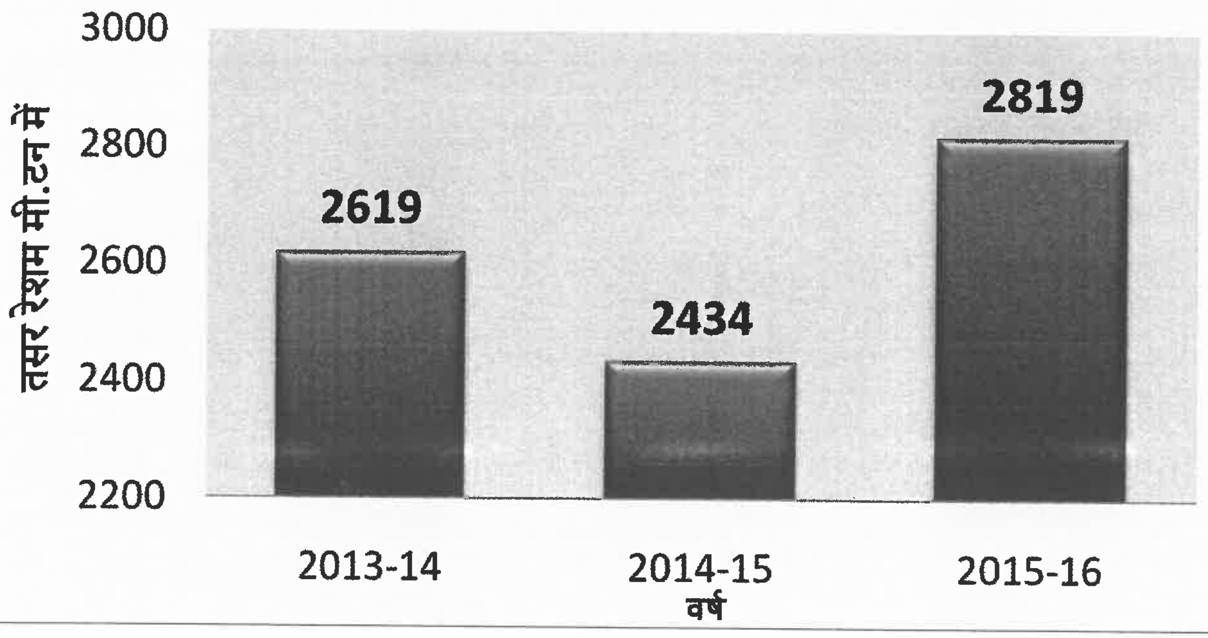

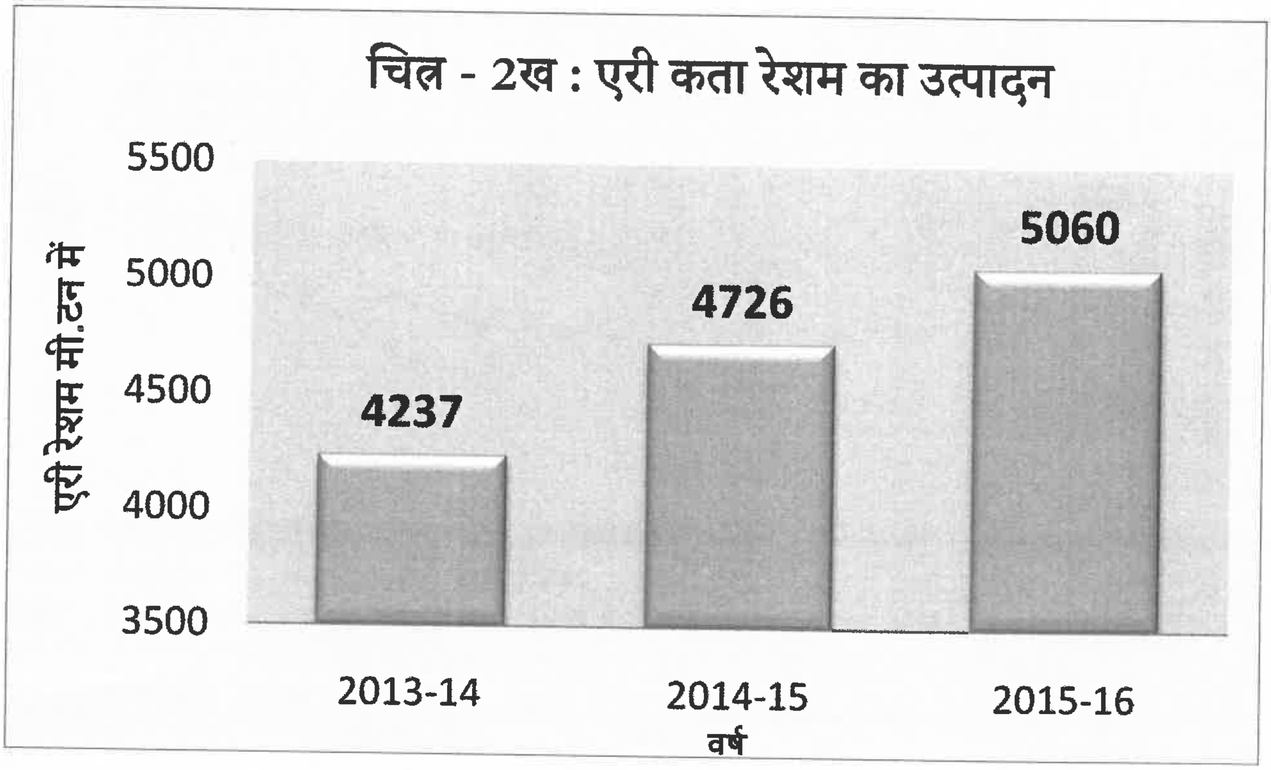
चित्र - 2ख : एरी कता रेशम का उत्पादन
5500
5000
4500
4000
3500
एरी रेशम मी.टन में
4237
4726
5060
2013-14
2014-15
2015-16
वर्ष

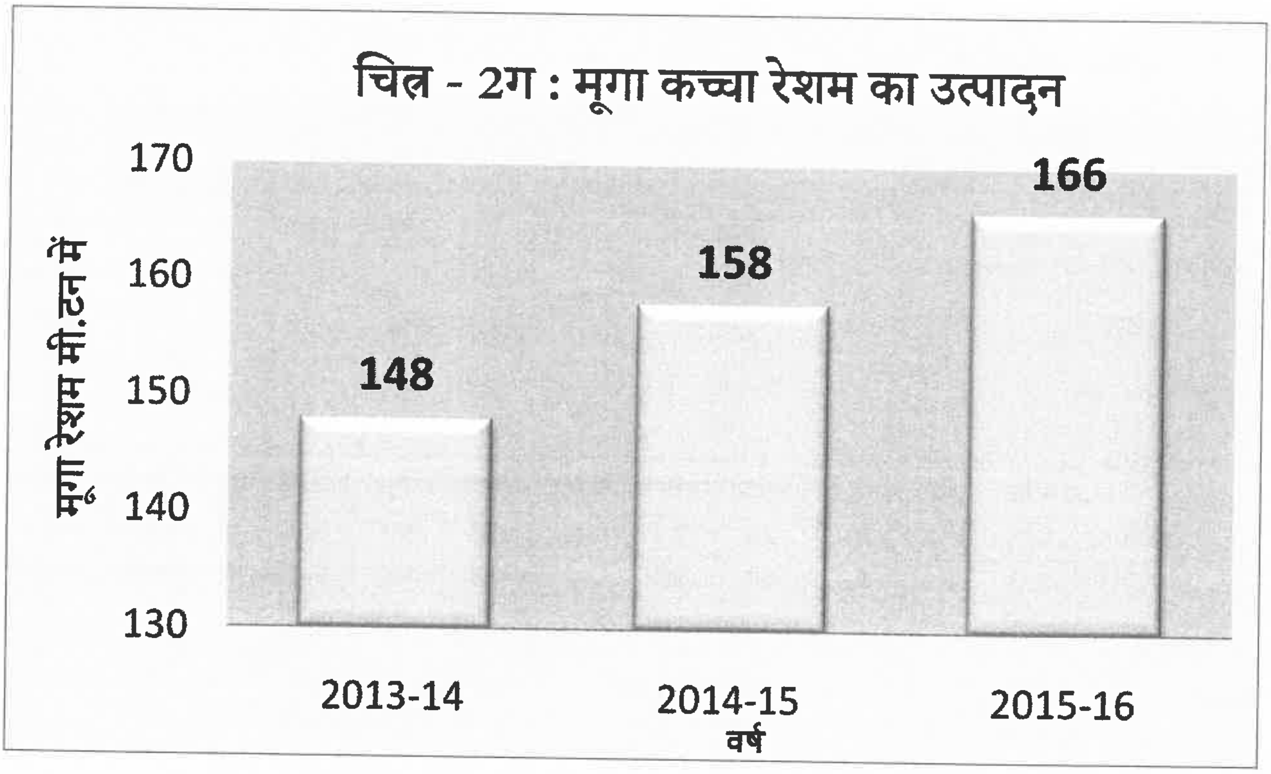
चित्र - 2ग : मूगा कच्चा रेशम का उत्पादन
170
160
150
140
130
मूगा रेशम मी.टन में
148
158
166
2013-14
2014-15
2015-16
वर्ष

Chart Area

चित्र 3क : रामनगरम् बाजार में द्विप्रज (सीएसआर) कोसे का औसत मूल्य

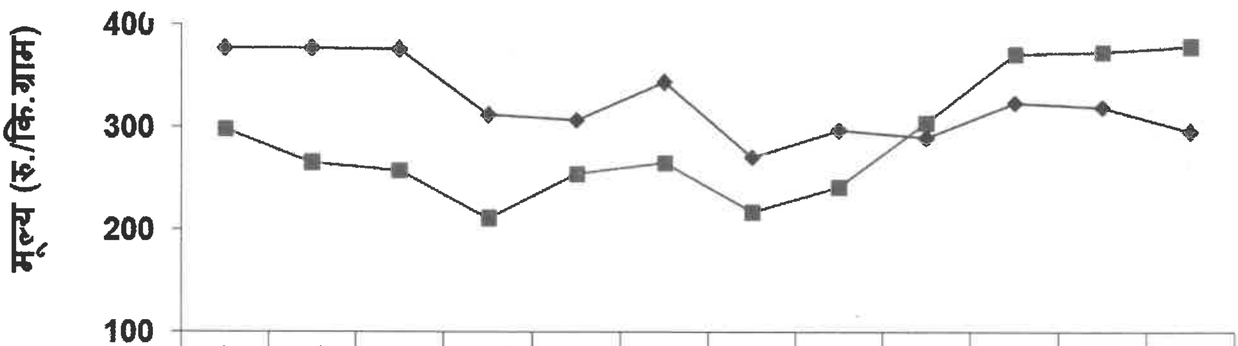

	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
2014-15	377	377	376	312	307	344	271	298	290	324	320	296
2015-16	299	265	258	211	255	266	218	242	305	372	374	379

माह

2014-15 2015-16

चित्र 3ख : रामनगरम् बाजार में संकर नस्ल के कोसें का औसत मूल्य

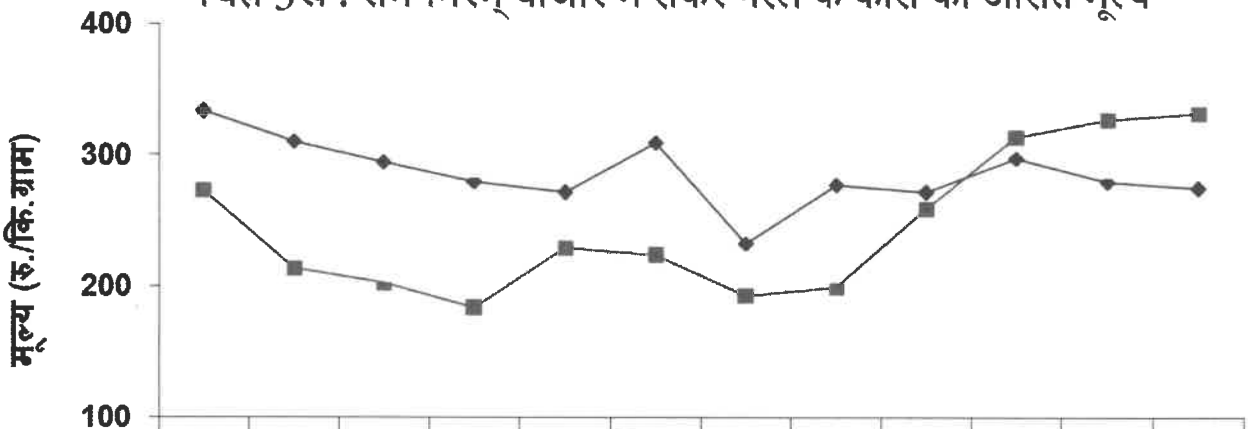

	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
2014-15	333	310	294	279	271	309	232	277	271	297	279	274
2015-16	273	213	202	183	229	223	193	199	259	314	327	332

माह

2014-15 2015-16

चित्र 3ग :सिद्दलगट्टा बाजार में संकर नस्ल के कोसों का औसत मूल्य

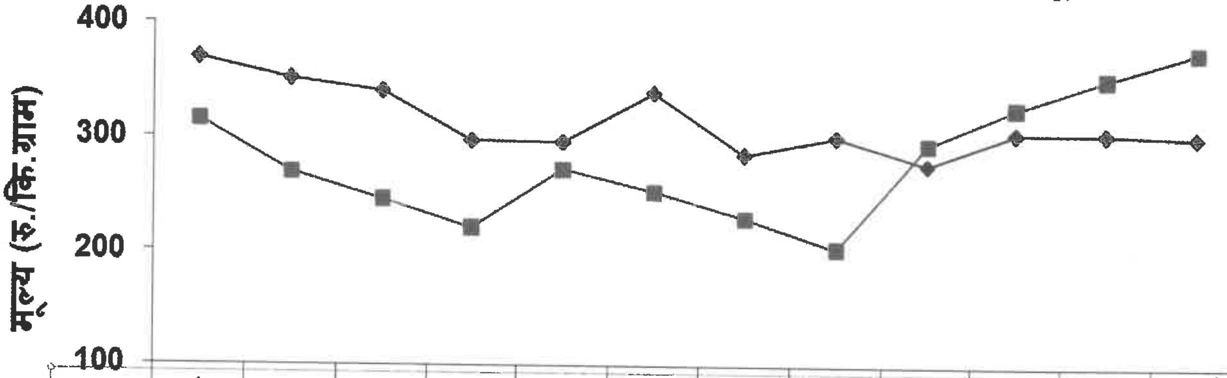

	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
2014-15	368	350	340	297	296	339	285	301	277	304	304	302
2015-16	315	269	245	220	272	253	230	203	295	326	352	376

माह

—◆— 2014-15 —■— 2015-16

चित्र 4क : कर्नाटक रेशम बाजार में बहुछोरीय रेशम का औसत मूल्य

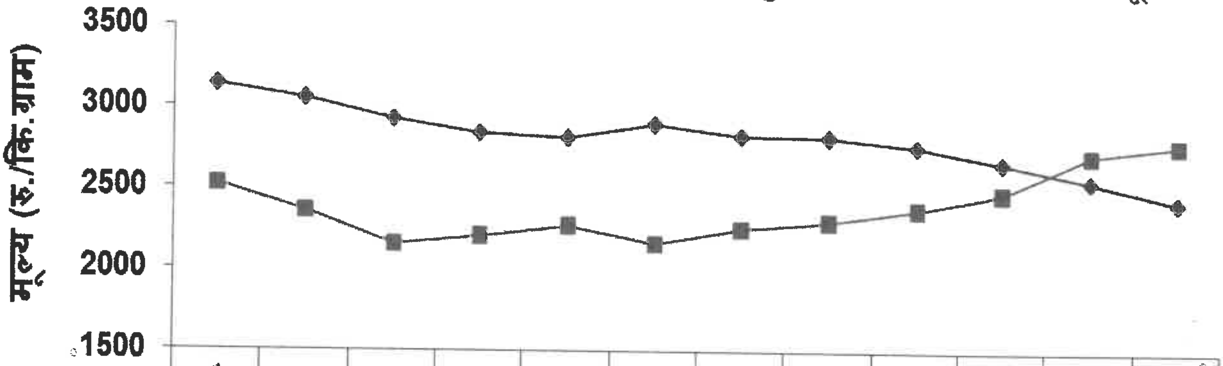

	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
2014-15	3132	3046	2926	2839	2808	2892	2824	2815	2760	2661	2549	2424
2015-16	2520	2358	2155	2201	2266	2161	2257	2293	2370	2469	2711	2775

Data Table

माह

—◆— 2014-15 —■— 2015-16

चित्र 4ख : कर्नाटक रेशम बजार में कुटीर थाला रेशम का औसत मूल्य

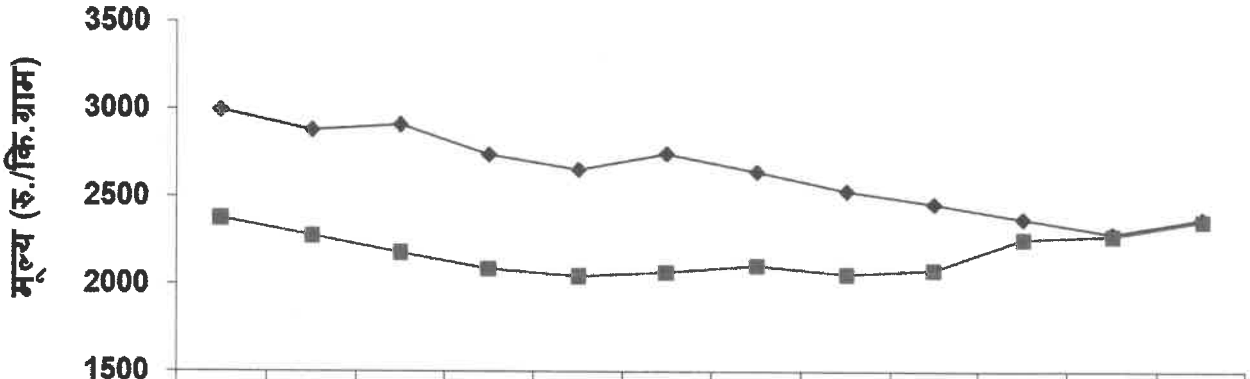

	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
2014-15	2996	2876	2906	2738	2654	2743	2640	2531	2459	2373	2288	2371
2015-16	2369	2274	2175	2086	2041	2070	2103	2054	2082	2257	2274	2362

माह

2014-15 2015-16

चित्र 4ग : कर्नाटक रेशम बाजार में डुपियन रेशम का औसत मूल्य

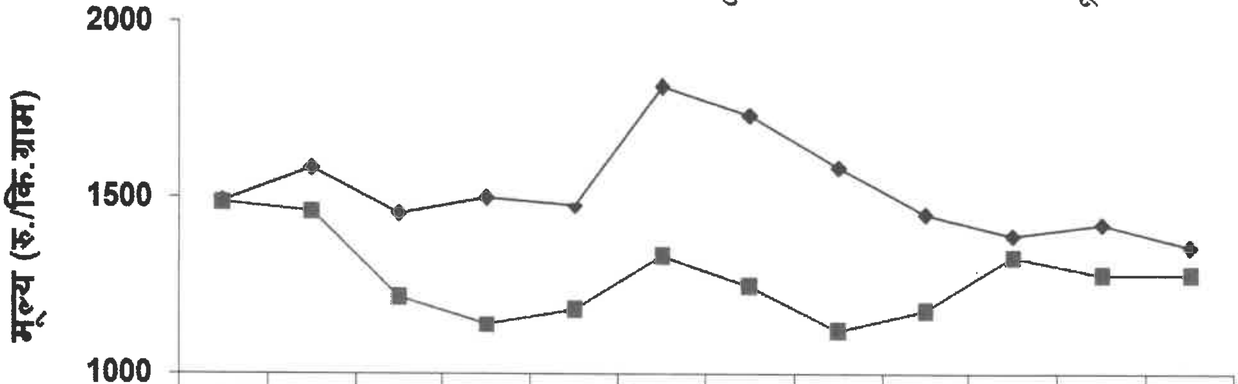

	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
2014-15	1486	1582	1454	1496	1476	1812	1731	1583	1450	1390	1422	1358
2015-16	1484	1460	1214	1140	1179	1331	1246	1119	1176	1329	1277	1277

माह

2014-15 2015-16

चित्र 5 : रेशम व रेशम माल के निर्यात से आय

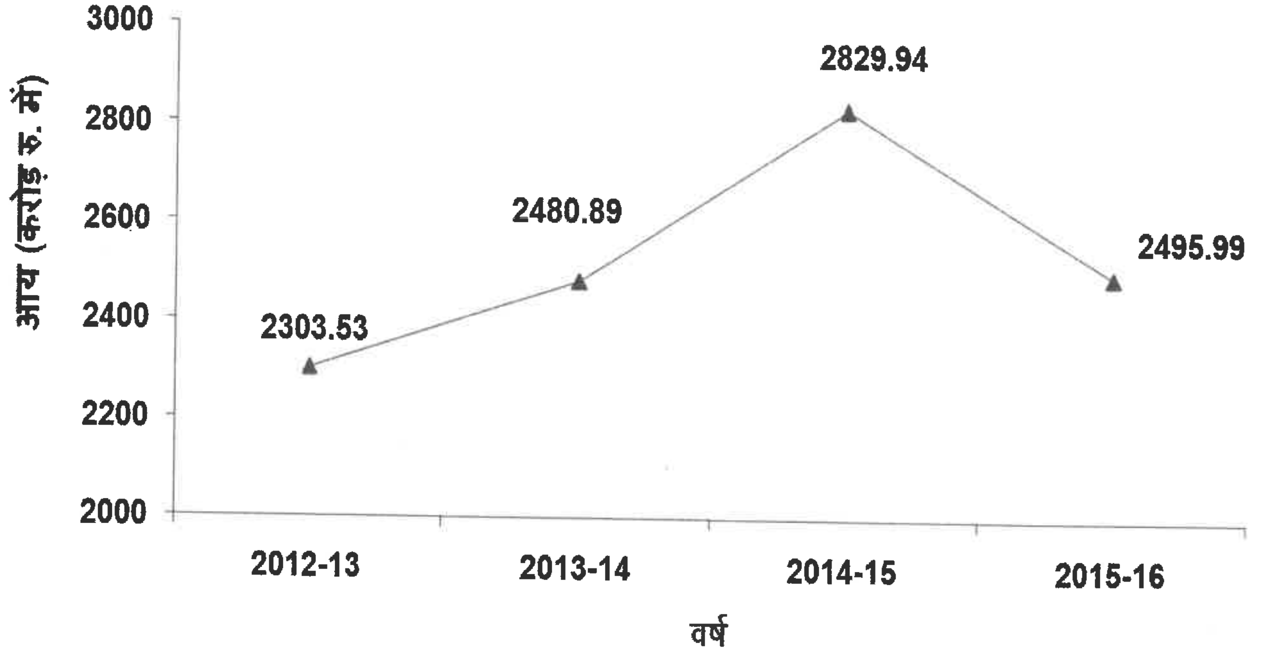

चित्र 6 : कच्चा रेशम आयात

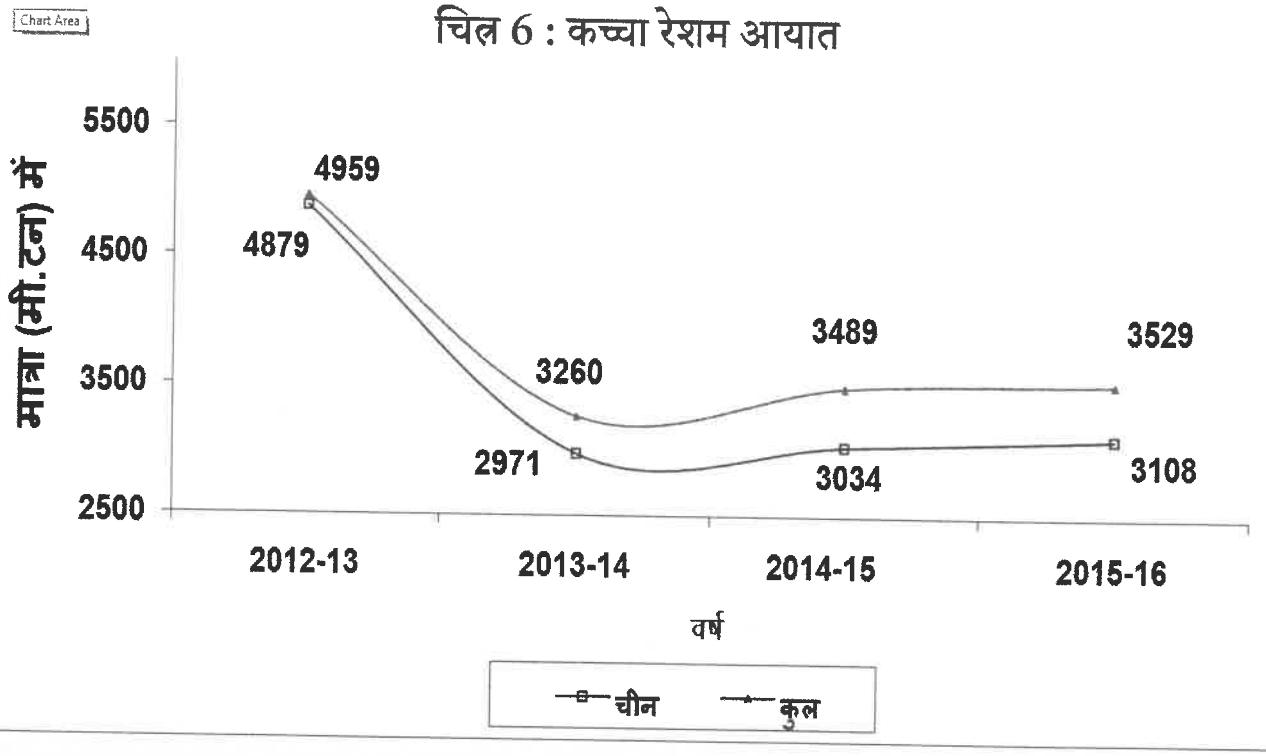

अनुबंध-I (क)

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के संगठनों की सूची

31 मार्च, 2016

अध्यक्ष
→ **सुश्री सुनयना तोमर, उपाध्यक्ष**
→ **डॉ. एच. नागेश प्रभु, सदस्य-सचिव**

डॉ. पी. जय प्रकाश, निदेशक (तक.) (अतिरिक्त प्रभार), बोर्ड सचिवालय, बेंगलूरु (कर्नाटक)

क्षेका/प्रके	13
मूएबीविप, कि.गंज	1
चाकीके	1
अविके	2
कमाबैं	1
उप-डिपो	4
मूकमाबैं	1
उप-डिपो	1
भारेमासं	1

- श्री आर. सतीश कुमार, निदेशक (वित्त), बोर्ड सचिवालय, बेंगलूरु (कर्नाटक)
- डॉ. ए. के. अवस्थी, वैज्ञानिक-घ (प्रभारी), रेजैप्रौप्र, बेंगलूरु (कर्नाटक)
- डॉ. पी. के. मिश्र, निदेशक, केरेजसंके, होसूरु (तमिलनाडु)

डॉ. कनिका त्रिवेदी, निदेशक, केरेअवप्रसं, बहरमपुर (पश्चिम बंगाल)

क्षेरेअके	4
अविके	13
उप-इकाई	4
बुबीफा	1

डॉ. पी. जय प्रकाश, निदेशक, रारेबीसं, बेंगलूरु (कर्नाटक)

आरेबीसं.	2
बुबीफा	19
रेबीउके	22
रेसेके	33
रेकोक्रके	3
रेबीप्रौप्र	1
शीसं	3
रेसेई	30

डॉ. वी. शिवप्रसाद, निदेशक, केरेअवप्रसं, मैसूरु (कर्नाटक)

क्षेरेअके	4
उरेप्रके	1
अविके	18
उप-इकाई	29
बुबीफा	1
सविके	3
ससंके	1

डॉ. आलोक सहाय, निदेशक, केतअवप्रसं, राँची (झारखण्ड)

क्षेतअके	8
अविके	14
पी4 केन्द्र	3

डॉ. बी. सुभाष नाइक, निदेशक, केरेप्रौअसं, बेंगलूरु (कर्नाटक)

रेअपगृ	6
प्रसतसेके	9
वपप्र	1
आंका	1
क्षेरेप्रौअके	1
कोपके	3
करेपके	2
वविके	1

डॉ. एस. पी. शर्मा, निदेशक, केरेअवप्रसं, पाम्पोर (जम्मू व कश्मीर)

क्षेरेअके	3
अविके	12
उपइकाई	9
बुबीफा	1
रेप्रवि	1
सविके	1

श्री बी. चौधरी, वैज्ञानिक-घ, केमूएअवप्रसं, लाहदोईगढ़ (असम)

क्षेमूअके	1
क्षेएअके	2
अविके	2
मू-अविके	3
उप-इकाई	1
एरीअविके	2
क्षेत्रप्र	1

डॉ. बी. के. सिंह, वैज्ञानिक-घ, मूरेबीसं, गुवाहाटी (असम)

बुबीफा	8
मूरेबीउके	1
एरेबीउके	5

डॉ. आर. के. मिश्रा, निदेशक, बुतरेबीसं, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

केतरेबीके	1
बुबीप्रवप्रके	21
क्षेत्र इकाई	1

बुबीप्रवप्रके	बुनियादी बीज प्रगुणन व प्रशिक्षण केन्द्र
बुतरेबीसं	बुनियादी तसर रेशमकीट बीज संगठन
केरेजसंके	केन्द्रीय रेशम उत्पादन जननद्रव्य संसाधन केन्द्र
केमूएअवप्रसं	केन्द्रीय मूगा एरी अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान
प्रके	प्रमाणन केन्द्र
सविके	समूह विकास केन्द्र
ससंके	समूह संवर्धन केन्द्र
शीसं	शीतागार संयंत्र
केरेअवप्रसं	केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान
केरेप्रौअसं	केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान
कोपके	कोसा परीक्षण केन्द्र
केतअवप्रसं	केन्द्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान
प्रसतसेके	प्रदर्शन-सह-तकनीकी सेवा केन्द्र
रेसेके	रेशमउत्पादन सेवा केन्द्र
मूकमाबैं	मूगा कच्चा माल बैंक
मूरेबीसं	मूगा रेशमकीट बीज संगठन
रारेबीसं	राष्ट्रीय रेशमकीट बीज संगठन

अविके	अनुसंधान विस्तार केन्द्र
क्षेएअके	क्षेत्रीय एरी अनुसंधान केन्द्र
कमाबैं	कच्चा माल बैंक
क्षेमूअके	क्षेत्रीय मूगा अनुसंधान केन्द्र
क्षेका	क्षेत्रीय कार्यालय
क्षेरेउअके	क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र
करेपके	कच्चा रेशम परीक्षण केन्द्र
क्षेतअके	क्षेत्रीय तसर अनुसंधान केन्द्र
रेजैअप्र	रेशमजैव अनुसंधान प्रयोगशाला
बीकोक्रके	बीज कोसा क्रय केन्द्र
रेअवपगृ	रेशम अनुकूलन व परीक्षण गृह
रेबीउके	रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्र
रेबीप्रौप्र	रेशमकीट बीज प्रौद्योगिक प्रयोगशाला
क्षेरेबीसं	क्षेत्रीय रेशमकीट बीज संगठन
वपप्र	वस्त्र परीक्षण प्रयोगशाला
रेसेके	रेशमउत्पादन सेवा केन्द्र
भारेमासं	भारतीय रेशम मार्क संगठन
भारेमासं.	बुनियादी बीज फार्म
मूबीफा	मूल बीज फार्म

अनुबंध-I(ख)

केन्द्रीय रेशम बोर्ड की 31.03.2016 को यथाविद्यमान संस्थानवार इकाइयां

केरेअवप्रसं, मैसूरु (58)

- क्षेरेअके, बेंगलूरु
- क्षेरेअके, चामराजनगर
- क्षेरेअके, सेलम
- क्षेरेअके, अनंतपुर
- उरेप्रके, कोनूर
- अविके, मडिवाला
- अविके, बिदरगुप्पे
- अविके, चित्रदुर्गा
- अविके, रायचोटी
- अविके, विकाराबाद
- अविके, कृष्णगिरि
- अविके, समयनल्लूर
- अविके, परभणी
- अविके, बारामती
- अविके, मडकसिरा
- अविके, वेंकटगिरिकोटा
- अविके, उदुमलपेट
- अविके, एलूरु
- अविके, जी.पालमय
- अविके, अमरावती
- अविके, होसंगाबाद
- अविके, पालक्काड
- अविके, कल्याणीदुर्गा
- सविके, अगली
- उप-इकाई, औरंगाबाद
- उप-इकाई, कनकपुरा
- उप-इकाई, बीदर
- उप-इकाई, कोप्पाल
- उप-इकाई, चिन्नकन्नहल्ली
- उप-इकाई, पेनुकोण्डा
- उप-इकाई, शिमोगा
- उप-इकाई, मद्दूर
- उप-इकाई, श्रीविल्लीपुत्तूर
- उप-इकाई, वाणिमाडी
- उप-इकाई, कल्पट्टा (वायनाड)
- उप-इकाई, उसमानाबाद
- उप-इकाई, जालना
- उप-इकाई, बुरहनपुर
- उप-इकाई, गिद्दलुरे
- उप-इकाई, सूर्यपेट
- उप-इकाई, चेब्रोलू
- उप-इकाई, आत्माकूर
- उप-इकाई, मेटपल्ली
- उप-इकाई, तुमकुर
- उप-इकाई, रानेबेन्नूर
- उप-इकाई, बेरिगाई
- उप-इकाई, शाहापुर
- उप-इकाई, शिराहाट्टी
- उप-इकाई, बिजापुर
- उप-इकाई, जामखंदी
- उप-इकाई, अविनाशी
- उप-इकाई, तिरुची
- ससंके, हिन्दूपुर
- सविके, पालमनेर
- सविके, होसकेटे
- पी4 हासन
- उपइकाई, कुडलागि

क्षेरेअके	= 4
उरेप्रके, कुनूर	= 1
अविके	= 18
सविके	= 3
उपइकाई	= 29
फार्म	= 1
ससंके	= 1
कुल	= 57

केरेअवप्रसं, पाम्पोर (28)

- क्षेरेअके, जम्मू
- क्षेरेअके, सहसपुर (उत्तराखण्ड)
- क्षेरेअके, घुमरवीं
- अविके, नदौन (हि प्र)
- अविके, सुजानपुर (पंजाब)
- अविके, बरनौती (ज व क)
- अविके, गोण्डा (उ प्र)
- अविके, फतेहनगर
- अविके, नौसेरा (ज व क)
- अविके, गोरखपुर (उ प्र)
- अविके, छुटमलपुर (उ प्र)
- अविके, बागेश्वर (उत्तराखण्ड)
- अविके, उना (हि प्र)
- अविके, ऊधमसिंह नगर
- अविके, धुमारवी
- उप-इकाई, तिक्री (ज व क)
- उप-इकाई, त्राल (ज व क)
- उप-इकाई, बन्दीपोरा (ज व क)
- उप-इकाई, पंचकुला (हरियाणा)
- उप-इकाई, भद्रासी (उ प्र)
- उप-इकाई, कोटद्वार
- उप-इकाई, हरिद्वार
- उप-इकाई, पीलीभीत
- उप-इकाई, बहराइच
- रेप्रवि, फतेहनगर
- पी4, मानसबल (द्वि)
- अविके, कालसी

क्षेरेअके	= 3
अविके	= 12
अविके	= 1
उप-इकाई	= 9
रेप्रवि	= 1
फार्म	= 1
कुल	= 27

केरेअवप्रसं, बहरमपुर (23)

- क्षेरेअके, कोरापुट (ओडिशा)
- क्षेरेअके, कालिम्पोंग (प बं)
- क्षेरेअके, राँची (झारखण्ड)
- अविके, मंगलदोई (असम)
- अविके, ईकीकोटे
- अविके, रंगपो (सिक्किम)
- अविके, कामनगर (प बं)
- अविके, महेशपुरराज (झारखण्ड)
- अविके, गुमला (झारखण्ड)
- अविके, बड़ेमरंगा (छत्तीसगढ़)
- अविके, बाघमारा (प बं)
- उप-इकाई, राजमहल (झारखण्ड)
- उप-इकाई, भंडरा (झारखण्ड)
- उप-इकाई, रामपुरहट
- उप-इकाई, देवगढ (ओडिशा)
- पी4, कालिम्पोंग (प बं)
- क्षेरेअके, जोरहाट (असम)
- अविके, अगरतला (त्रिपुरा)
- अविके, शिलांग (मेघालय)
- अविके, दीमापुर (नागालैण्ड)
- अविके, आइज़ोल (मिज़ोरम)
- अविके, इम्फाल (मणिपुर)

क्षेरेअके	= 4
अविके	= 13
फार्म	= 1
उप-इकाई	= 4
कुल	= 22

केतअवप्रसं, रांची (26)

- क्षेतअके, जगदलपुर (छत्तीसगढ़)
- क्षेतअके, दुमका (झारखण्ड)
- क्षेतअके, बारिपदा (ओडिशा)
- क्षेतअके, वारंगल (आं प्र)
- क्षेतअके, भण्डारा (महाराष्ट्र)
- क्षेतअके, भीमताल (उत्तराखण्ड)
- क्षेतअके, बटोट (ज व क)
- क्षेतअके, इम्फाल (मणिपुर)
- अविके, नासिक (महाराष्ट्र)
- अविके, पालमपुर (हि प्र)
- अविके, हटगमरिया (झारखण्ड)
- अविके, कटघोरा (छत्तीसगढ़)
- अविके, बांगरीपोसी (ओडिशा)
- अविके, राबर्ट्सगंज (उ प्र)
- अविके, भद्राचल (आं प्र)
- अविके, कपिस्ता (प बं)
- अविके, गोपेश्वर (उत्तराखण्ड)
- अविके, उमरागश् (असम)
- अविके, किकूमा (नागालैण्ड)
- अविके, ऐकोंगपओ (मणिपुर)
- अविके, पुरुलिया (प बं)
- अविके, झांसी (उ प्र)
- ससंके, पाल्लाहारा (ओडिशा)
- पी4 केन्द्र, कटघोरा (छत्तीसगढ़)
- पी4 केन्द्र, चक्रधरपुर (झारखण्ड)
- पी4 केन्द्र, सरियाहट (झारखण्ड)

क्षेरेअके	= 8
पी4 केन्द्र	= 3
अविके	= 14
कुल	= 25

बुतरेबीसं, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) (24)

- केतरेबीके, करगी कोटा (छत्तीसगढ़)
- बुबीप्रवप्रके, चिन्नूर (आं प्र)
- बुबीप्रवप्रके, नरसापुर (आं प्र)
- बुबीप्रवप्रके, रामपचूड़वरम् (आं प्र)
- बुबीप्रवप्रके, खरसवाँ (झारखण्ड)
- बुबीप्रवप्रके, काठीकुंड (झारखण्ड)
- बुबीप्रवप्रके, मधुपुर (झारखण्ड)
- बुबीप्रवप्रके, देवघर (झारखण्ड)
- बुबीप्रवप्रके, अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़)
- बुबीप्रवप्रके, पाली (छत्तीसगढ़)
- बुबीप्रवप्रके, बस्तर (छत्तीसगढ़)
- बुबीप्रवप्रके, बालाघाट (म प्र)
- बुबीप्रवप्रके, बोइरदादर (छत्तीसगढ़)
- बुबीप्रवप्रके, भण्डारा (महाराष्ट्र)
- बुबीप्रवप्रके, नवरंगपुर (ओडिशा)
- बुबीप्रवप्रके, सुन्दरगढ़ (ओडिशा)
- बुबीप्रवप्रके, पटेलनगर (पं बं)
- बुबीप्रवप्रके, दुद्धी (उ प्र)
- बुबीप्रवप्रके, भागलपुर (बिहार)
- बुबीप्रवप्रके, बिलासपुर (छत्तीगढ़)
- बुबीप्रवप्रके, बारिपदा (ओडिशा)
- बुबीप्रवप्रके, केन्दुझार (ओडिशा)
- क्षेत्र इकाई, पल्लाहारा (ओडिशा)

बुबीप्रवप्रके	= 21
क्षेत्र इकाई	= 1
केतरेबीके	= 1
कुल	= 23

रारेबीसं, बेंगलूरु (85)

कर्नाटक

- बीकोक्रके, कुणिगल
- बीकोक्रके, कैआरपेट
- पी3, मैसूरु
- पी3, नागमंगला
- पी2, धर्मपुरा (द्वि)
- पी2, गविमट (द्वि)
- पी2, नागनहल्ली (बहु)
- रेबीउके, बेंगलूरु
- रेबीउके, मैसूरु
- रेबीउके, रामनगरम्
- रेबीउके, विजयपुरा
- रेबीउके, चिन्तामणि
- रेबीउके, के.आर. नगर
- रेबीउके, मलवल्ली
- बीजागार/पी1, चिकमलवाडी
- रेसेके, के.आर.पेट
- रेसेके, चन्नरायपट्टण
- रेसेके, चामराजनगर
- रेसेके, के.पी.दोड्डी
- रेसेके, सी.बी.पुर
- रेसेके, गौरीबिदनूर
- रेसेके, श्रीनिवासपुरा
- रेसेके, के.एम.दोड्डी
- रेसेके, बेलगाम
- रेसेके, मूदलगी
- रेसेके, हावेरी
- रेसेके, अलिवेले
- रेबीप्रौप्र, कोडती
- मूबीफा, येडियूर
- शी सं, मैसूरु

तमिलनाडु

- बीकोक्रके, ईकपिकोट्टाई
- पी2, कृष्णगिरि (बहु)
- पी2, यलगिरि हिल्स (द्वि)
- रेबीउके, धर्मपुरी
- रेबीउके, होसूर
- रेबीउके, तिरुपत्तूर
- रेसेके, बागलूर
- रेसेके, नत्रमपल्ली
- रेसेके, कोयम्बटूर
- रेसेई, गोपिचेट्टपालयम
- शी सं, होसूरु

आन्ध्र प्रदेश

- पी2, होरसली हिल्स
- पी2, मडकसिरा (द्वि)
- पी2, परिगी (बहु)
- रेबीउके, हिन्दुपुर
- रेबीउके, मदनपल्ली
- रेबीउके, चित्तूर
- रेसेके, पेनुकोण्डा
- रेसेके, कुप्पम्
- रेसेके, विजयवाड़ा
- रेसेके, पालमनेर
- रेसेके, मोलकलचेरुवु
- रेसेके, मडकसिरा

केरल

- रेबीउके, पालक्काड
- रेसेके, उदुमलपेट
- पी2 पालक्काड

आरेबीसं, मालदा, पश्चिम बंगाल

- पी3, ए.फलकट्टा (बहु.)
- पी2, कर्नसुबर्णा (द्वि)
- पी2, बंगुरीया (बहु.)
- पी2, धुबुलिया (बहु.)
- रेबीउके, बरहमपुर
- रेबीउके, दक्षिण भवानीपुर
- रेबीउके, कोलिता
- रेबीउके, रायगंज
- रेसेके, हेमताबाद
- रेसेके, भद्रापुर
- रेसेके, गड़धरपुर
- रेसेके, अलिनगर
- रेसेके, अमृति
- रेसेके, सुजापुर
- रेसेके, मोथाबारी
- रेसेके, पंचग्राम
- रेसेके, कलियाचक
- रेसेके, कलियाताला
- रेसेके, कलियागंज

बिहार

- पी2, पुर्णिया

ओडिशा

- सविके, रायगिरि

आरेबीसं, देहरादून, उत्तराखण्ड

- पी3 माजरा
- पी2 शीशमबाड़ा
- रेबीउके, देहरादून
- शी सं, देहरादून

जम्मू व कश्मीर

- रेबीउके, ऊधमपुर

रेबीप्रौप	= 1
आरेबीसं	= 2
मूबीफा	= 19
रेबीउके	= 22
रेसेके	= 33
बीकोक्रके	= 3
रेसेइ	= 1
बीजागार	= 1
शी सं	= 1
कुल	= 84

क्षेका (10)

- क्षेका, नई दिल्ली
- क्षेका, जम्मू
- क्षेका, मुम्बई
- क्षेका, कोलकता
- क्षेका, पटना
- क्षेका, पटना
- मूएबीविप, किशनगंज
- सविके, सहरसा
- क्षेका, हैदराबाद
- क्षेका, चेन्नै
- भारेमासं, कोयम्बटूर
- क्षेका, भुवनेश्वर
- क्षेका, गुवाहाटी
- क्षेका लखनऊ

प्रमाणन केन्द्र (3)

- प्रके, वाराणसी
- प्रके, बेंगलूरु
- प्रके, श्रीनगर

केरप्रौअसं, बेंगलूरु (25)

- व प प्र, वाराणसी
- रेअवपग्, बेंगलूरु
- रेअवपग्, धर्मावरम्
- रेअवपग्, कॉचीपुरम्
- रेअवपग्/पारि-प्रयोगशाला, जम्मू
- रेअवप्रग्, श्रीनगर
- रेअवप्रग्, मालदा
- आंचलिक कार्यालय, बिलासपुर
- कोपके, कोयंबटूर
- कोपके, रामनगरम्
- कोपके, धर्मापुरी
- क्षेरेप्रौअके, गुवाहाटी
- क्षेरेप्रके, सिद्दलगट्टा
- क्षेरेप्रके, कोलेगाल
- प्रवतसेके, रायपुरा (कर्ना.)
- प्रवतसेके, हिन्दुपुर (आं प्र)
- प्रवतसेके, धर्मपुरी (तमिलनाडु)
- प्रवतसेके, भण्डारा (महाराष्ट्र)
- प्रवतसेके, कटक (ओडिशा)
- प्रवतसेके, देहरादून (उत्तराखण्ड)
- प्रवतसेके, जम्मू (ज व क)
- प्रवतसेके, भागलपुर (बिहार)
- प्रवतसेके, सुउडी (प बं)
- वविके, अर्नी (तमिलनाडु)

क्षेरेप्रौअके, गुवाहाटी	= 1
वविके, अर्नी	= 1
वप्रप	= 1
रेअवपग्	= 6
प्रवतसेके	= 9
आँ का, बिलासपुर	= 1
करेपके	= 2
कोपके	= 3
कुल	= 24

- कें का. बेंगलूरु
- भारेमासं, पालक्काड
- अविके-उप-इकाई, लखनऊ
- कमाबैं, चाईबासा (झारखण्ड)
- कमाबैं, उडि भागलपुर (बिहार)
- कमाबैं, उडि रायगढ़ (छत्तीसगढ़)
- कमाबैं, उडि वारंगल
- कमाबैं, उडि भंडारा
- मूकमाबैं, शिवसागर
- मूकमाबैंक, उडि, सुआलकूची
- केरेजसंके, होसूरु
- रेजैप्रौअप्र, बेंगलूरु

मूरबीसं, गुवाहाटी (15)

- पी4, बोगापाड़ (मेघा.)
- पी4, तुरा (मेघा.)
- पी3, रोंगपारा (मेघा.)
- पी3, अडोकगिरि (मेघा.)
- पी3, हाफ्लिम (असम)
- पी3, मैंदीपाथर (मेघा)
- पी3, नारायणपुर (असम)
- मूगा-रेबीउके, कालियाबाड़ी
- मूगा-अविके, बलिजान
- एरी रेबीउके, अज़ारा
- एरी रेबीउके, पेद्दापुर
- एरी रेबीउके, फतेहपुर
- एरी रेबीउके, होसूरु
- एरी रेबीउके, सुजानपुर

फार्म	= 7
मूरेबीउके	= 1
ए-रेबीउके	= 5
मूअविके	= 1
कुल	= 14

केमूएअवप्रस, लहदोईगढ (12)

- क्षेएअके, मैंथीपाथर (मेघा.)
- क्षेएअके, शादनगर
- अविके, लखीमपुर (असम)
- अविके, नवसारी
- एरीअविके, दीफू (असम)
- एरीअविके, फतेहपुर (उ प्र)
- क्षेत्र प्रयोगशाला, तिलाबार
- क्षेमूअके, बोको (असम)
- अविके, कूचबिहार (प बं)
- अविके, तुरा (मेघालय)
- उ-इकाई, कोकराझार

क्षेमूअके	= 1
क्षेएअके	= 2
मूअविके	= 2
अविके	= 2
एअविके	= 2
उ-इकाई	= 1
क्षेत्र प्रयो.	= 1
कुल	= 11

सार

सार	
केरेबो मुख्यालय	1
केरेअवप्रसं	3
केतअवप्रसं	1
केरप्रौअसं	1
रारेबीसं	1
मूरेबीसं	1
केमूएअवप्रसं	1
क्षेएअके	2
केरेजसंके	1
रेजैप्रौअप्र	1
रेबीप्रौप्र	1
क्षेका/प्रके	13
भारेमासं	2
मूएबीविप, किशनगंज	1
वपप्र, वाराणसी	1
क्षेरप्रौअके, गुवाहाटी	1
क्षेरअके (शह)	11
उरेप्रके, कुनूर	1
क्षेमूअके (मूगा)	1
क्षेतअके (तसर)	8
अविके (शहतूत)	44
अविके (तसर)	14
अविके (मूगा)	1
अविके (एरी)	2
उप-इकाई (शह.)	44
उप-इकाई (मूगा)	2
कमाबैं (तसर)	1
कमाबैं उडि (तसर)	4
मूकबैं(मूगा)	1
मूकमाबैं उ डि	1
रेअवप्रसं	6
आं.का.बिलासपुर	1
प्रसतसेके	9
कोपके/वविके	4
करेपके	2
बुतरेबीसं,बिलासपुर	1
केतरेबीके करगी कोट	1
बुबीप्रवप्रके,(तसर)	21
क्षेत्र इकाई,पल्लहारा	1
आरेबीसं (शह.)	2
रेकोप्राफ(शह.)	3
बुबीफा (शह.)	23
बुबीफा(मूरेविप)	7
रेबीउके (शह.)	21
रेबीउके (मूगा)	1
रेसेके (शह.)	33
रेप्रवि/रेसेइ/शीस	5
एरीरेबीउके	5
सविके/चाकीके/ससंके	7
पी4 केन्द्र	3
क्षेत्र प्रयो.तीलाबार	1
योग	324

बुतरेबीसं - बुनियादी बीज रेशमकीट बीज संगठन
प्रके - प्रमाणन केन्द्र
केरेअवप्रसं - केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान संस्थान
केरप्रौअसं - केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान
केतअवप्रसं - केन्द्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान
केरेजसंके - केन्द्रीय रेशम जननद्रव्य संसाधन केन्द्र
केतरेबीके - केन्द्रीय तसर रेशमकीट बीज केन्द्र
प्रवतसेके - प्रदर्शन सह तकनीकी सेवा केन्द्र
वपप्र - वस्त्र परीक्षण प्रयोगशाला

रेसेके - रेशम उत्पादन सेवा केन्द्र
मूकमाबैं - मूगा कच्चा माल बैंक
रारेबीसं - राष्ट्रीय रेशमकीट बीज संगठन
पी4, पी3, पी2 - बुनियादी बीज फार्म
अविके - अनुसंधान विकास केन्द्र
कमाबैं - कच्चा माल बैंक
कमाबैं-उडि - कच्च माल बैंक (उप डिपो)
आंरेबीसं - आंचलिक रेशमकीट बीज संगठन

क्षेमूअके - क्षेत्रीय मूगा अनुसंधान केन्द्र
क्षेका - क्षेत्रीय कार्यालय
क्षेएअके - क्षेत्रीय एरी अनुसंधान केन्द्र
क्षेतअके - क्षेत्रीय तसर अनुसंधान केन्द्र
रेअवपग् - रेशम अनुकूलन व परीक्षण गृह
बीकोक्रके - बीज कोसा क्रय केन्द्र
उप-इकाई - अनुसंधान विस्तार केन्द्र के संबद्ध उप-इकाई
रेबीउके - रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्र
कोपके - कोसा परीक्षण केन्द्र

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

बेंगलूरु-560068

अनुबंध-II

बोर्ड के सदस्यों का दिनांक 31.03.2016 को यथाविद्यमान गठन

क्र.सं.	सदस्य का नाम व पता
I	**धारा 4(3)(क) के अधीन**
1	अध्यक्ष, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूरु - रिक्त
II	**धारा 4(3)(ख) के अधीन**
2	श्रीमती सुनयना तोमर, भा प्र से, संयुक्त सचिव (रेशम) एवं उपाध्यक्ष, केरेबो, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, "उद्योग भवन", नई दिल्ली-110 011 (26.02.2016 से 25.02.2019)
3	श्रीमती नीलम एस. कुमार, मुख्य लेखा नियंत्रक, वस्त्र मंत्रालय, "उद्योग भवन", नई दिल्ली-110 011 (10.07.2015 से 09.07.2018)
4	डॉ. एच. नागेश प्रभु, भा व से, सदस्य-सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, केरेबो कॉम्प्लेक्स, बीटीएम लेआउट, मडिवाला, बेंगलूरु-560 068 (20.07.2015 से 31.12.2017)
III	**धारा 4(3)(ग) के अधीन**
5	श्री पी. सी. मोहन,सांसद (लोक सभा), 1928, 30वाँ क्रास, 12वाँ मेन, बनशंकरी द्वितीय स्टेज, मोनोटाइप, जी. के. कल्याण मंटपम, बेंगलूरु-560 050 सं. 160, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली-110 011 (18.07.2014 से 17.07.2017)
6	श्री अश्विनी कुमार चौबे, सांसद (लोकसभा), नई दिल्ली टी. एन. सिंह लेन, मणिक सरकार, अदमपुर, भागलपुर, बिहार (18.07.2014 से 17.07.2017)
7	श्री निम्मला कृष्तप्पा, सांसद (लोकसभा), 12-ए, फ़िरोज़शाह रोड, नई दिल्ली गोरेंट्ला-515 231 जिला : अनंतपुर, आंध्र प्रदेश (18.07.2014 से 17.07.2017)
8	श्रीमती पी. के. श्रीमती टीचर, सांसद (लोकसभा), कन्नूर अषिक्कोडन स्मारक मन्दिरम्, कन्नूर-670 302, केरल एडत्तिल हाउस, अथियादम, पायांगडी (डाक), कन्नूर-670 303, केरल (18.07.2014 से 17.07.2017)
9	श्री बसवराज पाटिल, सांसद (राज्य सभा), सं.सी-703, स्वर्ण जयंती सदन, डॉ. बी. डी. मार्ग, नई दिल्ली- 110 011 सं. 3/1/28, विद्यानगर कालोनी, सेडम, जिला-गुलबर्गा-585 222 कर्नाटक (08.05.2015 से 02.04.2018)
10	श्री नीरज शेखर, सांसद (राज्य सभा), सं. 3, गुरुद्वारा राकबगंज रोड, नई दिल्ली ग्राम व डाक- इब्राहिम पट्टी, जिला-बालिया, उत्तर प्रदेश- 221 716 (08.05.2015 से 07.05.2018)
IV	**धारा 4(3)(घ)**
11	श्री राजीव चावला, भा प्र से, प्रधान सचिव, कर्नाटक सरकार, बागवानी विभाग, कमरा सं. 404, चौथा तल, तीसरा फाटक, एम. एस. बिल्डिंग, बेंगलूरु-560 001, कर्नाटक (09.10.2014 से 08.10.2017)
12	श्री जी. सतीश, भा व से, रेशम उत्पादन विकास आयुक्त एवं निदेशक रेशम उत्पादन, कर्नाटक सरकार, डॉ. अम्बेदकर वीधी, एम. एस. बिल्डिंग, बेंगलूरु-560 001, कर्नाटक (09.10.2014 से 08.10.2017)
13	श्री मोहमद दस्तगिर, पुत्र-श्री अब्दुल रहीम, सं. 3738, महबूबनगर, रामनगरम्-562 159, कर्नाटक (20.08.2014 से 19.08.2017)

क्र.सं.	सदस्य का नाम व पता
14	श्री के. मुद्दे गौड़ा (रमेश), पुत्र-श्री केम्पे गौड़ा, केंपय्याना हुंडी, टी. नरसीपुरा तालुक, जिला-मैसूरु (20.08.2014 से 19.08.2017)
15	श्री पी. सोमण्णा, पुत्र-स्वर्गीय पुट्टस्वामी, सुत्तूर ग्राम, बिलिगेरे होब्ली, नंजनगुड तालुक, जिला-मैसूरु, कर्नाटक (20.08.2014 से 19.08.2017)
V	**धारा 4(3)(ङ) के अधीन**
16	श्री हरमिन्दर सिंह, भा प्र से, सरकार के प्रधान सचिव, हथकरघा, हस्तशिल्प, वस्त्र व खादी विभाग (जी2), तमिलनाडु सरकार, सचिवालय, फोर्ट संत जोर्ज, चेन्नई - 600 009, तमिलनाडु (20.08.2014 से 19.08.2017)
VI	**धारा 4(3)(च) के अधीन**
17	श्रीमती सोमा भट्टाचार्य, भा प्र से, वस्त्र आयुक्त, पश्चिम बंगाल सरकार, नया सचिवालय भवन, छटवाँ तल, ब्लॉक-ए, किरण सरकार राय रोड, कोलकता-7001 001, पश्चिम बंगाल (03.11.2014 से 02.11.2017)
18	श्री. हुमायूँ कबीर, ग्राम-नारकेल बाड़ी, डाकघर-सोमपारा, थाना-शक्तिपुर, जिला-मुर्शिदाबाद-742163 पश्चिम बंगाल (01.08.2013 से 31.07.2016)
VII	**धारा 4(3)(छ) के अधीन**
19	श्री. चिरंजीव चौधरी, भा व से, रेशम उत्पादन आयुक्त, आंध्र प्रदेश सरकार, रेशम उत्पादन विभाग, रोड सं. 72, प्रशासन नगर, पानी टंकी के पास, जुब्ली हिल्स, हैदराबाद-500 096 (22.12.2014 से 21.12.2017)

क्र.सं.	सदस्य का नाम व पता
20	श्री बरनाबस मिल्टन क्वेह, अ आ से, निदेशक रेशम उत्पादन, असम सरकार, रेशम उत्पादन निदेशालय, (रिसर्च गेट के पास), गुवाहाटी-781 022 (असम) (20.08.2014 से 19.08.2017)
21	श्री दिनेश कुमार, भा प्र से, निदेशक, हथकरघा व रेशम उत्पादन विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, पटना-800 015, बिहार (03.11.2014 से 02.11.2017)
22	श्री सुनील कुजूर, भा प्र से, प्रधान सचिव, ग्रामीण उद्योग विभाग, रेशम उत्पादन अनुभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, सोनाखान भवन, रिंग रोड, रायपुर-492 006, छत्तीसगढ़ (24.06.2013 से 23.06.2016)
23	श्रीमती वत्सला वासुदेव, भा प्र से, सचिव व आयुक्त, कुटीर व ग्रामीण उद्योग, गुजरात सरकार, ब्लॉक सं.7, उद्योग भवन, गाँधीनगर-382 011, गुजरात (03.11.2014 से 02.11.2017)
24	श्री अजय कुमार सिंह, भा प्र से, निदेशक, हथकरघा, रेशम उत्पादन एवं हस्तशिल्प, उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार, नेपाल हाउस, डोरंडा, राँची- 834 002, झारखण्ड (07.05.2013 से 06.05.2016)
25	श्री सत्यानंद, भा व से, आयुक्त/निदेशक रेशम उत्पादन, मध्य प्रदेश सरकार, लोअर बेसमेंट, सतपुड़ा भवन, भोपाल-462 004, मध्य प्रदेश (09.10.2014 से 08.10.2017)
26	श्री विमल चंद्र श्रीवास्तव, पं आ से, निदेशक रेशम उत्पादन व बुनाई, रेशम उत्पादन निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार, एल डी ए कामर्शियल कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, विश्वासखण्ड-3, गोतमी नगर, लखनऊ (14.10.2015 से 13.10.2018)

क्र.सं.	सदस्य का नाम व पता
27	डॉ सुधीर मोहन शर्मा, निदेशक, रेशम उत्पादन निदेशालय, उत्तराखण्ड सरकार, प्रेमनगर, देहरादून-248 007, उत्तराखण्ड (07.05.2013 से 06.05.2016)
VIII	**धारा 4(3)(ज) के अधीन**
28	श्री एम. ए. बुकारी, भा प्र से, आयुक्त/सचिव, जम्मू व कश्मीर सरकार, कृषि उत्पादन विभाग, कमरा सं. 205/206, द्वितीय तल, सिविल सचिवालय, श्रीनगर-190 001, जम्मू व कश्मीर (22.12.2014 से 21.12.2017)
IX	**धारा 4(3)(झ)**
29	श्री एन.पी. याग्लेवाड, निदेशक (रेशम उत्पादन), महाराष्ट्र सरकार, नया प्रशासनिक भवन सं. 2, छटवाँ तल, बी विंग, सिविल लाइन, कमिश्नरी परिसर, नागपुर-440 001, महाराष्ट्र (07.05.2013 से 06.05.2016)
30	श्री चन्दन बसेरा, निदेशक, रेशम उत्पादन निदेशालय, नागालैण्ड सरकार, नया सचिवालय कॉम्लेक्स के नीचे, कोहिमा-797 001, नागालैण्ड (07.05.2013 से 06.05.2016)
31	श्रीमती चित्रा अरुमुगम, भा प्र से, आयुक्त-सह-सचिव, हथकरघा, वस्त्र एवं हस्तशिल्प विभाग, ओडिशा सरकार, सत्य नगर, भुवनेश्वर (20.08.2014 से 19.08.2017)
X	**धारा 4(3)(ञ) के अधीन**
32	श्री आर. के. राम कृष्णप्पा, मेलुर डाकघर, सिद्दलगट्टा तालुक, चिक्कबल्लापुर-562 102 कर्नाटक (05.09.2013 से 04.09.2016)
33	श्री एम. पी. लक्ष्मीकांत, सं. 1554, 16 वाँ मेन, एम. सी. लेआउट, विजयनगर, बेंगलूर-560 040, कर्नाटक (05.09.2013 से 04.09.2016)
34	श्री अब्दुल गनी वकील, सं. 41, सरकारी फ्लैट, शिवजी मंदिर के पास, गांधी नगर, जम्मू (26.09.2013 से 25.09.2016)

क्र.सं.	सदस्य का नाम व पता
35	श्री आज़ाद कुमार चलासानी, मेसर्स एसवीईसी कण्स्ट्रक्शन लिमिटेड, सं. 1014, राघव रत्न टावर, चिराग अली लेन, एबिड्स, हैदराबाद-500 001, तेलंगाना (12.09.2013 से 11.09.2016)
36	श्री एन. रमेश, एलुहल्लि, चिक्कबल्लापुर तालुक, चिक्कबल्लापुर जिला, कर्नाटक (12.09.2013 से 11.09.2016)
37	श्री बी. सी. उमेश बाबू, आवास सं. 342, "मेथला", वार्ड सं.3, शिव मंदिर के पास, दोम्मसान्द्र, सरजापुरा होब्ली, आनेकल तालूक, बेंगलूर-562 125, कर्नाटक (18.09.2013 से 17.09.2016)
38	श्री आर. एच. जयराम रेड्डी, ग्राम-क्षीरसागरम्, डाक-कोंगतम, वी. कोटा मण्डल, जिला-चित्तूर-517 424 आंध्र प्रदेश (27.09.2013 से 26.09.2016)
39	श्री पिट्चिकला लक्ष्मी नारायण, बदराला ग्राम, वेमुलापल्ली डाकघर, लिंगापलेम मण्डल, जिला-पश्चिम गोदावरी, आंध्र प्रदेश-534 452 (17.10.2013 से 16.10.2016)
XI	**स्थायी आमंत्रित**
1	डॉ. कविता गुप्ता, भा प्र से, वस्त्र आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, न्यू सी जी ओ भवन, # 48, न्यू मरीन लाइन, पी. बी. सं. 11500, मुम्बई-400 020 महाराष्ट्र
2	श्री टी. वी. मारुती, अध्यक्ष, भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद्, बी-1 विस्तार, ए-39,मोहन सहकारी औद्योगिक आस्थान, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110 044
3	श्री पी. जयपाल राव, बी एससी. पीजीडीएस, रेशम उत्पादन आयुक्त (प्रभारी), तेलंगाना सरकार, रोड सं. 72, प्रशासन नगर, फिल्म नगर, हैदराबाद-500 096, तेलंगाना

अनुबंध-III

परियोजना का नाम : राकृवियो, मनरेगा, आदिवासी विकास निधि, आदि की अभिसरण सहायता से साथ रेशम उत्पादन कार्यक्रम का कार्यान्वयन

(रु. लाख में)

#	राज्य	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना					मनरेगा					अन्य(**)					योग				
		तैयार परियोजना		मंजूर परियोजना		निर्मोचित निधि	तैयार परियोजना		मंजूर परियोजना		निर्मोचित निधि	तैयार परियोजना		मंजूर परियोजना		निर्मोचित निधि	तैयार परियोजना		मंजूर परियोजना		निर्मोचित निधि
		स.	राशि	स.	राशि		स.	राशि	स.	राशि		स.	राशि	स.	राशि		स.	राशि	स.	राशि	
I	दक्षिणी अंचल																				
1	कर्नाटक	8	2500.00	7	1305.00	1305.00	1	24773.55	1	12614.00	1184.33	15	21573.66	15	21573.66	21102.27	24	48847.21	23	35492.66	23591.60
2	आंध्र प्रदेश	10	1375.02	10	1318.00	475.00	1	10789.47	1	2893.41	320.57	0	0.00	0	0.00	0.00	11	12164.49	11	4211.41	795.57
3	तेलंगाना	6	300.00	5	214.70	107.00	8	5407.00	1	1509.90	74.86	0	0.00	0	0.00	0.00	14	5707.00	6	1724.60	181.86
4	तमिलनाडु	23	2406.70	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	23	1974.64	17	1525.36	664.30	46	4381.34	17	1525.36	664.30
5	केरल	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
6	महाराष्ट्र	2	877.80	2	877.80	270.16	1	641.31	1	641.31	214.98	1	721.96	1	618.70	498.09	4	2241.07	4	2137.81	983.23
	दक्षिणी अंचल का योग	**49**	**7459.52**	**24**	**3715.50**	**2157.16**	**11**	**41611.33**	**4**	**17658.62**	**1794.74**	**39**	**24270.26**	**33**	**23717.72**	**22264.66**	**99**	**73341.11**	**61**	**45091.84**	**26216.56**
II	उत्तर पश्चिमी अंचल																				
1	जम्मू व कश्मीर	4	120.00	4	120.00	120.00	1	389.75	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	5	509.75	4	120.00	120.00
2	हिमाचल प्रदेश	1	48.29	1	48.29	48.29	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	1	48.29	1	48.29	48.29
3	उत्तराखण्ड	1	804.37	1	804.37	290.00	5	72.40	1	12.15	2.76	0	0.00	0	0.00	0.00	6	876.77	2	816.52	292.76
4	हरियाणा	1	40.68	1	40.68	40.68	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	1	40.68	1	40.68	40.68
5	पंजाब	1	18.92	1	18.92	18.92	0	0.00	0	0.00	0.00	1	30.47	1	30.47	30.47	2	49.39	2	49.39	49.39
	उत्तर पश्चिमी का योग	**8**	**1032.26**	**8**	**1032.26**	**517.89**	**6**	**462.15**	**1**	**12.15**	**2.76**	**1**	**30.47**	**1**	**30.47**	**30.47**	**15**	**1524.88**	**10**	**1074.88**	**551.12**
III	मध्य पश्चिमी																				
1	उत्तर प्रदेश	1	1150.00	1	557.60	0.00	48	1048.48	19	390.96	390.96	1	75.00	1	75.00	0.00	50	2273.48	21	1023.56	390.96
2	मध्य प्रदेश	1	1100.25	1	550.12	300.00	1	10119.00	1	671.40	397.00	0	0.00	0	0.00	0.00	2	11219.25	2	1221.52	697.00
3	छतीसगढ	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	1	151.15	1	151.15	151.15	1	151.15	1	151.15	151.15
	मध्य पश्चिमी का योग	**2**	**2250.25**	**2**	**1107.72**	**300.00**	**49**	**11167.48**	**20**	**1062.36**	**787.96**	**2**	**226.15**	**2**	**226.15**	**151.15**	**53**	**13643.88**	**24**	**2396.23**	**1239.11**
IV	पूर्वी अंचल																				
	पश्चिम बंगाल	5	550.00	5	550.00	0.00	1	59.00	1	59.00	0.00	1	101.40	1	101.40	101.40	7	710.40	7	710.40	101.40
	बिहार	1	784.28	1	784.28	189.40	1	795.80	1	795.80	0.00		0.00	0	0.00	0.00	2	1580.08	2	1580.08	189.40
	झारखण्ड	2	1539.37	2	1608.74	280.00	1	97.87	0	0.00	0.00	1	456.31	1	456.31	456.31	4	2093.55	3	2065.05	736.31
	ओडिशा	1	835.82	1	835.82	835.82	1	2650.68	1	2021.21	1642.70	1	529.41	1	257.87	257.87	3	4015.91	3	3114.90	2736.39
	पूर्वी अंचल का योग	**9**	**3709.47**	**9**	**3778.84**	**1305.22**	**4**	**3603.35**	**3**	**2876.01**	**1642.70**	**3**	**1087.12**	**3**	**815.58**	**815.58**	**16**	**8399.94**	**15**	**7470.43**	**3763.50**
V	उत्तर पूर्वी राज्य																				
1	असम	0	0.00	0	0.00	0.00	1	480.93	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	1	480.93	0	0.00	0.00
1क	कर्बी अंग्लोंग	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
2	बोराप	0	0.00	0	0.00	0.00	1	537.30	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	1	537.30	0	0.00	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	4	26.93	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	4	26.93	0	0.00	0.00
4	मणिपुर	0	0.00	0	0.00	0.00	1	126.83	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	1	126.83	0	0.00	0.00
5	मेघालय	0	0.00	0	0.00	0.00	1	436.24	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	1	436.24	0	0.00	0.00
6	मिज़ोरम	6	1220.00	6	205.00	205.00	1	368.13	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	7	1588.13	6	205.00	205.00
7	नागालैण्ड	0	0.00	0	0.00	0.00	1	417.68	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	1	417.68	0	0.00	0.00
8	सिक्किम	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
9	त्रिपुरा	0	0.00	0	0.00	0.00	1	811.98	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	1	811.98	0	0.00	0.00
	उत्तर पूर्वी का योग	**10**	**1246.93**	**6**	**205.00**	**205.00**	**7**	**3179.09**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0.00**	**17**	**4426.02**	**6**	**205.00**	**205.00**
	कुल योग	78	15698.43	49	9839.32	4485.27	77	60023.40	28	21609.14	4228.16	45	25614.00	39	24789.92	23261.86	200	101335.83	116	56238.38	31975.29

अनुबंध - IV

वर्ष 2014-15 के दौरान राज्यवार कच्चा रेशम उत्पादन

राज्य	शहतूती पौधारोपण (हेक्टेयर)	शहतूती कच्चा रेशम (मी.टन)			वन्य कच्चा रेशम (मी.टन)				योग (शह.+वन्य) (मी.टन)
		द्विप्रज संकर	संकर नस्ल	योग	तसर	एरी	मूगा	योग	
आंध्र प्रदेश	45726	495	5990	6485					6485
अरुणाचल प्रदेश	342	1		1		10	1	11	12
असम	7356	29	2	31		3055	136	3191	3222
बिहार	693		12	12	33	8		41	53
छतीसगढ़	744	0.54	8	9	225			225	234
हरियाणा	136	0.3		0.3					0.30
हिमाचल प्रदेश	1780	30		30					30
जम्मू व कश्मीर	8132	138		138					138
झारखण्ड	372		3	3	1943			1943	1946
कर्नाटक	88489	1203	8442	9645					9645
केरल	125	7		7					7
मध्य प्रदेश	4854	128	59	187	59	2		61	248
महाराष्ट्र	2774	199	3	203	19			19	222
मणिपुर	6858	138	12	150	4	361	1	366	516
मेघालय	2659	17		17		622	16	639	656
मिज़ोरम	3700	32	8	40	0.02	10	0.10	10	50
नागालैण्ड	633	6		6	0.10	610	3	613	619
ओडिशा	463	2	1	3	88	7		95	98
पंजाब	1127	4		4					4
सिक्किम	198	5		5		3	0.17	3	8
तमिलनाडु	16576	1207	395	1602					1602
तेलंगाना	1862	51	49	100	0.30			0.30	100
त्रिपुरा	2426	33	15	48					48
उत्तर प्रदेश	3866	87	99	186	18	32		50	236
उत्तराखण्ड	2774	29		29	0.02				29
पश्चिम बंगाल	15153	27	2423	2450	43	6	0.27	49	2500
योग	**219819**	**3870**	**17520**	**21390**	**2434**	**4726**	**158**	**7318**	**28708**

स्रोत : राज्य रेशम उत्पादन विभाग से प्राप्त एमआईएस रिपोर्ट से संकलित ।

अनुबंध - V

वर्ष 2015-16 के दौरान राज्यवार कच्चा रेशम उत्पादन

राज्य	शहतूती पौधारोपण (हेक्टेयर)	शहतूती कच्चा रेशम (मी.टन)			वन्य कच्चा रेशम (मी.टन)				योग (शह.+वन्य) (मी.टन)
		द्विप्रज संकर	संकर नस्ल	योग	तसर	एरी	मूगा	योग	
आंध्र प्रदेश	29829	708	4378	5086					5086
अरुणाचल प्रदेश	341	3		3		32	2	34	37
असम	7765	32	7	39		3143	142	3285	3325
बिहार	743		19	19	41	8		48	67
छत्तीसगढ़	771	0.35	8	9	254			254	263
हरियाणा	171	0.60		0.60					0.60
हिमाचल प्रदेश	2088	32		32					32
जम्मू व कश्मीर	8237	127		127					127
झारखण्ड	372		3	3	2281			2281	2284
कर्नाटक	87598	1344	8479	9823					9823
केरल	141	11		11					11
मध्य प्रदेश	5597	107	93	200	56	1		57	256
महाराष्ट्र	3947	249	4	252	21			21	274
मणिपुर	7338	133	10	144	4	370	1	375	519
मेघालय	3009	15		15		824	18	842	857
मिज़ोरम	3843	46	9	55	0.005	9	0.12	9	64
नागालैण्ड	743	4	3	7	0.07	622	2	624	631
ओडिशा	584	3		3	107	7		114	117
पंजाब	1129	0.76		0.76					0.76
सिक्किम	198	4		4		3	0.15	3	6
तमिलनाडु	16160	1532	366	1898					1898
तेलंगाना	2509	89	26	115	1				116
त्रिपुरा	3161	22	31	52					52
उत्तर प्रदेश	4199	91	109	200	20	36		56	256
उत्तराखण्ड	2974	30		30					30
पश्चिम बंगाल	15500	31	2320	2351	34	6	0.21	40	2391
योग	**208947**	**4613**	**15865**	**20478**	**2819**	**5060**	**166**	**8045**	**28523**

स्रोत : राज्य रेशम उत्पादन विभाग से प्राप्त एमआईएस रिपोर्ट से संकलित ।